लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अक १३ –गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . . १३२०—८४

अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक सभा

बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अखिल भारतीय सहकारी परिषद्

*३०६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सहकारी परिषद् की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ।

(ख) यह परिषद् क्या काम करेगी; और

(ग) अब तक कौन उन कामों की देख भाल करता था जिन्हें अब यह परिषद् करेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). यह प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है । यह परिषद् किस प्रकार की होगी तथा इस के क्या कार्य होंगे, इस के बारे में अभी तक अंतिम रूप से निश्चय नहीं हुआ है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि रुरल फाइनेंसिन्ग के लिये जो एक कमेटी मुकर्रर की गयी थी और इस सिलसिले में जो रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट पेश की है, क्या उस का सम्बन्ध इस विषय से है, और यदि है तो उस पर गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, देरी इस सबब से भी हुई कि हम यह जानना चाहते थे कि उस की रिकमेंडेशन्स का इस के ऊपर कुछ असर होगा या नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : उन की क्या रिकमेंडेशन्स हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह अभी हाल ही में, आई हैं । इसलिये बतलाना मुश्किल होगा ।

श्री एन० एम० लिंगम् : सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है उस से प्रकट होता है कि इस अखिल भारतीय सहकारी परिषद् का कार्य विभिन्न राज्यों की विपणि संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करना और उन की विक्रय सम्बन्धी कार्यवाहियों को बढ़ाना है। राज्यों में सहकारी विपणि संस्थाओं की संख्या कितनी है, और क्या उन की संख्या इतनी है कि इस स्थिति में अखिल भारतीय परिषद् बनाई जा सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा विचार है कि माननीय मित्र का यह प्रश्न विपणि बोर्ड के बारे में, जिस का अभी जिक्र आयेगा

अधिक सुसंगत रहेगा । अब तो सहकारी परिषद् की चर्चा चल रही है । यद्यपि इस परिषद् का उद्देश्य भी समन्वय है, फिर भी वह विशेष विपणि बोर्ड विपणि कार्य-वाहियों का समन्वय करेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक इस की स्थापना हो जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. दो तीन महीने में हो जायेगी ।

इमारती लकड़ी का तैयार करना

***३०८. श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री प्रथम पंच वर्षीय योजना के वर्ष १९५३–५४ के प्रगति प्रतिवेदन के पैरा १०० (पृष्ठ ८८) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सरकारी इमारतों के निर्माण में रक्षक पदार्थों की सहायता से ऐसी इमारती लकड़ी को, जिस के सम्बन्ध में अभी बहुत कम लोग जानते हैं, काम में लाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है, क्योंकि योजना में कहा गया था कि ऐसी लकड़ी को लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस देशमुख) : वन-विद्या-केन्द्रीय बोर्ड की स्थायी समिति में, जो अगस्त १९५४, में पूना में आयोजित हुई थी, इस के बारे में विचार किया गया था । समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि इमारती लकड़ी के अपने साधनों को सुरक्षित रखने, तथा प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत चालू बहुत सी विकास योजनाओं की इमारती लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति करने, तथा धीरे धीरे उन को इस का संभरण करने के विचार से सभी सरकारी विभागों को अच्छी प्रकार से तैयार की गई तथा द्वितीय श्रेणी की सुरक्षित लकड़ी को काम में लाना चाहिये । इस प्रकार तैयार की गई लकड़ी का संभरण बढ़ाने के लिये समिति ने यह भी सिपारिश की थी कि लकड़ी तैयार करने तथा उस के संरक्षण के लिये चार या पांच संयंत्रों की स्थापना की जाय । सरकार ने इस सिपारिश को स्वीकार कर लिया है और वन-गवेषणा संस्था, देहरादून, को आदेश दिया गया है कि वह इस प्रकार लकड़ी तैयार करने तथा संरक्षण करने के संयंत्र लगाने के बारे में एक विस्तृत योजना तैयार करे ।

श्री वी० पी० नायर : क्या बन-गवेषणा संस्था देहरादून, ने ऐसी कम लोकप्रिय लकड़ी की सूची तैयार की है, जो तैयार करने के बाद उसी रूप में उपयोग में लाई जा सके जिस प्रकार कि लोकप्रिय किस्म की लकड़ियों का उपयोग होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन को ऐसा आदेश अभी दिया गया है और मैं तो नहीं, समझता कि उन्होंने ऐसी सूची प्रस्तुत भी कर दी है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने उन विभिन्न विभागों को जो निर्माण कार्य के लिये इमारती लकड़ी का प्रयोग करते हैं, इस बात के लिये जोर दिया है कि वे सरकारी कार्यों के लिये लोकप्रिय प्रकार की लकड़ियों की अपेक्षा कम लोक-प्रिय किन्तु तैयार की हुई लकड़ी का ही प्रयोग करें ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार के कार्य किये जायेंगे तो माननीय मित्र द्वारा दिये गये सुझावों को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री वी० पी० नायर : पंच वर्षीय योजना की कार्य-प्रगति का प्रतिवेदन देखने से पता

चलता है कि योजना में जिन लकड़ियों के बारे में जोर दिया गया है उन को लोकप्रिय बनाने में अधिक प्रगति नहीं हुई है ? इस के क्या कारण हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : चूंकि इस प्रकार की लकड़ी का व्यापार अधिक नहीं हुआ है और जो कुछ हम कर सकते हैं वह यही है कि सरकारी कामों में ही इस का उपयोग कर सकते हैं। अतः इस का सम्पूर्ण दायित्व अपने ऊपर ही है ।

श्री सारंगधर दास : क्या लकड़ी तैयार करन की वही पुरानी आसकू प्रणाली है अथवा उससे कुछ अधिक अच्छी ?

डा० पी० एस० देशमुख : बहुत सी प्रणालियां हैं। मैं नहीं समझता कि केवल किसी एक ही प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है ।

रेलवे न्यायाधिकरण

*३०९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस न्यायाधिकरण ने, जिस से रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये कहा गया था, सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं, और

(ग) यह न्यायाधिकरण कब तक अपनी सिपारिशें अंतिम रूप से देगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) ज्ञात हुआ है कि न्यायाधिकरण की अभी तक कोई नियमित रूप से बैठक नहीं हुई है क्योंकि यह रेलवे श्रमिकों की मांगों के लिखित व्यापक विवरण की प्रतीक्षा में हैं ।

(ग) अभी इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि भारत के रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ ने मई में ही एक ज्ञापन दे दिया था जो अस्वीकृत कर दिया गया था ?

श्री अलगेशन : अस्वीकृत कर दिया गया था ? उन्होंने एक अस्थायी ज्ञापन दिया था और स्वयं उन्होंने यह कहा था कि यह परिवर्तनीय है। उन्होंने अभी तक लिखित व्यापक विवरण, जिस के भेजने का उन्होंने वचन दिया था, नहीं भेजा है। वे बराबर समयवृद्धि की मांग करते रहे हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या न्यायाधिकरण को भारत के रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं अथवा संघों से भी ज्ञापन मिलेंगे ?

श्री अलगेशन : यदि अन्य संस्थायें अपने विचार प्रकट करना चाहती हैं तो वे रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ के द्वारा भेज सकती हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या न्यायाधिकरण विभिन्न खण्डों के मुख्यालयों की जांच के लिये जायेगा ?

श्री अलगेशन : मैं तो नहीं समझता कि ऐसा करना आवश्यक भी है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या मैं न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम, तथा उस स्थान का नाम जहां कि इस न्यायाधिकरण की बैठकें होंगी, जान सकता हूं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : न्यायाधिकरण में केवल एक

व्यक्ति है, और उन का नाम श्री शंकरसरण है ।

श्री पी० सी० बोस : इस की बैठकें कहां होंगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : दिल्ली में ।

राज्यों में मलेरिया विरोधी उपाय

*३१२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २७ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मलेरिया विरोधी उपाय करने के लिये किसी दूसरे राज्य को सन् १९५४ में अब तक कोई आपात कालीन सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन को यह सहायता दी गई है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) तक । भारत सरकार ने बिहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में मलेरिया-विरोधी उपाय करने के लिये निम्न वस्तुओं का संभरण किया है :—

	प्राक्कलित मूल्य (रुपये)
(१) ५० टन ७५ प्रतिशत डी० डी० टी० का छिड़कने वाला पाउडर .	१,७५,०००
(२) छिड़कने का सामान . .	२५,०००
(३) मेपाकाइन गोलियां . .	२ लाख (संख्या में)

डा० राम सुभग सिंह : क्या इन वस्तुओं का उपयोग कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, अथवा सम्पूर्ण बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इन का प्रयोग किया जाता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : यह तो उस राज्य पर ही निर्भर करता है । हम तो उस राज्य की आवश्यकतानुसार सामान तथा सहायता देते हैं और वह राज्य उसी प्रकार उस का उपयोग करता है जिस प्रकार की वह अच्छा समझता है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि मलेरिया-विरोधी उपायों के फलस्वरूप बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में मच्छरों का बिल्कुल सफाया हो गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिये मुझे राज्य से पूछना होगा । किन्तु इस में मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस सहायता के आधार पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मलेरिया पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि उत्तर प्रदेश में घाघरा, राप्ती, गंडक नदियों की बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्रों में वर्तमान मलेरिया विरोधी उपचार पर्याप्त नहीं ह और वहां अब भी सामान तथा संभरण की बहुत मांग है ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : बिहार से हमें यह सूचना मिली है कि वे इस प्रकार के तीन या चार अतिरिक्त यूनिटों का संगठन करना चाहते हैं....

एक माननीय सदस्य : वह उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं ।

राजकुमारी अमृतकौर : उत्तर प्रदेश ने पांच अतिरिक्त यूनिटों की मांग की है ।

हम ने तीन यूनिट भेज दिये हैं और १९५५-५६ में दो यूनिट भेजने के सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : दिल्ली, सरकार को कितने यूनिट दिये गये हैं और क्या दिल्ली सरकार नई दिल्ली क्षेत्र की भी देख भाल करेगी ?

राजकुमारी अमृतकौर : मुझे यह मालूम नहीं कि कितने यूनिट दिये गये हैं। किन्तु दिल्ली सरकार की आवश्यकता पूरी कर दी गई है।

दरभंगा मेडिकल कालिज

***३१५. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि दरभंगा मेडिकल कालिज के उन विद्यार्थियों को, जिन्होंने १९५२ में अपनी अंतिम परीक्षा पास की थी, अभी तक भारतीय चिकित्सा परिषद् ने मान्यता नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वे सरकारी सेवाओं के लिये उपयुक्त हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने बिहार विश्व विद्यालय के पाठ्यक्रम के स्तर तथा विश्व विद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के मान के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाने के बाद, बिहार विश्वविद्यालय द्वारा १ अप्रैल, १९५३ के बाद की दी गई एम० बी० बी० एस० उपाधि को मान्यता दी है।

(ग) जी नहीं, केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा सेवाओं के लिये वे अभी तक उपयुक्त नहीं हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या एम० बी० बी० एस० का १९५२ का पाठ्यक्रम सरकार अथवा चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त कर चुका है, और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : केवल १९५३ के बाद चिकित्सा परिषद् ने कालिज का परीक्षण किया, और अब उन की डिग्री (उपाधि) की मान्यता के लिये सिफारिश की गई है। जहां तक १९५२ का प्रश्न है, हम ने भारतीय चिकित्सा परिषद् से यह प्रार्थना की है कि वे इस पाठ्यक्रम पर पुनः विचार करें और विद्यार्थियों की सहायता करें।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या १९५२ में उत्तीर्ण हुए ये विद्यार्थी इसलिये निठल्ले बैठ रहे हैं अथवा कई जगहों पर काम कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार उन की उपाधियों को मान्यता नहीं प्रदान कर रही और न उन्हें सेवा नियोजित कर रही है; और इन विद्यार्थियों का क्या होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् से कहा गया है कि वे अपने निश्चय पर पुनः विचार करें, और अब उन का उत्तर मिलने की देर है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इस सारे प्रश्न पर पुनः परीक्षण होने तथा उपाधियों को मान्यता मिलने के बाद उस आयु-सीमा पर, जो कि एक विशेष अवधि के बाद समाप्त हो जाती है, पुनः विचार किया जायेगा ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला दूं कि भारत

सरकार सर्वाधिक सहानुभूति के साथ उन विद्यार्थियों के मामलों पर विचार करेगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कितने विद्यार्थियों को एम० बी० बी० एस० की उपाधि नहीं दी गई है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मेरे पास उन की संख्या मौजूद नहीं ।

बिना टिकट की यात्रा

*३१६. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर, विशेषतः उस के छोटे छोटे स्टेशनों पर बिना टिकट की यात्रा में बहुतायत हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) केवल छोटे स्टेशनों पर होने वाली बिना टिकट की यात्रा के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

कुल पर यही कहा जा सकता है कि पश्चिम रेलवे पर बिना टिकट की यात्रा करते पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है । किन्तु इस घटना का यही कारण माना जाता है कि बिना टिकट की यात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि टिकट चेक करने की कुशलता बढ़ रही है ।

(ख) पश्चिम रेलवे ने टिकट-चेकिंग को और कड़ा करने से जो अनेक उपाय किये हैं उन में नीचे दि े गये यह उपाय भी सम्मिलित हैं :—

(१) टिकट-चेकिंग के प्रभारी एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है ;

(२) चलती गाड़ी पर टिकट जांचने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति में वृद्धि की गई है ; और

(३) स्टेशनों पर टिकट चेक करने के लिये जंगले बनवाये गये हैं और अन्य सुविधायें दी गई हैं ।

श्री डाभी : क्या यह सच है कि स्वयं प्रश्नकर्त्ता ने माननीय मंत्री को लिखा है जिस में उन्होंने छोटे स्टेशनों पर बिना टिकट की यात्रा के विशिष्ट ब्यौरे दिये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें पूछने की क्या बात है ? यदि प्रश्नकर्त्ता ने कोई पत्र लिखा होगा तो उन्हें उसका उत्तर मालूम होगा ।

श्री डाभी : स्वयं मैंने मंत्री जी को इसके सम्बन्ध में लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या जानकारी चाहते हैं ?

श्री डाभी : मैंने पहले ही माननीय मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें छोटे स्टेशनों पर बिना टिकट की यात्रा का ब्यौरा दिया गया है, और अब मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मुझे ब्यौरे की सभी बातें ठीक तरह से याद नहीं, किन्तु उन मामलों को जांचा जा रहा है ।

श्री डाभी : क्या सरकार जानती है कि छोटे-छोटे स्टेशनों पर टिकट कलैक्टर कुलियों और उन अन्य अनधिकृत व्यक्तियों को टिकट इकट्ठा करने का काम सौंप देते हैं जो अपने परिचितों और मित्रों से यात्रा के टिकट मांगने पर जोर नहीं देते ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मेरे पास अभी तक स प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आई है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि टिकट कलैक्टर बिना टिकट के यात्रियों पर रेलवे अधिनियम की धारा ११३ के अधीन अभियोग चलाते हैं और जी० आर० पी० (जनरल रेलवे पुलिस) अधिकारी उन अपराधियों को न्यायालय में पेश करने के लिए हिरासत में लेने से इंकार करते हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जब तक कोई विशेष मामला मेरे ध्यान में न लाया जाय, मैं सामान्य रूप से कुछ भी नहीं कह सकता।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान्। मैं यह सूचना दे रहा हूं कि.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

भूमि-सुधारों की केन्द्रीय समिति

*३१७. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य से प्राप्त भूमि-सुधार प्रस्थापनाओं पर भूमि-सुधारों की केन्द्रीय समिति ने विचार किया है ; और

(ख) क्या भूमि विधान के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये त्रावनकोर-कोचीन में होने वाली स्थितियों पर कोई पूछताछ कराई गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भूमि-सुधारों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विधेयकों को योजना आयोग ने जांचा है। और उनकी विचार सहित टिप्पणी को भूमि-सुधारों की केन्द्रीय समिति में उसके सदस्यों के विचारार्थ परिचालित किया गया है। इन विधेयकों पर चर्चा करने के लिये अपनी समिति ने कोई बैठक नहीं बलाई है।

(ख) योजना आयोग के कार्यक्रम प्रशासन के परामर्शदाता श्री एस० वी० राममूर्ति ने इस राज्य का दौरा किया और वहां विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध हितों के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ उन विधेयकों पर चर्चा की।

श्री ए० एम० थामस : नवीनतम प्रगति प्रतिवेदन में दिया गया है कि भूमि खण्डों की गणना के बाद अपने-अपने राज्य के कृषि सम्बन्धी इतिहास को ध्यान में रखते हुए भूमिखण्ड के क्षेत्र की सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या त्रावनकोर-कोचीन में भूमि खण्डों की गणना की जायेगी और क्या त्रावनकोर-कोचीन के कृषि सम्बन्धी इतिहास पर भी पूछताछ की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये।

श्री कौट्कु पल्ली : क्या राज्यों के अनेक हितों से अभ्यावेदन प्राप्त किये गये हैं, और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभ्यावेदन बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, और योजना आयोग द्वारा उन पर विचार किया जायेगा।

श्री ए० एम० थामस : पहले कभी किसी प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि भूमि खण्डों की गणना करने के सम्बन्ध में त्रावनकोर-कोचीन राज्य को लिखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस सरकार को लिखे गए पत्र का क्या परिणाम हुआ है, और क्या उस सरकार ने भूमि खण्डों की गणना करना स्वीकार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास ये पत्र नहीं हैं, इसीलिए मैं ने पूर्व सूचना मांगी है।

श्री वैलायुधन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस भूमि-सुधार विधेयक के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किया है जो त्रावनकोर-कोचीन सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, अथवा क्या इस ने कोई आपत्ति उठाई है कि इस विधेयक को स्थानीय विधान-मण्डल के आगामी सत्र में नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिये ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, सरकार को जो भी अनेक विधेयक प्रस्तुत किये गय हैं, वे भूमि-सुधार समिति के विचाराधीन हैं ।

श्री तिम्मय्या: क्या अन्य राज्यों ने भी भूमि-सुधार की प्रस्थापनायें दी हैं ।

डा० पी० एस० देशमख : जी हां, लगभग प्रत्येक राज्य भूमि-सुधारों के सम्बन्ध में प्रस्थापनायें भेज रहा है ।

वनस्पतियों की किस्मों को सुधारने के केन्द्र

***३१८. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन स्थानों पर अब तक वनस्पतियों की किस्मों को सुधारने के केन्द्र ले जा चुके हैं, उन के नाम क्या हैं ;

(ख) वनस्पतियों की किस्मों को सुधारने का केन्द्र खोलने के लिये क्या कसौटी है ;

(ग) क्या उत्तर बिहार में सरकार चालू वर्ष में ऐसे किसी केन्द्र के खोलने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६].

(ख) भूमि और श्रम की उपलब्धता के अतिरिक्त अच्छे, अधिक फलने-फूलने वाली किस्मों के और विशेषरूप से, यूरोपीय प्रकार की वनस्पतियों के सारवान बीजों के पैदा और अभिवृद्ध होने के उपयुक्त जलवायु, एक मुख कसौटी है ।

(ग) और (घ) . नहीं, श्रीमान् ।

श्री विभूति मिश्र : देहातों में भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां पैदा की जायें, इस की जांच करा के सरकार द्वारा क्या कोई शिक्षा गांव वालों को दी जाती है कि फलानी जगह फलानी तरह की सब्जी उगाई जाय ?

डा० पी० एस० देशमुख : स्टेट गवर्नमेंट इस बात की तरफ ध्यान देती है । हमारा काम सिर्फ न्युकलस सीड्स बनाने का है ।

श्री विभूति मिश्र : अब तक कौन कौन तरह के बीज सरकार की तरफ से दिये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : किस किस प्रकार के बीज वितरित किये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : वास्तव में इस प्रश्न का सम्बन्ध सारवान बीजों के पैदा होने और उन में अभिवृद्धि करने से है और मैं ऐसे स्थानों की संख्या बता चुका हूं जहां यह काम होता है । जहां तक वितर का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकार का काम है और इस सम्बन्ध में कोई सूचना देना मेरे लिये कठिन है ।

श्री विभूति मिश्र : मेरे पूछने का मतलब है कि कौन कौन तरह के बीज आपने पैदा किये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह जितने हमारे सेंटर्स हैं, जैसा मैं ने अपने जवाब

में कहा यूरोपियन टाइप वेजीटेबुल्स काली-फूलावर वगैरह पैदा किये हैं।

श्री वी० पी० नायर: यह कहा गया है कि नई किस्में पैदा करना भी वनस्पतियों की किस्मों को सुधारने के केन्द्र का एक काम है। क्या मैं जान सकता हूं कि नई किस्मों के पैदा करने के काम में गवेषणा-कर्त्ता अपने को मेण्डालिज्म मोर्गनिज्म के पुराने सिद्धांतों द्वारा बताये गये तरीकों तक ही सीमित रखते हैं या उन को सोवियत रुस में प्रचलित एग्रोबाईलाजी के नवीन सिद्धांतों के अनुसरण करने की भी सूचना दी गई है?

डा० पी० एस० देशमुख: मेरे माननीय मित्र ने जो प्रश्न पूछा है वह बड़ा टेकनिकल है। हम अपने विधि केन्द्रों से अच्छे से अच्छे और रोगनाशक बीजों को तैयार करने के लिये ही कह सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

***३२२. श्री नवल प्रभाकर**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से डाकघर पाठशालाओं में चलाये जाते हैं तथा पोस्ट मास्टर का कार्य स्कल मास्टर करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत में ऐसे कितने डाकघर हैं?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर):

(क) हां।

(ख) ६,९६६।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि इन अध्यापकों या पोस्ट मास्टरों के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि मास्टर बच्चों को पढ़ाई में लगे रहते हैं और पोस्ट सम्बन्धी सामग्री लेने आने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है?

श्री राज बहादुर: मैं इस प्रकार का व्यवहार करने वाले किसी विशेष पोस्ट-मास्टर के सम्बन्ध में विशेष शिकायत चाहूंगा। सभी व्यक्ति समान नहीं होते।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के डाकघर देहली राज्य में कितने हैं?

श्री राज बहादुर: मैंने निवेदन किया है कि अगर कोई इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से शिकायत आये तो उस की जांच की जायेगी, वैसे सब पोस्ट मास्टर अध्यापक नहीं होते।

श्री एम० डी० जोशी: क्या मैं बम्बई राज्य के ऐसे पोस्ट मास्टरों की संख्या जान सकता हूं जो स्कूल मास्टर होते हुए भी पोस्ट मास्टर का काम करते हैं?

श्री राज बहादुर: संख्या १,४४० है।

प्लेग का फैलना

***३२३. श्री झूलन सिंह**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में प्लेग के फैलने की क्या दशा रही है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां की गईं या की जा रही हैं?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) १९५१, १९५२ और १९५३ में प्लेग फैलने के कारण हुई मौतों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनबन्ध संख्या ३७]

(ख) राज्य सरकारों द्वारा प्लेग नियंत्रण के सामान्य उपायों जैसे डी० डी० टी० द्वारा चूहों के बिलों में हवा भरने, साइनोगेस द्वारा चूहों को मारने, रोकथाम के टीके लगाने, और विशेष प्लेग अधिकारी की नियुक्ति करने और प्लेग को रोकने वाली संस्थायें बनाने के अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संघ की सहायता से उत्तर प्रदेश में प्लेग की दशा का एक सर्वेक्षण किया गया ।

श्री झूलन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि १९ राज्यों में, १९५३ में जहां प्लेग का फैलना बिल्कुल रोक दिया गया है, वहां क्या सरकार इस बात की सावधानी बरत रही है कि अभी तक जो अच्छा परिणाम निकला है उसे बनाये रखा जाय ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : उन्हें बनाये रखा गया है ।

श्री झूलन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन पांच राज्यों में जहां प्लेग भी फैलता है, सरकार उसे जड़ से समाप्त करने के लिये विशेष ध्यान दे रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : प्रत्येक उपाय किया जायेगा और इसीलिये यह सर्वेक्षण किया गया है ।

रेलवे कर्मचारी

***३२४. श्री नम्बियार : क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य रेलवे कर्मचारीवर्ग संहिता में रेलवे कर्मचारियों की भविष्यनिधि में उन की निवृत्ति के समय विशेष अंशदान में कमी करने का उपबन्ध करने के लिये कुछ परिवर्तन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो नये उपबन्ध क्या हैं और इस प्रकार कमी करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि विशेष अंशदान में जो कमी की जाती है वह उस कर्मचारी द्वारा सम्पूर्ण सेवा काल में की गयी भूल-चूक के दण्ड के रूप में है ?

श्री अलगेशन : विशेष अंशदान अच्छी, कुशल और स्वामिभक्तिपूर्ण सेवाओं के लिये है । जो लोग सेवाओं का बुरा अभिलेख छोड़ कर निवृत्त होंगे उन के मामलों में यह कटौती की जायेगी ।

श्री नम्बियार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे उदाहरण हैं जिन में ऐसी कटौती की गयी है और क्या सरकार को ऐसे मामलों का पता है ?

श्री अलगेशन : ऐसा केवल उन कर्मचारियों के मामलों में हो सकता था जिन की सेवाओं के अभिलेख खराब होते । यदि उन को नौकरी से हटा दिया गया है या उनके विरुद्ध कुछ आरोप रहे हैं, तो अवश्य ही उन के मामलों में अंशदान में कटौती कर दी जाती है ।

श्री नम्बियार : भूल-चूक के समय उन्ह दण्ड दिया जाता है । क्या विशेष अंशदान में कटौती करना कर्मचारियों पर दोहरा दण्ड नहीं है ?

श्री अलगेशन : तब तो यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह केवल अच्छी, कुशल और स्वामिभक्त सेवाओं के मामलों में ही दिया जायेगा ।

सड़कों की स्थायी समिति

***३२५. श्री भीखाभाई : क्या परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, संविधान सभा (विधान) द्वारा पारित एक संकल्प,

जिसे १४ अप्रैल, १९५० को संसद् ने संशोधित किया, के अनुसार सड़कों के लिए एक स्थायी समिति संगठित कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के कार्यकर्ता कौन हैं और उस का संगठन कैसा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५१–५२ तक प्रतिवर्ष सड़कों की एक स्थायी समिति संगठित की जाती थी पर इस के बाद संसद् की स्थायी समिति के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार के सामान्य विनिश्चय के अनुसार कोई समिति नहीं बनाई गयी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीखाभाई : क्या मैं जान सकता हूं कि स्थायी समिति ने कौन कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं ने बताया, समिति प्रतिवर्ष संगठित की जाती थी और वही केन्द्रीय सड़क संरक्षित निधि की देखभाल कर रही थी, नियतन करती थी और उसी में से अनुदान दिया करती थी । अब वह कार्य स्वयं मंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है ।

श्री भीखाभाई : मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति ने सड़कों के राष्ट्रीयकरण के लिये किसी विधान के बनाने की सिफारिश की है ?

श्री अलगेशन : वह सड़क यातायात से सम्बन्धित नहीं थी ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या १४ अप्रैल, १९५०, को संसद् द्वारा संशोधित संकल्प, संसद् के किसी अन्य संकल्प द्वारा रद्द कर दिया गया है अथवा उसके स्थान पर कोई दूसरा संकल्प रख दिया गया है ?

श्री अलगेशन : विधि मंत्रालय ने यह समझा कि संकल्प को संशोधित करने की इसलिये कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इसका सम्बन्ध संविहित निधि से नहीं है ।

बाढ़ें

*३२७. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न की कोई संचित राशि जो सरकार ने जमा रखी थी, पिछले दिनों देश में बाढ़ आने से नष्ट हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मात्रा क्या थी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

औषधि कारखाना

*३३०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारिता के आधार पर अब तक कोई औषधि कारखाना देश में स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार स्थापित किये जाने वाले कारखाने की लागत क्या है ; और

(ग) क्या वह कारखाना अंग्रेजी औषधियों के अतिरिक्त आयुर्वेदिक औषधियां भी बनायेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमतीचन्द्र शेखर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या किसी राज्य सरकार ने ऋण या अनुदान के रूप में केन्द्रिय सरकार से किसी आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी नहीं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सरकार अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर कब रखेंगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : एकत्र होने पर ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि देश में भेषजों का उत्पादन योजना के लक्ष्य से बहुत नीचे है, और यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : देश में भेषजीय उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है ।

श्री एल० न० मिश्र : परिणाम क्या है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या जर्मनी की बेयर कम्पनी ने कोल्हापुर में एक भेषज कारखाना खोलने के लिये भारत में किसी गर सरकारी पार्टी के साथ समझौता किया है ? क्या सरकार इस से अवगत है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मुझे इस की कोई सूचना नहीं है ।

बी० ी० लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण

*३३४. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल प्रान्तीय लाइट रेलवे की वित्तीय तथा अन्य स्थितियों की सरकार ने जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं और उन पर सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् । १९५० में एक जांच की गई थी ।

(ख) उस समिति के निष्कर्ष, जो बंगाल के मुख्य मंत्री के सभापतित्व में स्थापित की गई थी, यह थे कि लगभग १.५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता से रेलवे साधारण कुशलता के साथ कुछ वर्षों तक कार्य कर सकेगी । तदानुसार पश्चिमी बंगाल की सरकार ने यह राशि ऋण के रूप में दी थी ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या सरकार को विदित है कि बी० पी० रेलवे के कर्मचारियों का निम्नतम कुल वेतन २३ रुपये प्रति मास है, और यदि हां, तो क्या सरकार सर्वांगीण सुधार के लिये इस रेलवे को हथियाना उचित समझती है ?

श्री अलगेशन : कर्मचारियों का वास्तविक वेतन क्रम या वेतन क्या है, यह मुझे विदित नहीं, परन्तु इस छोटी तंग लाइन को अर्जित करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या सरकार को विदित है कि उस रेलवे के राष्ट्रीयकरण के लिये उस के कर्मचारियों ने लम्बे समय की एक हड़ताल कर रखी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह ठीक है और हमें सूचित किया गया है कि विवादास्पद बातें न्यायनिर्णयनी के लिये भेजी गई हैं ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या वेतन-वृद्धि संबंधी न्यायधिकरण का पंचाट कार्यान्वित

नहीं किया गया है, और यदि हां, तो सरकार कर्मचारियों को क्या संरक्षण देगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री: कदाचित् मेरे सहकारी श्रम मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे सकें, परन्तु वे कहते हैं कि वे बातें भी न्यायनिर्णयिन के लिये भेजी गई है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि उस रेलवे को लेने का कोई विचार नहीं है । क्या यह भारत में रेलों को राष्ट्रीयकरण करने की नीति के, जिस के, अनुसार समस्त गैर सरकारी रेलों को लिया जायेगा, अनुकूल है । इस का अर्थ है कि बी० पी० रेलवे के मामले में एक विशेष सुविधा दी गई है ।

श्री अलगेशन : राष्ट्रीयकरण का अर्थ बहुत पुरानी आस्तियों का अर्जन करना नहीं है ?

सुल्तानपुर में यंत्रो से खेती करने का केन्द्रीय फार्म

***३३५. श्री हेम राज**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यंत्रों से खेती करने के केन्द्रीय फार्म, सुल्तानपुर में बसाने के लिये भूमि-हीन परिवारों को किन राज्यों से बुलाया जायेगा ; और

(ख) वहां बसने के लिये किस श्रेणी के लोग निवेदन कर सकते हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) ५०० भोपाल राज्य से और इतने ही उस राज्य के बाहर से । भोपाल के बाहर से आने वालों की संख्या विभिन्न राज्यों के लिये निर्धारित नहीं की गई है । यों तो अब तक त्रावनकोर-कोचीन के १०० परिवारों का प्रवरण किया गया है ।

(ख) मंशा यह है कि वास्तव में भूमिहीन मजदूरों को ही लिया जाय ।

श्री हेम राज : क्या अन्य राज्यों को इस योजना की सूचना दी गई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख: नहीं, श्रीमान्, अभी तक नहीं दी गई ?

श्री हेम राज : क्या अन्य राज्यों को भी सूचित किया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह यथा-समय दी जायेगी । हम आवश्यकतानुसार परिवारों को ले रहे हैं । हम पहिले त्रावनकोर-कोचीन के १०० परिवारों पर इस का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री हेम राज : क्या उस श्रेणी में राज-नीतिक पीड़ित भी सम्मिलित होंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक नहीं । हम ने उन की कोई अलग श्रेणी नहीं बनाई है ।

श्री पी० न० सिंह : क्या हाल में ही कृषि योग्य बनाई गई भूमि पर सहकारी या सामूहिक आधार पर कृषि करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह उस दिशा में एक प्रयोग है ।

अभिजनन गवेषणा

***३३६. श्री मुरारका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिशों पर जो उन के दसवें प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं, कि ढोर अभिजनन के विषय पर वैज्ञानिक दृष्टि से विभिन्न केन्द्रो में स्थित बहुत सी प्रयोगशालाओं में गवेषणा की जाय, और इस के साथ ही गव्यशाला

अर्थ-व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में दुग्ध-पदार्थों को अच्छा बनाने के लिये गवेषणा-कार्य किया जाय, विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) ढोर अभिजनन, गव्यशाला अर्थ-व्यवस्था और दुग्ध-पदार्थों के प्रकार में सुधार के विषय पर पहिले से ही चार प्रयोग-शालाओं अर्थात् भारतीय गव्य गवेषणा संस्था, बंगलौर भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली, भारतीय पशु-चिकित्सा गवेषणा संस्था, इज्जतनगर और ढोर व गव्य कार्य, करनाल में भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत गवेषणा हो रही है । इन के अतिरिक्त, अधिकतर बड़े राज्य अपने फार्मों पर ऐसा ही कार्य कर रहे हैं । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली भी प्रादेशिक आधार पर बहुत सी योजनाये, विशेषकर मिले-जुले अभिजनन और प्रवरणीय अभिजनन को उच्च स्तर का बनाने के सापेक्ष महत्त्व के निर्धारण की जांच पड़ताल के लिये, आरम्भ कर रही है । अतः निकट भविष्य में कोई और प्रयोगशाला खोलने का विचार नहीं है क्योंकि विद्यमान प्रयोगशालायें वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त हैं । फिर भी भारतीय गव्य गवेषणा संस्था के कार्यों के विस्तार के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

श्री मुरारका : इन गवेषणा-केन्द्रों पर सरकार प्रति वर्ष कुल कितना धन व्यय करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा ख्याल है कि कुल धन लगभग डेढ़ करोड़ रुपया होगा ।

श्री मुरारका : क्या सरकार राजस्थान राज्य में कोई ऐसा गवेषणा-केन्द्र खोलना चाहती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक ऐसा कोई भी विचार नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : अभी तक इस सम्बन्ध में जो खोजें हुई हैं उन खोजों के अनुसार स्थानीय नस्लों का सुधार कहां तक हो सका है और उस से किसानों को कितना लाभ पहुंच सका है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह पूरा अन्दाज़ा तो नहीं लगाया गया है और पूरा अन्दाज़ा लगाना भी मुश्किल है । मगर अच्छा काम हो रहा है और उस को बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री इस बात को जानते हैं कि जहां तक किसानों का सम्बन्ध है उन की यह शिकायत है कि इन खोजों से अब तक उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा है और स्थानीय नस्लों की भी तरक्की जिस प्रकार वर्धा में हुई इस प्रकार का कोई कार्य इन संस्थाओं में नहीं हो रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं यह कहना दुरुस्त नहीं है ।

श्री राधे लाल व्यास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि डेअरी के सम्बन्ध में सन् १९३७ से अब तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जैसी कि डा० राइट और डा० के ने गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने रखी थी, और अभी भी डेअरी को बढ़ाने के सिल-सिले में और रिसर्च को बढ़ाने के सिलसिले में योजनायें ही चल रही हैं पर कोई कार्यान्वित नहीं की जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता यह भी कहना दुरुस्त हैं ।

बम्बई पोत-घाट-मज़दूरों की हड़ताल

*३३७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के लगभग एक हज़ार पोत-घाट-मज़दूरों ने २ नवम्बर, १९५४ से अनिश्चित काल तक के लिये हड़ताल कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मज़दूरों तथा प्रबन्धकवर्ग के बीच कोई समझौता हुआ है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मज़दूरों ने मंत्री महोदय को अपनी मांगों की कोई सूची भेजी है और यदि हां, तो क्या उन पर विचार कर के कार्यवाही कर ली गई है ?

श्री अलगेशन : मुख्य प्रश्न का भाग (क) यह था कि "क्या यह सच है कि बम्बई में लगभग एक हज़ार पोत-घाट-मज़दूरों ने २ नवम्बर, १९५४ से अनिश्चित काल तक के लिये हड़ताल कर दी है", और मैं ने उत्तर दिया है "नहीं" ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि उन के द्वारा प्रस्तुत मांगों पर विचार कर लिया गया है या नहीं । मांगों का परिणाम हड़ताल न हुआ हो, यह संभव है; परन्तु मांगें क्या थीं ?

श्री अलगेशन : स्पष्टतः ठेकेदारों द्वारा रखे गये कुछ मज़दूरों ने हड़ताल की थी । मेरा ख्याल है कि यह उसी का उल्लेख है । बाद में मज़दूरों तथा ठेकेदारों के बीच सप्रीत समझौता हो गया । भारत सरकार या पतन से इस का कोई सम्बन्ध नहीं था ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ठेका या सामयिक मज़दूरों का तनिक भी उल्लेख नहीं कर रहा हूं । पोतघाट-मज़दूरों की कुछ मांगें हैं जो पर्याप्त समय से अनिश्चित पड़ी हैं और उन की स्वीकृति के लिये वे आन्दोलन करते रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या समूचे मामले की जांच करने के लिये सरकार कोई न्याय-धिकरण नियुक्त करेगी ?

श्री अलगेशन : प्रश्न में एक दिनांक-विशेष को हुई हड़ताल का उल्लेख किया गया था, पोत-घाट-मज़दूरों की मांगों के साधारण प्रश्न के सम्बन्ध में, उन्होंने कुछ मांगें प्रस्तुत की हैं और अब एक न्यायनिर्णायक उन पर विचार कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें आगामी प्रश्न लेना चाहिये । माननीय सदस्य अलग से एक विशेष प्रश्न की सूचना दे सकते हैं ।

अखिल भारतीय सहकारी क्रय-विक्रय बोर्ड

*३३८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सहकारी क्रय-विक्रय बोर्ड की स्थापना की योजना की रूपरेखा सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) इस बोर्ड की स्थापना से सहकारिता आन्दोलन को क्या लाभ पहुंचेगा ; और

(ग) राज्य सरकारों तथा भारत सरकार से इस बोर्ड का क्या सम्बन्ध रहेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग)। अखिल भारतीय सहकारी क्रय-विक्रय बोर्ड की स्थापना की योजना का आधार न्यूनाधिकरूप में वह संकल्प है जो १४ तथा १५ जुलाई, १९५४ को श्रीनगर में आयोजित राज्यों के कृषि तथा सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में पारित किया गया था। उस संकल्प की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। इस में बोर्ड के कार्यों का, और उस की आलिप्ति से उन लाभों का, जिन की आशा की जाती है कि वे सहकारिता आन्दोलन को होंगे, उल्लेख है। इस प्रति में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साथ बोर्ड के सम्बन्ध का भी, जो परामर्श-दाता तथा समन्वयकर्ता के रूप में होगा, उल्लेख है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस मार्केटिंग बोर्ड के लिये फाइनेन्सेज़ कहां से आयेंगे और उस के लिये कितने फाइनेन्सेज़ की आवश्यकता होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी फाइनेन्सेज़ का कोई अन्दाज़ा नहीं लगाया गया है। जब यह बोर्ड मीट करेगा और कार्रवाई शुरु होगी तब मालूम होगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बोर्ड की स्थापना कब हो जायेगी और यह कब से काम शुरु करेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक या डेढ़ महीने के अन्दर काम शुरु हो जायेगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मार्केटिंग बोर्ड को बनाने में उन गलतियों का ध्यान रखेगी जो कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के सिलसिले में हुई थीं और क्या सरकार उन गलतियों को यथाशक्ति दूर करने का उपाय करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, वही इरादा है कि जो भी नुक्स पहले हो चुके हैं वह इन के अन्दर न हों और कुछ मार्ग दर्शन भी हों।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या उन कृषि-वस्तुओं को, जिन्हें मूल्य में सहायता की आवश्यकता है, सहायता देना क्रय-विक्रय बोर्ड के क्षेत्राधिकार में है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह उन सब बातों में से एक होगी जिन का वे परीक्षण करेंगे।

सरदार ए० स० सहगल : क्या यह सच है कि भारतीय सहकारिता व्यापार बोर्ड में हर प्रान्तीय सहकारिता बोर्ड के एक एक सदस्य को सम्मिलित करने का विचार इस बोर्ड ने किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : फिलहाल हम ने जो जो अच्छी स्टेट्स हैं, जहां पर यह कार्रवाई अच्छी तरह से हो रही है, उन्हीं के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। उन्हीं के नुमायन्दे लिये हैं। आगे चलकर अगर आवश्यकता होगी तो औरों को भी लिया जायेगा।

एन्टी-बायोटिक्स

*३३९. **श्री टी० पी० नायर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अथवा राज्य द्वारा प्रबन्धित किसी संस्था में एन्टी-बायोटिक्स के सम्बन्ध में कोई विशेष गवेषणा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के गवेषणा-कार्य में कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है, और उचित समय पर सभा-पटल पर रखी जायेगी।

श्री वी० पी० नायर : जहां तक कि राज्य सरकारों की संस्थाओं का सम्बन्ध है, उस के बारे में तो माननीय मंत्री का उत्तर ठीक हो सकता है । किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या किया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : कुछ गवेषणा हो रही है । सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीटयूट, लखनऊ, तथा नेशनल केमीकल लेबोरेटरी, पूना में गवेषणा का कुछ काम हो रहा है । वेसाइन इन्स्टीट्यूट, बंगलौर, ग्वालियर तथा इंदौर के मेडीकल कालिज और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के तत्वाधान में होने वाली एन्टी बाओटिक्स की कुछ योजना के अतिरिक्त कलकत्ता, बम्बई, तथा दिल्ली की गैर सरकारी संस्थाओं में गवेषणा कार्य प्रगति पर है ।

श्री वी० पी० नायर : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि एन्टी बाओटिक्स विषयक गवेषणा के बारे में बहुत जल्दी ध्यान देना है, मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न केन्द्रीय संस्थाओं में लगभग कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं स्वयं इस से सहमत हूं कि यह गवेषणा अत्यावश्यक है किन्तु इस कार्य में कितने वैज्ञानिक व्यस्त हैं, यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति का प्रतिवेदन

*३४०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : नहीं, श्रीमान् ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : यह बात होते हुए भी कि इस समिति की नियुक्ति लगभग २१ महीने पहले हुई थी, मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रतिवेदन कब आयेगा ?

श्री अलगेशन : मेरा विचार है कि समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है । इस समिति ने २५ स्थानों का दौरा किया है और इस की ७५ बैठकें हुई हैं । आशा है कि आय-व्ययक सत्र में वे कभी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मूल निर्देश-पदों में निर्देश की कोई और नई शर्तें जोड़ दी गई है, जिस के अनुसार सदस्यों से यह प्रार्थना की गई है कि वे सम्पूर्ण देश का दौरा करें और यह मान कर कि रेलवे कर्मचारी बेईमान हैं उन्हें इस बात की शिक्षा दें कि वे ईमानदार बनें ?

श्री अलगेशन : यदि इस प्रकार की शिक्षा देने का कार्य करने के लिये उन से कहा जाय और वे करें तो निश्चय ही वे बहुत अच्छा कार्य करेंगे । मेरा विचार है कि इस प्रकार के शिक्षा प्रद कार्य की आवश्यकता है । किन्तु यह कार्य निर्देश किसी भी विशेष शर्त के अन्तर्गत नहीं आता ।

श्री वेंकटायुधन : क्या समिति को यह अधिकार है कि वह रेलवे के किसी उच्च पदाधिकारी जैसे मुख्य प्रबन्धक अथवा मुख्य इंजीनियर और वाणिज्यक प्रबन्धक को बुला कर उन से यह पूछ सकती है कि नियुक्ति के समय उन्हें क्या मिलता था तथा अब क्या मिलता है, आदि ; और क्या वह इस प्रकार की अन्य विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकती है ?

श्री अलगेशन : जांच की इस प्रकार की विस्तृत जानकारी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता । प्रतिवेदन मिल जाने के बाद

ही इन सब बातों के बारे में पता चलेगा कि उन्होंने क्या प्रश्न किये थे और उन को क्या उत्तर दिये गये ।

रुस जाने वाला भारतीय रेलवे प्रतिनिधि मंडल

*३४१. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस प्रतिवेदन की जांच हो चुकी है जो भारतीय रेलवे पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने, जो रुस की रेलवे व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये अभी हाल में रूस गया था, प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे मुख्य सुझाव क्या हैं जिन को क्रयान्वित किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) . प्रतिनिधि मंडल ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन तो प्रस्तुत कर दिया है और अंतिम प्रतिवेदन के शीघ्र ही मिलने की आशा है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : यह प्रतिनिधि मंडल भारतवर्ष कब वापस आया था ?

श्री अलगेशन : तिथि तो मुझे याद नहीं है, किन्तु मेरा विचार है कि अगस्त के अंत में वे लोग वापस आये थे ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मंत्री जी प्रतिवेदन मिलने पर उस की एक प्रति सभा-पटल पर रख सकेंगे और क्या यह प्रतिवेदन आगामी आय-व्ययक सत्र से पहले आ जायेगा अथवा नहीं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : निश्चय ही आगामी आय-व्ययक-सत्र से पूर्व यह प्रतिवेदन मिल जायेगा । किन्तु प्रतिवेदन मिल जाने के बाद ही यह तै होगा कि उसे सभा-पटल पर रखा जा सकेगा अथवा नहीं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या इस अन्तरिम प्रतिवेदन में कोई सिफारिश की गई है और मंत्रालय ने उन को क्रियान्वित किया है ? यदि हां, तो वे सिपारिशें क्या हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां, उच्च तथा निम्न श्रेणी के यात्रियों के लिये जो बाहर जाने के अलग अलग रास्ते की व्यवस्था थी, उसे समाप्त कर दिया गया है और उस के स्थान पर सभी के लिये एक ही साधारण रास्ता बनाने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आदेश दिया गया है । आहार वाले डिब्बों में खाना खाने की छट सभी श्रेणियों के यात्रियों को दी गई है । और जैसा कि सभा भी जानती है, तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये सोने के स्थान की व्यवस्था — हालांकि काफ़ी दिनों से हम इस के बारे में विचार कर रहे थे—अभी हाल में तीन लाइनों अर्थात् दिल्ली-बम्बई, दिल्ल-कलकत्ता, तथा दिल्ली-मद्रास पर कर दी गई है ।

लड़कों में पोषाहार सम्बन्धी गड़बड़

*३४२. **पंडित डी० न० तिवारी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोषाहार सम्बन्धी गड़बड़ के बारे में विनिश्चय करने के लिये भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् की पोषाहार परामर्शदात्री समिति ने सभी राज्यों के लड़कों की जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) किस राज्य में पोषाहार की कमी अधिकतर प्रचलित है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् की पोषाहार परामर्श दात्री समिति ने इस प्रकार की कोई जांच नहीं की है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

तिलहन पेरने वाला उद्योग

*३४३. **श्री डाभी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २१ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुत पहले, तिलहन पेरने वाले उद्योग की जांच पड़ताल करने के लिये किसी समिति की नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख) . तिलहन पेरने वाले उद्योग की जांच पड़ताल करने के लिये समिति बनाने तथा निर्देश की शर्तों के बारे में अभी अंतिम रूप से कोई निश्चय नहीं हुआ है ।

श्री डाभी : क्या समिति की नियक्ति हो चुकी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, श्रीमान् । इस की नियुक्ति होने वाली है ।

श्री डाभी : इस की नियुक्ति कब तक होगी ?

डा० पी० स० देशमुख : अधिक समय नहीं लगेगा, लगभग ६ सप्ताह या कुछ अधिक ।

एयर इंडिया इंटरनेशनल

*३४४. **श्री इब्राहीम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया इन्टरनेशनल लिमिटेड को सुपर कान्स्टीलेशन एयरक्राफ्ट क्रय करने के लिये कितना धन पेशगी दिया गया है ; और

(ख) पेशगी देने के निबन्धन तथा शर्तें क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड को १०४९-सी किस्म के दो सुपर कान्स्टीलेशन एयरक्राफ्ट क्रय करने पर जो रुपया व्यय करना होगा उस के आंशिक भुगतान के लिये फरवरी १९५३ में २५ लाख रुपया स्वीकृत किया गया था ।

(ख) इस ऋण पर ४ १/२ प्रतिशत प्रति वर्ष व्याज लिया जायेगा, मूलधन तथा व्याज आठ बराबर बराबर की किश्तों में वापिस देना होगा; और ऋण लेने की तिथि से एक साल के भीतर पहली किश्त देनी होगी । विमान निगम अधिनियम, १९५३ के पारित हो जाने के बाद इन शर्तों का पुनरीक्षण करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि अब तक कितने सुपर कंसटेलेशन एयरक्राफ्ट चालू हैं और भविष्य में कितने और चालू किये जाने हैं ?

श्री राज बहादुर : दो सुपर कंसटेलेशन एयरक्राफ्ट जो पिछली मई और जून में पहुंचे थे वह चालू हैं और तीन के वास्ते आर्डर दिया जा चुका है और वह भी थोड़े दिन में आ जायेंगे ?

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह सत्य है कि जो सुपर कंसटेलेशन खरीदे गये हैं उन में कुछ इंजन में खराबी होने की वजह से इन को कुछ समय के लिये चालू नहीं रखा गया ?

श्री राज बहादुर : एक दो बार ऐसी शिकायत सुनने में मिली थी और जिस के बारे में उचित उपाय किया जा रहा है ।

श्री टी० एन० सिंह : यह जो उस में उधार दिया जाता है, एक साथ दिया जाता है या नई मशीनों की तरक्की के लिये रुपया अलग और उन का नुक्सान मिलाने के लिये

रुपया अलग है, इस किस्म का उधार देते हैं या एक साथ देते हैं ?

श्री राज बहादुर : एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड को पिछले वर्ष नुक्सान नहीं हुआ है बल्कि २६ लाख का फायदा हुआ है । नुक्सान से ऐसे लोन का कोई सम्बन्ध नहीं है । लोन जिस प्रकार कम्पनी को दिया गया है उस का ब्यौरा इस प्रकार है:

१९५२-५३ के लिये २५ लाख का लोन कम्पनी को साढ़े चार परसेंट इंटरेस्ट की दर पर ग्रान्ट किया गया था । १९५३-५४ के लिये लोन २५ लाख रुपये है और केपिटल के रूप में १९५३-५४ के लिये ८७ लाख रुपये है । १९५४-५५ के लिये ५१·०० और ६०·०० लाख का प्राविज़न है ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : प्रश्न की मूल सूचना हिन्दी में मिली है । मैं समझता हूं कि मैं हिन्दी तथा अंग्रेजी में उत्तर दे सकता हूं ।

रेलवे कर्मचारी

*३४६. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलती हुई गाड़ी में टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों को उसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलता जैसा कि चलती रेलों पर काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों को मिलता है ।

(ख) क्या कारण है कि उन्हें मीलवार भत्ता नहीं मिलता जब कि अन्य कर्मचारियों को मिलता है ; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिये रेलवे मंत्रालय क्या उपाय कर रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, उन्हें उतना ही दैनिक भत्ता मिलता है जितना चलती गाड़ियों पर दूसरे रेलवे कर्मचारियों को, सिवाय उन रेल कर्मचारियों के जिनकी देख-रेख में गाड़ी चलती है ।

(ख) मील वार भत्ता केवल उन कर्मचारियों को ही दिया जाता है जिन की देख-रेख में गाड़ी चलती है, । इन में ड्राइवर, फायरमैन, गार्ड और ब्रकस्मैन शामिल हैं । दूसरे सभी रेल कर्मचारियों, जो चलती गाड़ियों पर काम करते हैं, जसे टिकट परीक्षक, पारसल क्लर्क, हस्माल, निरीक्षक आदि नियमानुसार सामान्य दैनिक भत्ता पाते हैं ।

(ग) इस में असमानता का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री म० एल० द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि गार्ड अथवा चलती रेलों में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा टिकट परीक्षकों का कार्य अधिक जोखिम कार्यशीलता तथा सतर्कता पूर्ण है ? यदि हां, तो फिर अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा टिकट परीक्षकों के साथ यह विभेद क्यों किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : खेद है कि यह प्रश्न जानकारी के लिये नहीं अपितु केवल मामले को बढ़ाने की दृष्टि से पूछा गया है ।

श्री म० ल० द्विवेदी : एक गार्ड तथा टिकट परीक्षक को दिये जाने वाले भत्ते में क्या अन्तर है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इस के आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अन्तर कितना है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री नम्बियार: क्या यह सच नहीं है कि अन्य रेलों की अपेक्षा दक्षिण रेलवे के टिकट परीक्षकों को कम भत्ता मिलता है ?

श्री अलगेशन: ऐसा तो नहीं होना चाहिये ।

श्री नम्बियार : क्या यह सच नहीं है कि उन्हें सब मिला कर कुल ३२ रुपये भत्ते के मिलते हैं जब कि दूसरों को २ रुपये ४ आने प्रति दिन के हिसाब से मिलता है ।

श्री अलगेशन: संभवतः इसी रूप में भत्ता उन्होंने स्वीकार किया है ।

परिवार आयोजन

*३४७. **श्री वी० पी० नायर:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई परिवार आयोजन तथा जन संख्या नियंत्रण गवेषणा के अधीन, कोई ऐसी विशिष्ट गवेषणा भी की गई है जिस से कि विभिन्न आय वाले वर्गों पर अल्प पोषण से सन्तानोत्पत्ति पर होने वाले प्रभावों का पता लगा सके ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) अब तक इस प्रकार की कोई विशिष्ट गवेषणा नहीं की गई है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्रोटीनों की कमी से मानव-सन्तानोत्पत्ति में वृद्धि होती है ?

राजकुमारी अमृतकौर : सरकार को यह ज्ञात है कि विशेषतः ज्योग्राफी आफ इंगर (सुधा का भूगोल) नामक पुस्तक में यह मत प्रतिपादित किया गया है । डाक्टरी गवेषणा को भारतीय परिषद् की पोषण सलाहकार समिति ने पिछले वर्ष नवम्बर में वास्तव में इस सम्बन्ध में, विशेष गवेषणा करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी । हम परिणामों का निश्चय करने के लिये तथ्य और आंकड़े एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है, कि, पंजाब ऐसे राज्य की, जहां दूध तथा मांस की खपत अधिक है; सन्तानोत्पादक शक्ति, मद्रास तथा त्रावनकोर-कोचीन के राज्यों से, जहां कि, प्रोटीन की खपत का औसत केवल खाद्यान्नों का ही प्रोटीन है, बहुत कम है ?

राजकुमारी अमृतकौर: यही तथ्य अब तक उपलब्ध हैं ।

श्री वी० पी० नायर: जन गणना की रिपोर्ट के परिणामों तथा केन्द्रीय सरकार के कहने पर संचालित जन संख्या गवेषणा को ध्यान में रख का क्या सरकार चूहों, विलायती सूअरों तथा खरगोशों पर विशेष रूप से प्रोटीन की कमी से बच्चों की उत्पत्ति पर होने वाले प्रभाव को ध्यान में रख कर, गवेषणा कराने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

राजकुमारी अमृतकौर: समिति की एक सिफारिश यह है कि पशुओं पर सावधानीपूर्ण प्रयोग आवश्यक हैं ।

श्रीमती जयश्री: क्या सन्तानोत्पत्ति पर राज्यवार भी गवेषणा की गई हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर: इस समिति ने केवल चावल के भोजनों के सम्बन्ध में ही गवेषणा की । हम ने यहां तक कर लिया है । हम विभिन्न राज्यों में अधिक गवेषणा कराने का प्रयत्न करेंगे :

शाहनवाज़ समिति का प्रतिवेदन

*३४८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री पहली सितम्बर, १९५४ को अतारांकित प्रश्न संख्या १८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहनवाज़ समिति, जिस ने रेल-दुर्घटनाओं की जांच की थी, के प्रतिवेदन का परीक्षण किसी अन्य समिति द्वारा पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखेगी ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, तथा वे किस सीमा तक कार्यान्वित की गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) पुनर्निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन परीक्षाधीन है तथा परीक्षणोपरान्त उस की एक प्रतिलिपि सभा के पुस्तकालय में रखी जायेगी ।

(ग) भाग 'ख' के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सरकार शीघ्रता से परीक्षण करने का विचार कर रही है क्योंकि पिछले बजट के दौरान जब रेलवे मंत्री ने कहा था कि वह शाहनवाज़ समिति का मूल प्रतिवेदन एक महीने में चाहते हैं, [तो प्रतिवेदन भेजने में उन्हें ५ महीने लगे, और बाद में वह इस सामति को भेजा गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि मूल शाहनवाज़ प्रतिवेदन अनुवर्ती शाहनवाज़ समिति को क्यों निर्दिष्ट किया गया ?

श्री अलगेशन : तत्पश्चात्, राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार परिषद की समिति की बैठक हुई । वे इस समिति के परीक्षण में शामिल होना चाहते थे । इसलिये इस समिति के कुछ सदस्यों को परीक्षण में शामिल कर लिया गया यही पुनर्निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन है जो कि इस समय परीक्षणाधीन है । हम परीक्षण में शीघ्रता करने तथा उस पर कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : किस समय तक इन सिफारिशों का अन्तिम रूप से निश्चय हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मेरे विचार से इस में एक महीने से अधिक समय नहीं लगेगा । मैं यह भी कह दूं कि शाहनवाज़ समिति से तीन महीने के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था तथा उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया । उन्होंने देर नहीं की ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या रेलवे बोर्ड द्वारा विभागीय जलपान-व्वस्था संबंधी सिफारिशें कार्यान्वित कर ली गई हैं । यदि हां, तो कितने स्टेशनों पर विभागीय जलपान-व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : ये दो चीजें बिल्कुल भिन्न हैं । यह प्रश्न दुर्घटना जांच समिति से सम्बन्ध रखता है । माननीय सदस्य जलपान-व्यवस्था सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं ।

उष्मीय वातावरण सम्बन्धी स्वास्थ्य परामर्शदाता

*३४९. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० डब्ल्यू० एफ० एशे नाम के एक अमेरिकन विशेषज्ञ उष्मीय वातावरण सम्बन्धी स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त हुए [हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) जी हां ।

(ख) उन की नियुक्ति दो वर्ष के लिये है । वेतन, मार्ग-व्यय तथा भत्ता अमरिकी सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, केवल देश के भीतर की यात्रा तथा सचिवालय सम्बन्धी व्यय भारत सरकार वहन करेगी । मैं यह भी कह दूं कि डा० एशे को अमेरिका में किसी महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेना था इस लिये वह पहिले ही भारत से चले गये हैं । जब भी उन की आवश्यकता होगी, वे वापस भारत आ जायेंग ।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या उन्होंने कपड़े के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने की कोई योजना रखी है ? वह यहां यह निश्चय करने आये हैं कि क्या कुछ विशेष अवस्थाओं में भारतीय श्रमिक अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं । क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई): इस प्रश्न की परीक्षा वातावरण के दृष्टिकोण से की जायेगी । यदि काम करने वालों की दशा अच्छी होगी तो उन की कुशलता बढ़ती जायेगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या सरकार श्रमिकों के सम्बन्ध में नये तथ्यों को एकत्र कर के, आचरण संहिता अथवा उसी प्रकार की कोई नई पुस्तक संकलित करना चाहती है ?

श्री के० के० देसाई: हम पहिले इस विशेषज्ञ का प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे ।

परिवार आयोजन केन्द्र

*३५०. **श्री इब्राहीम**: क्या स्वास्थ्य मंत्री ३० सितम्बर, १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में कितने परिवार आयोजन केन्द्र खोले गये हैं, तथा अब तक उन में क्या प्रगति हो चुकी है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): विभिन्न राज्य सरकयरों से अभी तक जानकारी एकत्र की जा रही है, तथा उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

श्री इब्राहीम: इन केन्द्रों द्वारा कितने व्यक्तियों की सेवा की जाती है ।

श्रीमती चन्द्रशेखर: मैं व्यक्तियों की संख्या नहीं बता सकूंगी । जिन राज्यों ने धन के लिये प्रार्थना की है उन में से कच्छ, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, मद्रास को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है । और कई राज्यों ने भी प्रार्थना की है । चौंतीस अन्य केन्द्र स्थापित करने हैं । और यह योजना सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: जहां तक परिवार योजना का सम्बन्ध है, ग्रामीण जनता के संकोच को दूर करने के क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): यथा संभव स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जा रही है । ये नये केन्द्र ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या प्रशिक्षण केन्द्रों को राज्यवार अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा दिये गये २० लाख रुपये में से कितने रुपये दिये जा जा चुके हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : यह सब राज्यों की मांग पर निर्भर है । जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी कहा है, पांच राज्यों ने धन के लिये प्रार्थना की है और १,५०,००० रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं । १,५०,००० रुपये की राशि के लिये अन्य प्रस्ताव आये हैं, जिन पर जल्दी ही स्वीकृति दी जायेगी ।

रेलवे कर्मचारी

*३१४. **श्री साधन गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन रेलवे कर्मचारियों को, जिन्हें राजयक्ष्मा से पीड़ित होने के कारण सेवा से मुक्त किया जाता है, स्वस्थ होने पर पुनः सेवा में नियुक्त किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारियों को उन की इस प्रकार की पुनः नियुक्ति पर उन की पिछली सेवाओं का भी श्रेय दिया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, जब क्षय रोग के विशेषज्ञ उनका इलाज करने के बाद उन्हें इस प्रकार का प्रमाणपत्र देते हैं कि वे अब रोग से मुक्त हैं और काम कर सकते हैं ।

(ख) जब ऐसे व्यक्तियों को स्थाई पदों पर पुनर्नियुक्त किया जाता है तो उन को इस शर्त पर बिना बारी के स्थाई बनाया जाता है कि इस पुनर्नियुक्ति से पहले वे स्थाई रह चुके हों । यदि बीमारी से पहले वे अस्थाई रहे हों तो उन की पहले की सेवा को गिना जाता है और अपनी बारी पर उन्हें स्थायी बनाया जाता है । उन की पुनर्नियुक्ति पर इस बात का ध्यान रख कर उन का वेतन निश्चित किया जाता है कि जहां तक हो सके बीमारी पर सेवायुक्त होने के समय के वेतन से बाद का यह वेतन कम न हो ।

श्री साधन गुप्त : क्या कारण है कि इन कर्मचारियों को इनकी विगत सेवा के आधार पर सभी प्रकार का श्रेय नहीं दिया जाता जब कि नौकरी छोड़ने में इन का कोई भी दोष नहीं होता ?

श्री अलगेशन : इसे उन का दोष नहीं कहा जा सकता । वे वास्तव में, सेवा के योग्य नहीं थे क्यों कि वे राजयक्षमा से पीड़ित थे । यह उन मामलों के सम्बन्ध में है जिन्होंने अधिक से अधिक छट्टी ली है । स्थायी कर्मचारियों को इस सिलसिले में पांच वर्ष मिलते हैं । उन की वापसी पर यदि उन्हें पूर्ण स्वस्थ और काम करने के योग्य होने का प्रमाणपत्र मिला हो, उन्हें यह रियायत दी जाती है, और यदि उन्हें पुनः काम में लिया जाता है तो उन की पहली सेवाओं को भी गिना जाता है । उन्हें बारी में न होने के बावजूद भी पदोन्नति किया जाता है ।

श्री नम्बियार : मैं जानना चाहता हूं. . . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है ।

श्री नम्बियार : अभी आधा मिनट बचा है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं कह चुका हूं कि प्रश्न काल समाप्त हो चुका है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

डी० टी० एस० कर्मचारियों की हड़ताल

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २. श्री डाभी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि रविवार, २१ नवम्बर, १९५४ को दिल्ला में सार्व-

जनिक परिवहन ठप हो गया था और दिल्ली परिवहन सेवा की अधिकतर बसें शहर में नहीं चली थीं ;

(ख) क्या उपरोक्त स्थिति अब भी जारी है ;

(ग) उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : आप की आज्ञा से मैं एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करूंगा ।

तारीख २१ से २३ नवम्बर, १९५४ तक दिल्ली परिवहन सेवा का कार्य अंशतः बन्द रहा था क्यों कि अधिकतर चालकों ने, जो काम पर आये थे, इस निश्चित आधार पर सड़क पर गाड़ियां ले जाना अस्वीकार कर दिया कि वे दोषपूर्ण थीं और मोटर-गाड़ी अधिनियम, १९३९ की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं थीं । उन की इस अस्वीकृति से काम में लायी जाने वाली कुल २२६ मोटर गाड़ियों में से लगभग १३० गाड़ियां प्रभावित थीं ।

२. प्रबन्ध ने दिल्ली राज्य के मोटर-गाड़ी निरीक्षणालय द्वारा विवादग्रस्त सभी गाड़ियों के तदर्थ निरीक्षण की व्यवस्था की । २३ नवम्बर तक कुल १७२ गाड़ियां ठीक और चलने योग्य प्रमाणित की गईं ।

३. दिल्ली परिवहन सेवा कर्मचारी संघ ने अनेक विषयों से सम्बन्धित कई मांगें प्रबन्ध से की थी इन मांगों के सम्बन्ध में प्रबन्ध और संघ के बीच चर्चा हो रही है और इस के पूर्व कि प्रबन्ध उन पर अंतिम रूप से विचार करे, संघ ने एकाएकी काम बन्द कर के इस कार्य की गति को तीव्र करने के लिये बाध्य करना वांछनीय समझा ।

४. उपयुक्त डीपो और अच्छे वर्कशाप का अभाव दिल्ली में सेवा के अधिक कुशलता पूर्वक कार्य करने में सब से मुख्य कठिनाई थी । तब से दो बड़े बड़े डीपो बनाये गये हैं और उन में से एक काम में भी आ रहा है । कर्मचारी ज्यों ही काम प्रारम्भ कर देंगे दूसरे नये डीपो से काम चालू हो जायेगा । एक बड़े वर्कशाप की इमारत लगभग पूरी हो गयी है और अगले कुछ दिनों में समस्त उपकरणों को इस इमारत में स्थानान्तरित कर दिया जायगा । दिसम्बर, १९५४ के अन्त तक वर्कशाप नयी इमारत में काम करने लगेगा । १४० नई बसों के लिये आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं और १९५५ के मध्य तक सेवा के पास कुल ४०० बसें हो जायेंगी ।

५. चालकों द्वारा काम शुरु करने का प्रश्न २२ और २३ नवम्बर को सौमनस्य अधिकारी के समक्ष प्रबन्ध और संघ के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई और साधारण कार्यकरण आज से प्रारम्भ हो गया है ।

६. यह दुर्भाग्य है कि एकाएक काम बन्द हो जाने से जनता को बहुत असुविधा हुई है । मुझे प्रसन्नता है कि कर्मचारियों ने काम प्रारम्भ कर दिया है ।

श्री डाभी: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि अनेक डी० टी० एस० की बसें, जिन में कुछ नई बसें भी हैं दोषपूर्ण हैं और उन में ऐसे भाग जैसे स्पीयडोमीटर (गति सूचक यंत्र) अगली और पिछली बत्तियां इत्यादि नहीं हैं ; उन की खिड़कियों के शीशे और हवा रोकने वाले शीशे बार बार टूट जाते हैं और वे नियत समय पर नियमित रुप से नहीं चलती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इन विस्तारों म जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं । अब हड़ताल समाप्त हो गई है ?

श्री डाभी: क्या मैं जान सकता हूं कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि डी० टी० एस० सर्विस के विरुद्ध तथा उस के कर्मचारियों की कार्यक्षमता और असहयोग के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें की गयी हैं। क्या सरकार इस विषय में कोई जांच करने का विचार रखती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): मेरे विचार से माननीय सदस्य कर्मचारियों और चालकों को यह सलाह दें कि वे इस नगर की जनता के साधारण हितों पर ध्यान दें और इस प्रकार की हड़तालें न किया करें ।

श्री नम्बियार उठे--

श्री डाभी : मैं जानना चाहता था . . .

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं कि परिवहन तथा वित्त मंत्रालय में विलंब होने के कारण प्रबन्ध तथा कर्मचारी संघ में पहले किये गये कतिपय सामूहिक करारों का कार्यान्वित किया जाना रोक दिया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: अधिकतर मांगें पूरी कर दी गयी हैं और कुछ वित्त मंत्रालय को निर्देश की गई थीं और वे अभी विचाराधीन हैं ।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं कि यह तथ्य है कि सरकार ने डी० टी० एस० प्रबन्ध को औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम से मुक्त कर दिया है और इस प्रकार प्रबन्ध के लिये यह अनिवार्य कर दिया है कि स्थायी आदेश जारी करते समय वह श्रम संघ से परामर्श ले ?

श्री अलगेशन: प्रबन्ध श्रम संघ से परामर्श कर रहा है । सबसे नवीनतम मांगें भी प्रबन्ध और संघ के बीच विचाराधीन हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव उठे--

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगला कार्य करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेडियो अनुज्ञप्तियों की जांच

*२०७. **सरदार इकबाल सिंह:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो अनुज्ञप्तियों की जांच पिछली बार कब की गई थी ;

(ख) १९५४ में अब तक कितने ऐसे मामले पकड़े गये जिन में रेडियो बिना अनुज्ञप्ति के काम में लाया जा रहा हो ; और

(ग) क्या अनधिकृत रेडियो सैट रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर): (क) बेतार का तार के साधनों तथा रेडियो सैटों के अनधिकृत रूप से रखे जाने को रोकने के लिये नियुक्त विशेष चोरी-विरोधी कर्मचारियों के द्वारा स्क्रीनिंग प्रणाली के अनुसार वर्ष भर जांच की जाती है ।

(ख) जनवरी से जून १९५४ तक के छै महीनों में ९३५२ व्यक्ति ऐसे पाये गये जो बिना अनुज्ञप्ति के रेडियो का उपयोग कर रहे थे ।

(ग) हां ।

राज्य चिकित्सकीय संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता

*२१७. **सरदार इकबाल सिंह:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने चालू वर्ष में भारत सरकरा से विशिष्ट अस्पतालों और

चिकित्सकीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता दिये जाने की प्रार्थना की है ;

(ख) उन में से कितने को सहायता दी जा रही है और किस हद तक ; और

(ग) क्या भारत सरकार को उपरोक्त उद्देश्य के लिये पंजाब सरकार से कोई विशेष प्रार्थना प्राप्त हुई है और वह कहां तक पूरी की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) पांच ।

(ख) इन में से एक संस्था को चालू वर्ष में ६०,५०० रुपये अनावर्ती भी अनुदान की मंजूरी देने का अब तक निश्चय किया गया है । पहले किसी को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी थी ।

(ग) नहीं ।

अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन परामर्शदात्री समिति

*३०७. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि दिसम्बर, १९५३ में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन परामर्शदात्री समिति की बैठक लाहौर में हुई थी और उस में "मध्य पूर्वी तथा दक्षिण एशियाई देशों में तार और टेलीफोन व्यवस्था में परस्पर सम्बन्ध कायम करने के विषय पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में वस्तुतः क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या अपेक्षित संख्या में सर्किट उपलब्ध है जिस से कि भारत इन प्रदेशों के साथ होने वाले यातायात के लिये संक्रम केन्द्र बन सके ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हा

(ख) तथा (ग). अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन परामर्शदात्री समिति की जनरल ट्रंक स्विचिंग कमेटी को उप समिति की सिफारिशों पर विचार करना था और अनुमोदन देना था । जनरल ट्रंक स्विचिंग कमेटी तथा अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन परामर्शदात्री समिति की १७वीं पूर्ण समिति ने अभी हाल (सितम्बर-अक्टूबर १९५४) के अधिवेशन में इन सिफारिशों पर विचार किया है । उस समिति के शासकीय प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है । उस के प्राप्त होने पर ही, योजना को कार्यान्वित करने के लिये कोई वास्तविक कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

बीमा कर्मचारी

*३१०. **पंडित एस० सी० मिश्र :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह तथ्य है कि बीमा कर्मचारियों के लिये कोई निश्चित वेतन-क्रम अथवा सब के लिये लागू होने वाली नोकरी-शर्तें नहीं हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों के काम करने की दशा को सुधारने के लिये सरकार किन उपायों को काम में लाने की प्रस्थापना करती है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) तथा (ख). जहां तक सरकार को ज्ञात है, बड़ी बीमा कंपनियों में कर्मचारियों के लिये निश्चित वेतनक्रम हैं । यदि "सब के लिये लागू होने वाली शर्तों" से माननीय सदस्य का आशय किसी अखिल भारतीय संहिता से हो जो सभी बीमा कर्मचारियों पर लागू हो, तो उत्तर स्वीकारात्मक है । सरकार अखिल भारतीय आधार पर कोई कार्यवाही करने की प्रस्थापना नहीं करती है ।

रेलों का पुनर्वर्गीकरण

*३११. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर उस कार्य से प्राप्त अनुभव के आधार पर पुनः विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् । किन्तु पुनर्वर्गीकृत रेलों के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का रेलवेज़ और रेलवे बोर्ड द्वारा सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता है ।

प्लास्टिक शल्प क्रिया

*३१३. **श्री एस० के० रज़मी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में ऐसे कितने अस्पताल हैं जहां प्लास्टिक शल्प क्रिया की व्यवस्था है ;

(ख) क्या कोई ऐसा अस्पताल भी है जहां मुख्य सम्बन्धी प्लास्टिक शल्प क्रिया की जाती हो ।

(ग) यदि नहीं, तो क्या उस प्रकार का कोई अस्पताल खोलने की कोई प्रस्थापना है ;

(घ) क्या भारत में उसे प्रदर्शित करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों को कोई निमंत्रण भेजा गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किन व्यक्तियों को निमंत्रित किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) तथा (ख). प्लास्टिक शल्य क्रिया, जिस में मुख्य सम्बन्धी प्लास्टिक शल्य क्रिया भी सम्मिलित है, देश के अधिकतर बड़े अस्पतालों में की जाती है । इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि केवल प्लास्टिक शल्प क्रिया करने वाले कोई विशिष्ट अस्पताल नहीं हैं, उन की संख्या देना संभव नहीं है ।

(ग) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(घ) तथा (ङ) . हां । आस्ट्रेलिया के प्लास्टिक शल्प चिकित्सक डा० बी० के० रन्क को प्लास्टिक शल्प क्रिया की पद्धतियां और टेकनिक का प्रदर्शन करने के लिये निमंत्रित किया गया है ।

खनन बोर्ड तथा समितियां

* ३२०. **श्री नानादास :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आंध्र की अभ्रक की खानों के लिये खान अधिनियम, १९५२ के अंतर्गत कोई खनन बोर्ड तथा समितियां बनाई गई हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : अभी नहीं । ऐसे बोर्डों तथा समितियों के स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है ।

इंगलिस्तान के वक्षस्थल सम्बन्धी रोग विशेषज्ञ

*३२१. **श्री सी० आर० अय्युण्णि :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कितने वक्षस्थल सम्बन्धी रोग विशेषज्ञ इंगलिस्तान से भारत आये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : कोई भी नहीं ।

भूमि संरक्षण

*३२६. **श्री के० सी० सोधिया:** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में विभिन्न प्रादेशिक गवेषणा तथा प्रशिक्षण केन्द्रों ने क्या कार्यक्रम आरंभ किया है ; और

(ख) प्रत्येक केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की कुल संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) दो प्रादेशिक गवेषणा तथा प्रशिक्षण केन्द्र कोटा तथा देहरादून में स्थापित किये जा चुके हैं। बेल्लारी तथा उटकमंड में दो और केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। इस से पहले स्थापित जोधपुर में स्थित मरुभूमि वनरोपण गवेषणा केन्द्र को केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड ने अपने अधिकार में ले लिया है। इन प्रादेशिक केन्द्रों तथा जोधपुर के गवेषणा केन्द्र द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रमों से सम्बन्धित का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ख) इन में से प्रत्येक केन्द्र में प्रति वर्ष २० व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया जायेगा।

पाकिस्तान के चावल का आयात

*३२८. **श्री तुलसी दास:** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान से भारत में चावल आयात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने परिमाण का आयात किया गया है और उस का कारण क्या है ;

(ग) यह सरकार द्वारा आयात किया गया था या गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा ; और

(घ) इसे किस मूल्य पर क्रय किया गया था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) और (ख). त्रावनकोर-कोचीन सरकार पाकिस्तान सरकार से अपने हिसाब में २६,००० टन सिंध जोशी सेला चावल आयात कर रही है। अभी तक माल आया नहीं है, परन्तु शीघ्र ही आने की आशा की जाती है। यह आयात सेला चावल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा राज्य को उपभोक्ताओं को चावल बेचने में होने वाली हानि को बचाने के लिये किया जा रहा है। इस परिमात्रा के अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष में लगभग ८०० टन चावल गैर-सरकारी व्यापार द्वारा आयात किया गया था।

(ग) यह आयात त्रावनकोर-कोचीन सरकार साधारण व्यापारियों के द्वारा कर रही है।

(घ) व्यापारियों ने पाकिस्तान को कितना मूल्य दिया है इस के सम्बन्ध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

दिल्ली सुधार प्रन्यास

*३२९. **डा० रामा राव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सुधार प्रन्यास ने अंधा मुगल शरणार्थी बस्ती, दिल्ली के क्वार्टर, विस्थापित व्यक्तियों को स्थायी पट्टे पर अलाट किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह क्वार्टर कब अलाट किये गये थे ;

(ग) क्या इन क्वार्टरों को स्वत्व-पत्र इन में निवास करने वालों को दे दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) और (ख). अभी तक ऐसा कोई अलाटमेंट नहीं किया गया है, परन्तु प्रन्यास ने निश्चय किया है कि अंधा मुगल बस्ती के कुछ कुवार्टरों को जिन पर विस्थापित व्यक्तियों ने अनाधिकार रूप से कब्जा किया हुआ था, कुछ निबंधों तथा शर्तों के अनुसार जिन में से भूमि का स्थायी पट्टे पर दिया जाना भी सम्मिलित है, उन्हीं में रहने वालों को दे दिया जायें। समझा यह जायेगा कि ऐसे निवासियों ने इन क्वार्टरों पर १ दिसम्बर, १९४७ से कब्जा किया है।

(ग) अभी तक नहीं।

(घ) निवासियों ने जो धन दिया है उस के हिसाब के खाते तैयार किये जा रहे हैं।

सीमेन्ट उद्योग

*३३१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस बोर्ड ने जिस को सीमेंट उद्योग के लिये मंजूरी की आधारभूतन्यूनतम (मान्य) दरें निर्धारित करने के लिये बनाया गया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की सिफ़ारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित कब किया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) नहीं। बोर्ड अभी हाल ही में बनाया गया है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

चावल का उत्पादन

*३३२. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में चावल के उत्पादन का लक्ष्य कहां तक पहुंच गया है ;

(ख) क्या पंच वर्षीय योजना में निर्धारित की गई अधिकतम सीमा को प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन का परिमाण टनों में कितना टन है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). जून १९५५ में समाप्त होने वाले चालू कृषि-वर्ष के चावल के उत्पादन के प्राक्कलन के फरवरी १९५५ के अंत तक ही उपलब्ध होने की आशा की जाती है। १९५३–५४ में, भारत ने २ करोड़ ७१ लाख टन चावल पैदा किया, जब कि पंच वर्षीय योजना के अनुसार १९५५–५६ के लिये २ करोड़ ७२ लाख टन का लक्ष्य निश्चित किया गया था।

आगरा रेलवे स्टेशन

*३३३. **श्री राधा रमण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगरे के मुख्य स्टेशनों पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं को बढ़ाने का कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो आगरे के सभी प्रमुख स्टेशनों के सुधार का विस्तृत कार्यक्रम क्या है ;

(ग) कितना रुपया मंजूर किया गया है ;

(घ) उस में कितना रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देगी तथा कितना रुपया भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा ; और

(ङ) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) तथा (ङ). विस्तृत जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ग) लगभग २२ लाख रुपये ।

(घ) कुछ नहीं ।

सलीपरों की बदली

*३४५. **पंडित एस० सी० मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर, १९५४ तक इस वर्ष कुल कितने मील में रेल की पटरियों के सलीपरों की बदली की जा चुकी है ;

(ख) इस वर्ष के लिये क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि जो काम हो रहा है वह परिगणना से बहुत पीछे है ;

(घ) यदि हां, तो उस के कारण क्या हैं ; और

(ङ) इस कार्य को जल्दी पूरा कराने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३९३ मील ।

(ख) लगभग १५०० मील ।

(ग) अनुपात के हिसाब से हां । परन्तु प्रत्येक वर्ष में कार्य का अधिकांश भाग अक्टूबर तथा अप्रैल के बीच के समय में ही किया जाता है ।

(घ) समय पर सलीपरों का उपलब्ध न होना ।

(ङ) आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये देश के अन्दर से तथा विदेशों से सलीपर प्राप्त करने के यथासंभव सभी प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

रेलगाड़ियां

२८०. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर के कूही क्षेत्र की जनता ने मध्य भारत की छोटी लाइन पर नागपुर से मिवपुर को एक और गाड़ी के चलाये जाने के सम्बन्ध में एक प्रतिनिधान किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस के सम्बन्ध में क्या विनिश्चय किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं । परन्तु नागपुर तथा उमरेर के मध्य एक और गाड़ी के चलाये जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) नागपुर उमरेर सेकशन पर इस समय दोनों ओर से आने जाने वाली दो गाड़ियां हैं, जो कि इस सेकशन पर होने वाले यातायात के लिये पर्याप्त समझी जाती हैं ।

काजू

२८१. **सरदार हुक्मसिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में कुल कितने एकड़ भूमि में भारत में काजू की खेती की गई थी ;

(ख) इसी वर्ष में देश में कच्चे काजू का उत्पादन कितना था ; और

(ग) उसी अवधि में तैयार किये हुए काजू के निर्यात से भारत ने कितने डॉलर का अर्जन किया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). १९५३–५४ के प्राक्कलन अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। राज्यों द्वारा काजू की फसल के आंकड़ों का प्राक्कलन नियमित रूप से तैयार नहीं किया जाता है। १९५२–५३ के सम्बन्ध में कुछ राज्यों के तदर्थ आधार पर तैयार किये गये प्राक्कलन इस प्रकार हैं :—

राज्य	१९५२–५३	
	क्षेत्र (एकड़ों में)	उत्पादन* (टनों में)
आंध्र	२,५३४	७२०
बम्बई	४,६८७	२,८६५
उड़ीसा .	१,५०४	१,४७०
मैसूर	५०९	२०
त्रावनकोर-कोचीन	६७,२७६	४५,०५२
कुर्ग .	३०६	५५

*छिल्का समेत कच्चा काजू।

(ग) जानकारी मंगाई गई है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक विवाद

२८२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर तथा अक्टूबर, १९५४ में उद्योग तथा मज़दूरों के बीच हुए विवादों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन विवादों में से प्रत्येक से सम्बन्धित मज़दूरों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) इन विवादों के कारण कितने मनुष्य दिनों की हानि हुई ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) से (ग). सितम्बर, तथा अक्टूबर १९५४ में हुए विवादों के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं तथा तैयार होते ही उन को सभा पटल पर रख दिया जायगा।

बंगलौर का टेलीफोन कारखाना

२८३. **डित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वस्तुओं के क्या नाम हैं जो बंगलौर में टेलीफोन कारखाने में आवश्यकता से अधिक होने के कारण पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से भांडारों में पड़ी हुई हैं ;

(ख) ये वस्तुयें कारखाने द्वारा कितने वर्षों में खपाई जा सकेंगी ; और

(ग) भांडारों के इस आवश्यकता से अधिक क्रय के कारण कारखाने को अनुमानतः कितनी हानि होगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आवश्यकता से अधिक वस्तुयें मुख्यतया ये हैं :

(१) इस्पात के बने एंगल, बार (छड़े) रॉड (सलाख) ;

(२) अल्यूमीनियम स्ट्राइप (पत्तियां) और राड (सलाखें) ;

(३) तांबे के बार (छड़े) रॉड (सलाखें) और ट्यूब (नलियां) ;

(४) निकल सिलवर शीट (चादरें) स्ट्राइप (पत्तियां) और रॉड (सलाखें) ;

(५) पीतल और फास्फर ब्रोंज़ शीट (चादरें) और रॉड (सलाखें) ;

(६) एबोनाइट शीट (चादरें) ट्यूब (नलियां) और रॉड (सलाखें) ;

(७) फेनोल फाइबर ;

(८) मोम ; और

(९) स्विच बोर्ड के तार और हनेमिला तथा रेशम चढ़ा हुआ तांबे का तार ;

(ख) दो वर्ष की आवश्यकताओं से अधिक जो वस्तुयें हैं वे बेची जा रही हैं ।

(ग) हानि का ठीक ठीक अनुमान लगाना तब तक संभव नहीं है जब तक कि आवश्यकता से अधिक माल बेचा नहीं जाता है ।

वनस्पति के कारखाने

२८४. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय वनस्पति के कितने कारखाने चल रहे हैं ।

(ख) वे प्रति वर्ष कितने परिमाण में वनस्पति तैयार करते हैं ;

(ग) अब तक वनस्पति के कारखानों में कितनी पूंजी लगाई गई है और अभी उन में कितने आदमी काम कर रहे हैं ;

(घ) वनस्पति के मूल्य पर से कंट्रोल के हटाये जाने के बाद उस की किस्म और उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि यद्यपि कोजीकोडे में सरकारी हाइड्रोजिनेशन (उद्-जनन) फैक्टरी ने उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है तथापि वनस्पति का उत्पादन बढ़ गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) इस समय वनस्पति के कारखानों की कुल संख्या ४९ है जिन में से पन्द्रह बीस कारखाने नियमित रूप से नहीं चल रहे हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में वनस्पति का कुल उत्पादन इस प्रकार था :

१९५१ . .	१.७२ लाख टन
१९५२ . .	१.९० " "
१९५३ . .	१.९२ " "

(ग) इस उद्योग में लगभग २३ करोड़ रुपये लगाये गये हैं और लगभग ८००० आदमी काम कर रहे हैं ।

(घ) जून, १९५२ में वनस्पति के मूल्य पर से कंट्रोल हटाया जाने से उत्पादन के परिमाण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है ।

उस की किस्म पर कंट्रोल अभी भी जारी है और अब उसे और अधिक कड़ा कर दिया गया है । वनस्पति के पोषक तत्व को बढ़ाने के लिये उस में प्रति औंस ३०० आई० यू० स्तर तक संश्लेषित विटेमिन 'ए' मिलाया जाता है ।

(ङ) हां ।

भारत में मलेरिया और क्षय रोग

२८५. श्री वी० पी० नायर: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गये मलेरिया और क्षय रोग विरोधी आन्दोलनों के परिणाम स्वरूप इन रोगों की आवृति को कम करने में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ;

(ख) १९५०-५१ और १९५३-५४ में मलेरिया और क्षय रोग के अनुमानत: कितने रोगी थे ; और

(ग) इन दोनों रोगों को रोकने के लिये योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं तथा कार्यवाहियों में कुल कितना धन व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गये क्षय रोग विरोधी आन्दोलन के परिणाम को इतनी जल्दी नहीं आंका जा सकता है । इस के परिणाम तो आज से कई वर्षों बाद ज्ञात हो सकेंगे । इसी योजना के अन्तर्गत मलेरिया विरोधी आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप जहां तक सूचना प्राप्त है इस रोग की आवृति को न्यूनतम बनाने तथा उस के एक प्रदेशीय विस्तार को रोकने में सफलता मिली है किन्तु प्राप्त सफलता के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) मलेरिया और क्षय रोग सम्बन्धी विश्वस्त आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

(ग) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५३-५४ तक केन्द्रीय सरकार ने क्षय रोग विरोधी योजनाओं पर २०,८६,८३५ रुपये और मलेरिया विरोधी योजनाओं पर २,१७,५१,००० रुपये खर्च किये हैं । राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय की सूचना भारत सरकार को प्राप्त नहीं है ।

सड़क विनियोग

२८६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई सड़क परिवहन निगम में भारत सरकार ने ३१ मार्च, १९५४ तक कुल कितनी पूंजी लगाई ;

(ख) उस तारीख को निगम के कुल विनियोग में इस की प्रतिशतता कितनी थी ; और

(ग) १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार को इस पूंजी विनियोग से कुल कितना शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) ३३५.७५ लाख रुपये

(ख) ३३ १/३ प्रतिशत ।

(ग) १९५१-५२—७,६०,३२० रुपये
१९५२-५३—९,९८,०१८ रु० ४ आने,
१९५३-५४—१२,८९,५७३ रु० १० आने

रेलवे दुर्घटनायें

२८७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ अक्टूबर, १९५४ तक कुल कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) क्या सरकार को इस अवधि में हुई समस्त रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या इन प्रतिवेदनों की जांच करने पर इन सब दुर्घटनाओं का कोई समान कारण विशेष जान पड़ता है ;

(घ) इन दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप मृतकों की संख्या और गम्भीर रूप से आहत हुओं की संख्या कितनी है, और सरकार तथा जनता को कितनी क्षति पहुंची ; और

(ङ) दुर्घटनाओं के कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २७७२ रेल दुर्घटनायें हुईं, जिन में २४ दुर्घटनायें सवारी गाड़ियों की टक्करों और १७७ पटरी से उतर जाने की हुईं, तथा सवारी गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य गाड़ियों की टक्करों की ४३ घटनायें

और ८१० पटरी उतर जाने की हुईं। शेष १७१८ दुर्घटनायें टक्करों के बच जाने गाड़ियों के पृथक हो जाने, बन्द या गलत पटरियों पर गाड़ियों के आ जाने, गाड़ियों के सिगनलों के विरुद्ध चलने, लेविल क्रासिंग पर दुर्घटनायें होने, गाड़ियों में आग लग जाने, और गाड़ियों के बिना किसी अथवा किसी उचित प्राधिकारी के चल पड़ने की हुईं।

(ख) २५४९ मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं और शेष २२३ मामलों में उन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जी हां। २५४९ मामलों में से ९४७ घटनायें मानवीय दोष से हुईं और १२०५ मशीनों की गड़बड़ी से।

(घ) (१) मृतक-संख्या २८९

(२) गंभीर रूप से आहतों की संख्या १३५

(३) रेलवे सम्पति पहुंची क्षति का मूल्य लगभग रुपये १२६,०६,३३३

(ङ) जो कार्यवाही की गई उस में यह सम्मिलित हैं:

दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनीय कार्यवाही।

स्टेशनों के कार्यकरण की नियमपूर्वक जांच।

सामयिक पत्रों तथा परिपत्रों के द्वारा कर्मचारियों को सुरक्षा-नियमों का शिक्षण।

अधीक्षरण और नियंत्रण को कड़ा करना।

समय समय पर कर्मचारियों को सक्रिय तथा सतर्क रहने की चेतवानी देना और सुरक्षा की ओर उन का अधिक ध्यान दिलाना।

नियमित अवधि के पश्चात् शिक्षण स्कूलों में प्रत्यासंभरण (रिफ्रेशर) पाठ्यक्रमों का उपबन्ध।

मानवीय दोष को कम करने के लिये मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाना जैसे ब्लाक इंसट्रूमेंट्स को सिगनलों के साथ इंटरलाक करना पेपर लाइन क्लियर सिस्टम के स्थान पर ब्लाक इंटसट्रूमेंट्स के साथ टोकन वर्किंग प्रणाली का विशेषकर मीटर गेज विभागों में लागू किया जाना, दुहरी लाइन विभागों में लॉक और ब्लॉक इंसट्रूमेंट्स का लगाना। "फ्री" ब्लॉक इंस्ट्रमेंट्स को लॉक और ब्लाक इंस्ट्रूमेंट्स में बदलना इत्यादि।

स्थायी रेल पथों तथा इंजनों आदि का अधिक तथा अनेक बार निरीक्षण। सुरक्षा को सुविनिश्चत करने से सम्बन्धित कार्यों को विशेष प्राथमिकता का दिया जाना।

कुष्ट चिकित्सा

२८८. **श्री डी० सी० शर्मा:**
श्री कर्णी सिंह जी:

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में कुष्ट रोग की चिकित्सा के कितने केन्द्र काम कर रहे हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): कुष्ट रोगियों की चिकित्सा के लिये, उन ६४४ औषधालयों के अतिरिक्त जहां

इस रोग की आउट-डोर चिकित्सा की सुविधायें हैं। १२९ बस्तियों, मकान, रक्षा स्थान तथा अस्पताल हैं ।

बिजली से चलने वाले इंजन

२८९. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली से चलने वाले इंजनों और डिब्बों को प्राप्त करने के लिये कोई टेंडर मांगे गये हैं ;

(ख) अभी तक कितने टेंडर प्राप्त हो गये हैं और जिन से वे प्राप्त हुए हैं उन के क्या नाम हैं ; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम बार कितने मील रेल मार्ग को विद्युन्मय किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) कलकत्ता क्षेत्र के लिये बिजली से चलने वाले इंजनों और डिब्बों के संभरण के हेतु अभी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। इन्हें प्राप्त करने की अंतिम तिथि ३ जनवरी, १९५५ है। बम्बई क्षेत्र को बिजली से चलने वाले डिब्बों के संभरण के लिये बीस आवेदन प्राप्त हुए हैं। क्योंकि इन आवेदनों की अभी गुप्त रूप से जांच की जा रही है, अतः पूछे गये विवरण को इस समय बताना लोक हित के विरुद्ध होगा ।

(ग) पूर्वी रेलवे में मुख्य लाइन पर हावड़ा और बर्दवान के बीच तथा तारकेश्वर शाखा में कुल मिला कर ८८ मील ।

रेलवे पर दावे

२९०. **श्री एस० सी० सिंघल :** क्या **रेलवे** मंत्री सभा पटल पर इस सूचना को देने वाले एक विवरण को रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन द्वारा पिछले तीन वर्षों में टूटी फूटी तथा खोई हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में कितने दावे तथा प्रति कर की कितनी रकम तय की गई ;

(ख) उस अवधि में किये गये दावों की संख्या तथा उन के सम्बन्ध में मांगा गया प्रतिकर ;

(ग) उन दावों की संख्या तथा रकम जिन के सम्बन्ध में अदालतों में मुकदमे चलाये गये हैं और उन के सम्बन्ध में अदालतों ने क्या निर्णय किये ;

(घ) मुकदमेबाज़ी में सरकार का कितना व्यय हुआ ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में रेलवे के दावा विभाग के संस्थापन तथा अन्य कार्यों पर कितना व्यय हुआ ; और

(च) दावों की सूचना प्राप्त होने पर विभाग में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (च). पूछी गई सूचना देने वाला एक विवरण सम्बद्ध है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१**)

बचत-बैंक लेखों में चैक प्रणाली

२९१. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **संचार** मंत्री ५ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन डाकखानों की संख्या जिन में बचत-बैंक लेखों के कार्य करण में चैक प्रणाली चालू की गई है ; और

(ख) यह प्रणाली कैसी चल रही है ?

संचार उप-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह प्रणाली अभी तक किसी डाकखाने में चालू नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गंटूर में तम्बाकू का पुनः शुष्कीकरण संयन्त्र

२९२. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंटूर के तम्बाकू पुनःशुष्कीकरण संयन्त्र को बेच दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य पर ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे इंजन

२९३. **श्री सी० आर० अय्युण्णि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५३ में तथा इस वर्ष के प्रथम अर्द्धांश में चितरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी में कितने इंजन तथा बायलर बनाये गये ; और

(ख) गुणों तथा मूल्य की तुलना में यह अन्य कारखानों से खरीदे गये इंजनों के मुकाबिले में कैसे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उप-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५३ में ५४ पूरे इंजन ।

१९५४ के पूर्वार्द्ध में ४० पूरे इंजन ।

(ख) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाये गये इंजनों तथा विदेशों से खरीदे गये इंजनों के साधारण रूपांकण कर्मकौशल तथा गणों में कोई अन्तर नहीं है । चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बने एक इंजन की लागत, कारखाने की पूंजी लागत पर देय ब्याज के अतिरिक्त लगभग ५·३२ लाख रुपये हैं, जब कि उसी प्रकार के हाल ही में विदेशों से मंगाये गये इंजनों का अनुमानित तटीय मूल्य ५·२५ लाख रुपये से ५·५० लाख रुपये तक है ।

रेलवे स्टोर

२९४. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शकूर बस्ती जनरल स्टोर में रेलवे का माल बरसाती पानी के कारण खराब हो रहा है ;

(ख) क्या माल को स्टोर करने का ठीक प्रबन्ध नहीं किया गया ; और

(ग) इस प्रकार खराब होने वाले माल का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

भूली में क्वार्टर

२९५. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूली में श्रमिकों के लिये कुछ क्वार्टरस बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ; और

(ग) क्या इन पर कब्जा कर लिया गया है, तथा यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) जी हां ।

ख) १५६६ ।

(ग) ७०९ मकानों में आबादी है। शेष क्वार्टर खाली पड़े हैं। खदान कम्पनियां साधारणतया इस उपनगर में मकान लेने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उन को श्रमिकों की ओर से ६ रुपये प्रति मकान प्रति माह किराया देना पड़ता है, तथा यदि कोयले की खान भूली उपनगर से दो मील की दूरी पर हो, तो उन को मुफ्त यातायात का प्रबन्ध करना होता है।

पंचायतें

२९६. सेठ गोविन्द दास : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन राज्यों में पंचायतें नहीं हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): अजमेर तथा त्रिपुरा।

यात्रा की सुविधायें

२९७. सेठ गोविन्द दास : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित श्रेणियों के एकाकी यात्रियों को गाड़ियों में क्या क्या सुविधायें दी गई हैं:

(क) पत्रकार ;

(ख) विद्यार्थी ;

(ग) अध्यापक ;

(घ) तीर्थयात्री ;

(ङ) प्रदर्शिनी को देखन के लिये जाने वाले ; और

(च) सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि तथा प्रेक्षक ?

रेलवे तथा परिवहन उप-मंत्री (श्री अलगेशन): रेल में अकेले यात्रा करते समय प्रश्न में दी गयी विभिन्न श्रेणियों को रेल भाड़े के सिवाय और कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती है।

रियायत देने के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

(क) भारत सरकार द्वारा प्रमाणित दिल्ली के प्रेस समवाददाताओं को पहले और दूसरे दर्जे के लिये रियायती दर पर मील-कूपन दिये जाते हैं।

(ख) और (ग). अकेले यात्रा करने पर विद्यार्थियों को और अध्यापकों को कोई रियायत नहीं दी जाती है।

(घ) यदि व्यवसायिक दृष्टि से उचित हो और यातायात की सुविधायें दी जा सकती हों, तो उत्सवों और मेलों में जाने वाले यात्रियों को ड्योढ़े और तीसरे दर्जे के रियायती वापसी टिकट दिये जाते हैं।

(ङ) केवल कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर साधारणतया प्रदर्शनी देखने जाने वालों को कोई रियायत नहीं दी गयी है।

(च) शिक्षा, संस्कृति और समाज-सम्बन्धी दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ विशेष अखिल भारतीय संस्थाओं के वार्षिक अधिवेशनों में जाने वाले लोगों को रियायत वापसी टिकट दिये जाते हैं।

रेलवे दुर्घटनायें

२९८. सेठ गोविन्द दास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५४, में कितनी ऐसी रेलवे दुर्घटनायें हुईं जिन में जन-हानि हुई ; और

(ख) इन में कितनी दुर्घटनाओं के बारे में विशेष रूप से जांच की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उप-मंत्री (श्री अलगेन): (क) तीन रेल दुर्घटनायें, अर्थात् मध्य, उत्तर और पश्चिमी रेलों पर एक एक।

(ख) सरकारी रेलवे इस्पैक्टरों द्वारा इन तीनों दुर्घटनाओं की जांच की गयी थी ।

डाक तथा तार विभागीय परिक्षायें

२९९. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के अधीन सभी विभागीय परिक्षाओं के लिये एक समान नियम हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नियम डाक तथा तार गणक सेवा परिक्षाओं तथा अधनिस्थ लेखा सेवा परिक्षाओं पर भी लागू होते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि किसी विषय विशेष में छूट अंक प्राप्त करने के सम्बन्ध में उपरोक्त दोनों परीक्षाओं में कुछ विभिन्नता रखी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ।

संचार उप-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं । प्रत्येक पदाली की आवश्यकताओं के अनुसार, डाक तथा तार विभाग में विभिन्न नियुक्ति परिक्षाओं के लिये अलग अलग नियम निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । यद्यपि डाक तथा तार गणक सेवा परिक्षा को सामान्यत: लेखा परिक्षा विभाग की अधनिस्थ लेखा सेवा परिक्षा के अनुरूप ही बनाया गया है इस लिये प्रथम के लिये निर्धारित नियमों में परिवर्तन करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं समझी गई है, क्योंकि दूसरे पदाली से सम्बन्धित नियमों में रूप भेद कर दिये गये हैं, परन्तु आवश्यता होने पर रूपभेद किये जा सकते हैं ।

(ग) जी हां । विभिन्नता कुछ समय पूर्व हीं पकड़ी गई है, तथा पुनरिक्षण करने तथा छट सीमा को कम करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को दृष्टि में रखतें हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रामकोला स्टेशन

३००. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर पूर्वी रेलवे के रामकोला स्टेशन पर तीसरी श्रणी के यात्रियों के लिये एक प्रतीक्षालय, प्रतिक्षागृह तथा गोदान निर्माण करने की कोई योजना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : रामकोला स्टेशन पर नीची श्रेणी के यात्रियों के लिये एक प्रतीक्षालय तथा आने वाले पार्सलों को सुरक्षा पूर्वक रखने के लिये एक छोटा सा गोदाम इस समय भी है । उच्च श्रेणी के यात्रियों का कम यातायात होने के कारण इस स्टेशन पर कोई प्रतिक्षागृह बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है । रामकोला स्टेशन के वर्तमान गुडस शैड (माल गोदाम) के विस्तार के प्रश्न को द्वितीय पंच वर्षीय योजना की रेलवे सम्बन्धी परीक्षात्मक कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

उर्वरक

३०१. **श्री सारंगधर दास :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी में फास्फेट तथा पोटासिक उर्वरक भी बनाये जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारत में अन्य कोई कारखाना इन उर्वरकों की बना रहा है ;

(ग) क्या उन के 'उर्वरक समूहन' द्वारा बेचा जाता है ;

(घ) यदि नहीं, तो इस कार्य के लिये क्या अन्य प्रणाली अपनाई गई है ;

(ङ) क्या इन का भी आयात होता है ;

(च) यदि हां, तो किन देशों से ;

(छ) नौपरिवहन केन्द्रों में इन का रेलवे भाड़ा सहित क्या मूल्य है ; और

(ज) लन्दन, हैमबुर्ग तथा न्यू-यार्क में प्रचलित मूल्य भारतीय मूल्यों की तुलना में कैसे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । देश के सुपरफास्फेट बनाने वालों की सूची संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२] । पोटासिक उर्वरक भारत में कुटीर उद्योग के स्तर पर १२ संस्थाओं द्वारा बनाये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) ये खुले बाज़ार में बेचे जाते हैं । कुछ राज्य सरकारें किसानों को बेचने के लिये सुपरफास्फेट निर्माताओं से खरीदती है ।

(ङ) पोटासिक उर्वरकों का आयात किया जाता है । केवल कुछ श्रेणी के औद्योगात्मक कार्यों के अतिरिक्त फास्फेरिक उर्वरकों के आयात के अनुमति नहीं है ।

(च) पोटासिक उर्वरक इन देशों से आयात किये जाते हैं :—

ब्रिटेन, जर्मनी (पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों), फ्रांस, बेलजियम, हंगरी, तथा नीदरलैंड्स ।

(छ) संभवत: माननीय सदस्य इन उर्वरकों के भारतीय बन्दरगाहों पर उतरने के पश्चात् के मूल्य (लागत, बीमा तथा भाड़ा) का निर्देश कर रहे हैं । यदि ऐसा है, तो औसत मूल्य यह रहे हैं :—

आयात किये गये उर्वरक के सी० आई० एफ० (लागत बीमा तथा माल) औसत मूल्य यह है :—

	रुपये	आने	पा०	
सुपरफास्फेट	१८८	१३	०	प्रतिटन
अन्य फोस्फेट उर्वरक	१४०	०	०	"
पोटाश का म्यूरिएट	२१३	५	०	"
अन्य पोटासिक उर्वरक	२९२	१५	०	

(ज) विदेशी मूल्यों का पता लग जाने पर जिन को ज्ञात किया जा रहा है, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

वनस्पति

३०२. **श्री झूलन सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में वनस्पति बनाने में काम में आने वाले कच्चे भक्षणीय तेल के प्रति टन (कारखाने का) क्या मूल्य है ;

(ख) उपरोक्त अवधि में वनस्पति के निर्माण का प्रति टन व्यय ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में वनस्पति का कारखाने का प्रति टन औसत मूल्य ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) वनस्पति के निर्माण में काम में आने वाले तेलों में ९० प्रतिशत मूंगफली का तेल होता है। शेष का पांच प्रतिशत तिल का तेल तथा शेष बिनौले का तेल होता है । इन तेलों के मूल्य एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग हैं। १९५३–५४ में बम्बई में मूंगफली, तिल तथा बिनौले के तेल के थोक औसत मूल्य क्रमशः १७३३ रुपये, १५९३ रुपये तथा २१६० रुपये प्रति टन थे ।

(ख) टीन के डिब्बों की लागत को मिलाकर वनस्पति के निर्माण की लागत लगभग ३१० रुपये प्रति टन आती है । वनस्पति पर १४० रुपये प्रति टन उत्पादन-शुल्क भी लगता है ।

(ग) १९५३–५४ में बम्बई राज्य में वनस्पति का औसत कारखाना मूल्य २,२२७ रुपये प्रति टन का है ।

बूचड़ खाना

३०३. **श्री झूलन सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ तथा १९५४ में (क) बम्बई, (ख) कलकत्ता, (ग) मद्रास तथा (घ) दिल्ली के मान्यता प्राप्त बूचड़ खानों में खाने के लिये तथा अन्य कार्यों के लिये कितनी गायों तथा बछड़ों का वध किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री पी० एस० देशमुख) :

नगर का नाम	मान्यता प्राप्त बूचड़ खानों में खाने के लिये तथा अन्य कार्यों के लिये वध की गई गायों तथा बछड़ों की संख्या	
	१९५३	१९५४ (जनवरी अक्टूबर तक)
(क) वृहद्-बम्बई	१५७	२३०
(ख) कलकत्ता	सूचना संग्रहित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।	
(ग) मद्रास		
(घ) दिल्ली	एक भी नहीं ।	

नई रेलवे लाइनें

३०४. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर डिवीजन के उस क्षेत्र में रेलवे लाइनों के विस्तार की कोई प्रस्थापना है, जिस में भाखड़ा नहर का जाल बिछाया जायेगा ; और

(ख) क्या राजस्थान के आन्तरिक अविकसित भाग का अन्य स्थानों से सम्बन्ध जोड़ने के लिये बीकानेर डिवीजन में तारा नगर और सहवा से हो कर नहर को चुरु से जोड़ने की कोई प्रस्थापना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान् ।

मैसूर से चावल का खरीदा जाना

३०५. **श्री तिम्मय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अपना आवश्यकता से अधिक चावल खरीदने के लिये कहा था ;

(ख) यदि हां, तो कितना चावल खरीदने के लिये कहा है ; और

(ग) क्या सरकार का उसे खरीदने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). मैसूर सरकार ने अपना २५,००० टन आवश्यकता से अधिक चावल खरीदने के लिये कहा है और केन्द्र इस चावल को लेने के लिये सहमत हो गया है ।

माल की चोरी

३०६. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५२ से ३१ अक्टूबर, १९५४ तक रेलवे गोदामों से माल चोरी करते हुए कितने व्यक्ति पकड़े गये ;

(ख) कितनों को सजा हुई ; और

(ग) अभी कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). सूचनायें प्राप्त की जा रही हैं और यथाशीघ्र सदन में प्रस्तुत की जायेंगी ।

कोयला खानों के श्रमिक

३०७. **श्री के० सी० सोंधिया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) कोयला खानों के आवास और कल्याण के लिये योजनाओं का सुझाव देने वाले तथा उन्हें प्रस्तुत करने वाले, और (२) उन को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने वाले अभिकरण कौन कौन से हैं ;

(ख) १९५३-५४ में इस प्रकार की (१) जो योजनायें रखी गईं और (२) जो स्वीकृत हुई, उन की कुल लागत क्या है ;

(ग) उक्त वर्ष में निधि में से कुल कितनी राशि बचाई गई ; और

(घ) निधि के नाम में कुल कितना बचा हुआ धन है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) (१) विभिन्न कोयला-क्षेत्र उपसमितियों, कोयला-खान कल्याण आयुक्त तथा श्रम मंत्रालय ।

(२) कोयला-खान श्रम कल्याण निधि मंत्रणा समिति के उपसभापति, सभापति तथा भारत सरकार ।

(ख) (१) ५०,४७,००० रुपये ।

(२) २७,८५,००० रुपये।

(ग) ७२,५५,००० रुपये ।

(घ) ४,३५,३५,००० रुपये ।

सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारीवृन्द

३०८. **श्री के० सी० सोंधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में भारतीय रेलवेज़ के सुरक्षा तथा प्रतिपालन विभाग के ऊपर सरकार ने कुल कितना खर्च किया ; और

(ख) इस विभाग के कितने कर्मचारियों पर इसी वर्ष रेलवे के माल के चुराने

अथवा इस के लिये उकसाने के हेतु (१) विभागीय रूप से, और (२) व्यवहार न्यायालयों में अभियोग चलाये गये और उन के क्या परिणाम हुए ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) लगभग ३·२५ करोड़ रुपये ।

(ख) (१) १८३० से १७२५ कर्मचारियों को दण्ड दिया गया । २७ कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का निश्चय किया गया है । ७८ कर्मचारियों के मामलों का निर्णय हो रहा है ।

(२) ३६८ कर्मचारियों पर व्यवहार न्यायालयों में अभियोग चलाये गये, जिस में से ६७ व्यक्तियों को सजा दी गई, १६७ छोड़ दिये गये और १५५ के अभियोग चल रहे हैं ।

राज्यों में परीक्षण कार्य (टेस्ट वर्क्स)

३०९. **श्री आर० एन० सिंह**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में परीक्षण कार्य चल रहे हैं ।

(ख) **विन्ध्य प्रदेश**—

आदमी १२ आने प्रति दिन
औरत ८ आने प्रति दिन

राजस्थान—

खोदने वाला १२ आने प्रति दिन
ढोने वाला १० आने प्रति दिन
बच्चा ८ आने प्रति दिन

मध्य प्रदेश—

आदमी ९ आने से १२ आने तक
औरत ६ आने से ९ आने ६पा० तक
बच्चा ३ आनें ३ पा० से ८ आने तक

उत्तर प्रदेश—

	बस्ती	देवरिया
खोदने वाला	६ आ०	७ आ० ३ पा०
ढोने वाला	५ आ०	६ आ०
बच्चा	४ आ०	५ आ०

	आजम गढ़	गोंडा
खोदने वाला	६ आ०	१० आ०
ढोने वाला	५ आ०	आ०
बच्चा	४ आ०	६ आ०

(ख) इन कार्यों में काम करने वाले मज़दूरों की एक दिन की मज़दूरी कितनी है ;

(ग) ऐसे परीक्षण कार्यों को चलाने के लिये केन्द्र ने किन किन राज्यों को सहायता दी है ;

(घ) दी गई राशि की, राज्यवार मात्रा कितनी है ;

(ङ) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन कार्यों में लगे हुए देवरिया ज़िले के मज़दूरों को ५ आना प्रति मज़दूर के हिसाब से मजदूरी दे रही है ; और

(च) यदि हां, तो कब से और कितने मजदूरों को उपरोक्त मजदूरी दी जा रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमख): (क) जहां तक मालूम हुआ है, विन्ध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य भारत, तथा उत्तर प्रदेश में परीक्षण कार्य चल रहे हैं। अन्य राज्यों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) परीक्षण कार्य चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्यों को कोई अनुदान नहीं देती है । किन्तु परीक्षण कार्यों पर राज्य सरकारें जो खर्च करती हैं, उसे सहायता कार्यों के लिये ऋण देते समय ध्यान में रखा जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में रेलवे के ऊपर के पुल

३१०. **श्री राधा रमण:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मिन्टो रोड़ पुल तथा हार्डिग पुल के बीच में रेलवे लाइनों के ऊपर पैदल चलने वालों के लिये एक पुल बनाने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होने वाला है ; और

(ग) इस पुल के निर्माण पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नमूना तैयार है । नई दिल्ली नगरपालिका समिति के द्वारा इस नमूने का अनुमोदन होते ही, काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा, और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान में ही इस के पूरे हो जाने की आशा है ।

(ग) इस काम पर अनुमानतः २७,००० रुपये खर्च होंगे ।

बीकानेर में टलीफोन एक्सचेंज भवन

३११. **श्री कर्णी सिंह जी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर में टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण-कार्य कब से शुरु होगा ?**

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): १९५५ के अन्त तक भवन के निर्माण-कार्य के प्रारम्भ होने की आशा है ।

स्विटज़रलैण्ड से डिब्बे

३१२. **श्री केशवैयंगार:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अक्टूबर, १९५४ तक स्विट्ज़रलैंड से रेलवे के कितने डिब्बे प्राप्त हुए ;

(ख) प्रत्येक महाखंड में उन में से कितने प्रयोग में आ रहे हैं ; और

(ग) अनेक रेलवे महा खंडों को डिब्बों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) १३२ ।

(ख) मध्य रेलवे — २० ।
पश्चिमी रेलवे — ५५ ।

(ग) मितव्ययता तथा संधारण की सरलता के लिये नये प्रकार के डिब्बों को लाते समय विशेषरूप से प्रथम प्रवस्थाओं में, प्रत्येक रेलवे के लिये नये डिब्बों के देने तथा पुराने डिब्बों को बदलने की आवश्यकता तथा कम से कम रेलवेज़ तक उन्हें सीमित रखने की वांछनीयता ही आवंटन के आधार हैं ।

गैर-अनुसूचित हवाई सेवायें

३१३. **श्री टी० के० चौधरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में कितना गैर-अनुसूचित हवाई माल तथा यात्री सेवायें चालू हैं और ये सेवायें किन किन नगरों तक हैं ;

(ख) इन सेवाओं का संचालन कितने समवाय करते हैं ;

(ग) इन में से कितने समवायों के अपने वायुयान हैं और अपने ही वायुयान के संधारण सम्बन्धी प्रबन्ध हैं ;

(घ) क्या इन सेवाओं को चलाने के लिये सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है ; और

(ङ) इन सेवाओं के संचालन के सम्बन्ध में इन बातों को परखने के लिये सरकार के पास क्या व्यवस्था है :

(१) प्रवीणता परीक्षण तथा वायुयान चालकों का प्रशिक्षन;

(२) वायुयानों का संधारण ;

(३) हवाई अड्डों पर तथा उड़ते हुए वायुयानों में यात्रियों के लिये सुविधायें ;

(४) सुरक्षा प्रबन्ध ; और

(५) माल तथा यात्रियों के भाड़े की दरें ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जब कभी आवश्यकता होती है, तब गैर अनुसूचित हवाई सेवायें चलायी जाती है। संचालन क्षेत्र यातायात की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

(ख) दो निगमों को मिला कर ११ समवायों के पास गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवायें चलाने के अनुज्ञा-पत्र हैं। इन के अतिरिक्त, ११ उड्डयन क्लबों के पास गैर अनुसूचित अनुज्ञा-पत्र हैं। बेरोज़गार 'बी' श्रेणी की अनुज्ञप्ति प्राप्त वायुयान बालकों की सहायता करने की दृष्टि से व्यक्तिगत रूप से भी गैर अनुसूचित अनुज्ञा-पत्र दिये जाते हैं ताकि वे मनोरंजन के लिये वायुयानों की उडानें कर सकें और बनता में वायुयानों की सवारी का शौक पैदा हो सके। इस समय केवल एक व्यक्ति के पास इस प्रकार का अनुज्ञा-पत्र है।

(ग) ७ समवायों के अपने वायुयान तथा संधारण के साधन हैं। एक समवाय के पास वायुयान तो हैं परन्तु उन का संधारण अन्य अभिकरण द्वारा होता है। शेष तीन समवायों के पास अपना कोई वायुयान नहीं है।

(घ) हां, श्रीमान्; कोई गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा चालू करने से पूर्व भारतीय वायुयान नियम, १९३७ के अधीन असैनिक उड्डयन के महा निर्देशक से अनुज्ञा प्राप्त करना जरुरी है।

(ङ) वायुयान चालकों का प्रवीणता सम्बन्धी तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी अधीक्षण भारतीय वायुयान नियम, १९३७ के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। वायुयानों का संधारण सरकारी निरीक्षकों की देखरेख में अनुज्ञप्ति प्राप्त ग्राऊंड इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। वायुयानों में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधायें गैर अनुसूचित उड़ानों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिये सुविधायें उन स्थानों पर निर्भर करती हैं, जहां वायुयान जाते हैं। हवाई अड्डों पर दी जाने वाली यात्रियों की सुविधाओं की देखरेख सीधे असैनिक उड्डयन के महानिर्देशक के नियंत्रण में हैं। तथा चालकों को माल के भाड़े की दरें तथा यात्रियों का भाड़ा नियत करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय टिकट तथा डाक प्रदर्शनी

३१४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या संचार मंत्री नई दिल्ली में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय टिकट तथा डाक प्रदर्शनी के अवसर पर दिये गये पारितोषिकों के पूर्ण विवरण तथा पारितोषिक विजेताओं की एक सूची सभा पटल पर रखने की कृपा करेगें ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : अन्तर्राष्ट्रीय टिकट संग्रह तथा डाक प्रदर्शनी और अन्तर्राष्ट्रीय बाल टिकट रूपांकन प्रतियोगिता में पारितोषिक विजेताओं की सूचियां सभा पटल पर रखी जाती हैं। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४३].

सीतामढ़ी सब-डिवीजन में तार-घर

३१५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीतामढ़ी सब-डिवीजन के प्रत्येक थाने में तार-घर खोलने में अब तक कहां तक प्रगति हुई है ;

(ख) क्या मुख्य मुख्य बाज़ारों से हो कर तार तथा टेलीफोन के तार प्रत्येक थाने तक इस प्रकार ले जाने के लिये कोई सुझाव दिया गया है, जिस से महत्वपूर्ण स्थानों में बिना अधिक अतिरिक्त लागत के कनेक्शन मिल सकें ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव की सम्भावना पर विचार किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नौ थानों में से पांच में पहले से ही तार-घर मौजूद हैं। शेष चार में से तीन में तार-घर की व्यवस्था करने के लिये पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। शेष एक के लिये भी इसी मास मंजूरी मिल जाने की आशा है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। इस सुझाव को राज्य सरकार के परामर्श से यथासम्भव अपनाया जायगा।

मुज़फ्फरपुर-सोनबारसा रेल सम्बन्ध

३१६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री सीतामढ़ी से हो कर मुज़फ्फरपुर तथा सोनबारसा के बीच रेलवे लाइन खोलने के सम्बन्ध में बिहार, राज्य द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही बताने की कृपा करेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : साधनों के सीमित होने के कारण अभी प्रथम पंच वर्षीय योजना में देश के कृषि, खान तथा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं को अधिकतम प्राथमिकता देने की ओर ही ध्यान दिया गया है। अन्य परियोजनाओं के साथ ही इस परियोजना के निर्माण पर भी राज्य सरकार के सिफारिश करने पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल के लिये, विचार किया जायेगा।

रेलगाड़ियों का विलम्ब से आना-जाना

३१७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे पर पिछले छः मासों में ३३३ अप तथा ३३४ डाउन गाड़ियों के विलम्ब से आने जाने के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा तथा उस के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ; और

(ख) यह बतायेंगे कि गाड़ियों के नियत समय पर आने जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पिछले छः मासों में ३३३ अप तथा ३३४ डाउन गाड़ियों का काम सन्तोषजनक नहीं रहा है। औसत रूप से २८६ अवसरों में से, उन अवसरों को निकाल कर जबकि लाइनों के खराब होने के कारण इन का आना-जाना बन्द रहा, २६६ अवसरों पर ये गाड़ियां विलम्ब से आई-गई, जिन में से १९ अवसरों पर इन गाड़ियों के आने जाने में ३० मिनट से अधिक विलम्ब नहीं हुआ। ३३३ अप के विलम्ब से जाने

का कारण पलेज़ा घाट पर आने वाले स्टीमर का विलम्ब से पहुंचना था, क्योंकि नदी को पार करने में उसे काफ़ी समय लगता था। ३३४ डाउन गाड़ी के विलम्ब से जाने के मुख्य कारण गाड़ी के चलने के स्टेशन पर जिस गाड़ी का वहां मेल होता था उस का देर से पहुंचना खतरे की जंजीर का बहुत अधिक खींचा जाना तथा भारी बाढ़ों के कारण अस्थायी इंजीनियरिंग सम्बन्धी प्रतिबन्ध थे।

(ख) सभी रेलों पर समय की पाबन्दी का 'आन्दोलन' चलाया जा रहा है जो तब तक जारी रहेगा और ज़ोरों से चलता रहेगा जब तक कि स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हो जाता। गाड़ियों को यथासम्भव कम से कम रोकने के लिये विशेष देख-भाल की जा रही है तथा उच्च अधीक्षक कर्मचारियों को इन गाड़ियों के आने-जाने पर विशेष निगरानी रखने के लिये विशेष रूप से निर्देश दिये गये हैं।

चावल सम्बन्धी सम्मेलन

३१८. श्री वी० मिश्र: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चावल की समस्या पर विचार करने के लिये निकट भविष्य में कोई सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, ता क्या इस प्रयोजन के लिये कोई तिथि निश्चित की गई है ; और

(ग) बै क की कार्य सूची के मुख्य विषय क्या-क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

यात्री सुविधायें

३१९. पंडित एस० सी० मिश्र: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३, १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में (३० सितम्बर तक) प्रतिवर्ष **उत्तर** रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर कितने नये प्रतीक्षालय और प्रतीक्षा भवन बनाये गये ; और

(ख) इन में से कितने तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५
	२३	१७	८
(ख)	१८	१५	८

गाड़ियों के चलने में देरी

३२०. श्री राधे लाल व्यास : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उज्जैन से भोपाल जाने वाली यात्री गाड़ियां इस वर्ष १ जनवरी से ३१ अक्टूबर १९५४ तक कितने दिन नियत समय के बाद पहुंची तथा औसत देरी कितनी रही; और

(ख) भोपाल से दिल्ली जाने वाली यात्री गाड़ियों से जिन से कि उज्जैन-भोपाल चलने वाली गाड़ियों का मेल रखा गया है, उन में से इस अवधि में किन किन गाड़ियों का कितनी बार भोपाल में मेल न हो सका ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १ जनवरी और ३१ अक्तूबर, १९५४ के बीच ५०२ अप और १०६ अप सवारी गाड़ियां भोपाल में क्रमश १६० और १५१ बार देर से पहुंचीं, उन के

विलम्ब से पहुंचने के औसत घंटे क्रमशः एक घण्टा और ४५ मिनट थे ।

(ख) सम्बन्धित गाड़ियां ५०२ अप उज्जैन-भोपाल और १०६ अप रतलाम उज्जैन-भोपाल सवारी गाड़ियां हैं । इन दिनों के बीच ५०२ अप भोपाल में दिल्ली जाने वाली १ डाउन पंजाब मेल से १५९ बार मिलान न कर सकी और १०६ अप ३ डाउन पठानकोट एक्स्प्रेस से १५४ बार मेल नहीं दे सकी ।

इन दोनों गाड़ियों पर समय की पाबन्दी रखी जा रही है और जब तक स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं होता इसे जारी रखा जायगा । क्षेत्रीय और प्रधान कार्यालयों से इन गाड़ियों पर प्रतिदिन निगरानी की जा रही हैं और जिन कर्मचारियों की असावधानी से इन गाड़ियों के समय की पाबन्दी पर प्रभाव पड़ता है उन के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

त्रिपुरा में डाक का बांटा जाना

३२१. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि दिल्ली से त्रिपुरा भेजे जाने वाले पंजीवद्ध पार्सलों के भेजने में अत्यधिक विलम्ब होता है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां पर साप्ताहिक पत्रों के पहुंचने में लगभग एक मास लग जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विलम्ब को दूर करने के क्या उपाय कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां, डाक के विलम्ब से पहुंचने की केवल दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो कि बाढ़ के कारण होने वाली अव्यवस्था से हुई थीं ।

(ख) उत्तर नकारात्मक है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा चिकित्सा सेवा

३२२. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा की अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित ही हो एम० बी० बी० एस० डाक्टरों को, जिन्हों ने सरकार की सहायता से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, अब सरकार ने त्रिपुरा की राज्य सेवा में लेने से इंकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आगरा को पर्यटक

३२३. **सेठ अचल सिंह**: क्य **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरे में खोले गये पर्यटक सूचना कार्यालय, के क्या कर्त्तव्य हैं ;

(ख) यह कार्यालय किस प्रकार का प्रचार कर रहा है जिस से कि अधिक पर्यटक आगरा की ओर आकर्षित हों ;

(ग) इस कार्यालय द्वारा पर्यटकों को क्या सुविधायें दी जाती हैं ; और

(घ) पिछले वर्ष और इस वर्ष ३१ अक्तूबर, १९५४ तक आगरा में कितने पर्यटक आये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ग). पर्यटक सूचना कार्यालय, आगरा के कर्त्तव्य पर हैं :—

(१) पर्यटकों द्वारा अपेक्षित पूरी पूरी जानकारी एकत्र करना,

जैसे कि होटलों में उपलब्ध स्थान का ब्यौरा, दरें, सड़क के रास्ते तथा उन की स्थिति रेलवे, विमान, तथा बसों की समय सारणियां और किराये और पर्यटकों की रूचि के स्थानों के सम्बन्ध में जानकारी देने वाली टिप्पणियां ;

(२) पर्यटकों को अपेक्षित जानकारी देना और मार्ग दर्शक सूचियां बनाना आदि;

(३) पर्यटकों द्वारा अपेक्षित किसी भी प्रकार की सहायता देना जैसे कि अनुमति पत्र प्राप्त कराना आदि ; और कठिनाई के समय में उनके लिये रेलवे तथा होटलों में स्थान सुरक्षित कराने में सहायता देना, परिवहन की व्यवस्था करना, और उन्हें मार्ग दर्शक (गाइड) की सेवायें देना;

(४) स्थानीय रेलवे प्राधिकारियों, होटलों तथा आय सरकारी कार्यालयों से सम्बन्ध रखना जिस से कि पर्यटक यातायात का विकास हो सके और पर्यटकों को समस्त संभव सहायता पहुंचाना;

(५) भारत सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों को सुविधाओं की कमी आदि के विषयों से अवगत कराना जो कि उसी स्थान पर दूर न की जा सकें।

(ख) पर्यटक सम्बन्धी साहित्य का वितरण तथा विक्रय, तथा विज्ञापन पत्रों तथा पुस्तिकाओं को विभिन्न होटलों क्लबों, सांस्कृतिक संस्थाओं आदि में प्रदर्शित करना लगाना और चल चित्र प्रदर्शन करने के प्रबन्ध आदि करना।

(घ) सन १९५३ में आगन्तुक जाने वाले पर्यटकों की स्थूल अनुमान के आधार पर कुल संख्या ९,६४५ थी १९५४ में ३१-१०-५४ तक . . . . ११,४१८।

(नोट) उपर्युक्त आंकड़े कुछ होटलों तथा डाक बंगलों से एकत्रित किये गये थे और इस में उन पर्यटकों को नहीं गिना गया है जिन्हों ने वहां पर रात नहीं बिताई।

चावल के स्टाक

३२४. **श्री हेमराज**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय चावल की कितनी मात्रा स्टाक में है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): ६ नवम्बर को सरकार के पास लगभग १४·५ लाख टन चावल स्टाक में था।

लोक सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८— १९५४

(१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

सेवा में

विषय सूची

खण्ड ८, अंक १ से १५--१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

अंक १--सोमवार, १५ नवम्बर, १९५४

श्री रफी अहमद किदवई तथा श्री नाडिमुत्तु पिल्ले का निधन. १-६

अंक २--मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . . ७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७-९

टिन की चादरों के धारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . ९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (१३२) / ५४, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५४ . . ९

विहित कालावधि के भीतर कतिपय दस्तावेज पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का विवरण ९

मोटर गाड़ी लीफ-स्प्रिंग उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . १०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)-टी० बी०/५४, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ . . . . १०

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ११

विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनेक बांट के बारे में याचिका ११-१२

स्थगन प्रस्ताव--आन्ध्र सरकार के बारे में . . . १२-१४

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपा गया १४-६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त . . . ६८-१०६

अंक ३—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग भारत अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ १९ . १०७–१०८

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . १०८

दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के बारे में याचिका . . १०८–१०९

सभा का कार्य—

सत्र में पुरःस्थापन के लिये— प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय . १०९–११०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिये समय नियतन . ११०–१११

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १११–१८४

अंक ४—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . १८५

सभा का कार्य—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों के लिये समय का बटवारा १८७–१८८

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १८९–२७५

सभा का कार्य २७६

अंक ५—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–२७९

सभा का कार्य २७९–२८०

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत २८०–३३४

	स्तम्भ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३३५
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३३५–३६८
विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—असमाप्त . .	३६९–३७०

अंक ६—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर की स्थिति	३७१–३७४
सभा का कार्य—	
समय नियतन	३७४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७५–४२८
चाय पर बढ़ाये गये निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	४२९–४४५
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४४५–४५६

अंक ७—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज	४५७–४५९
दिल्ली परिवहन सेवा	४५९–४६१
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	४६१–४६५
संशोधनों की ग्राह्यता	४६५–४७८
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४७४–५३८

अंक ८—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५३९–५८४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त.	५८४–६०७

स्तम्भ

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ६०७–६०८

अंक ९—गुरूवार, २५ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन, प्राधिकार (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय अधिसूचना . ६०९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . . ६०९–६१०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६१०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६१०–६७८
खण्ड २ से १५
खण्ड १६ से १९

अंक १०— शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया . . ६७९

समिति के लिये निर्वाचन—
प्राक्कलन समिति ६७९–६८०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार–असमाप्त ६८१–७१९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ७१९–७२८

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—विचार स्थगित ७२८–७३३

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५३ का रखा जाना)—
पुरःस्थापित ७३४

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ७३४–७७२

स्तम्भ

११—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध . . . ७७३–७७४

ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान क्षेत्र का उपयोग . ७७४–७७६

हायक प्रादेशिक सेना विधेयक—वापस लिया गया . . . ७७६–७७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त ७७८–८५४

खंड २०से २४ . . . . ८१९–८२०

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८२०–८५४

अंक १२—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

टल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन . . ८५५

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का प्रतिवदन ८५५–८५६

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण ८५६–८५७

लवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ८५७

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ८५७–८५८

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खडों पर विचार—असमाप्त ८५८–९३१, ९३२–९४०

नये खंड २१क, २२क और २४क ८५८–८६५

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८६५–९२१

खण्ड २६ से ३८ . . . . . ९२१–९३०, ९३२–९४०

आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरःस्थापित ९३१–९३२

१३—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

टल पर रखा गया पत्र—

साहित्य अकादमी और उस की गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण . ९४१

र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ९४१

स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारिवृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी ९४२–९४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त—

खंड २६ से ३८ . . . . . ९४४–१००९

खंड ३९ से ६० . . . . . १००९–१०१४

अंक १४—गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १०१५

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . १०१५–१०१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में मैदा की कमी १०१६–१०१७

सभा का कार्य—

सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय-नियतन . . १०१७–१०२३

दिल्ली जल तथा नाला-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित १०२३

आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत

डा० काटजू १०२३–२९, १०६०–६४

श्री पाटस्कर १०२९

श्री रामचन्द्र रेड्डी १०३०–१०३३

श्री ए० के० गोपालन १०३३–१०३९

डा० लंका सुन्दरम् १०३९–४६

श्री रघुरामैया १०४६–५०

डा० जयसूर्य १०५०–५२

श्री एस० एस० मोरे १०५२–५५

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी १०५५–५७

श्री गाडिलिंगन गौड़ १०५८

श्री राघवाचारी १०५८–५९

श्री लक्ष्मय्या १०५९

श्री यू० एम० त्रिवेदी १०५९–६०

	स्तम्भ
खंड १ से ३	१०६४–७०
संशोधित रूप में पारित—	
श्री एच० एन० मुखर्जी	१०७७–८०
डा० लंकासुन्दरम्	१०८०
पं० ठाकुर दास भार्गव	१०८०–८२
श्री जी० एच० देशपांडे	१०८३
डा० काटजू	१०८३–८८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त—	
खंड ६१ से ६५	१०८८–९८
दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१०९८–११००
अंक १५—शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन	११०१–११०८
पटल पर रखे गये पत्र—	
जिप फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प . .	११०८–११०९
चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना	११०९
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	११०९
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	१११०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—छठा प्रतिवेदन —उपस्थापित	१११०–११
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	१११९
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . .	१११९–१११२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त —	
खंड ६१ से ६५	१११२–५४

स्तम्भ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ११५४–५५

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ११५५–१२०२

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये समविहित निकाय के बारे में संकल्प—असमाप्त १२०२–१२०४

लोक-सभा

बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-४ म० प०

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) अधिनियम, १९४७ में अग्रंतर संशोधन करने वाले विधेयक प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रवर समिति का प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के पास हैं और वे उसमें देखेंगे कि प्रवर समिति ने, जिसने इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर विशद विचार किया हैं और प्रतिनिधियों का साक्ष्य भी सुना हैं, कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की हैं।

उसने छोटे उत्पादकों के प्रश्न पर विचार किया हैं और छोटे उत्पादक की परिभाषा दी हैं। उसने यह भी सिफारिश की हैं कि रबड़ बोर्ड में छोटे रबड़ उत्पादकों को, जिनके बागान ५० एकड़ से बड़े नहीं हैं, उचित प्रतिनिधान मिलना चाहिए। उसने यह भी सुझाव दिया हैं कि मजदूरों के तीन के स्थान पर चार प्रतिनिधि होने चाहिएं और केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्तियों की संख्या में एक की कमी की जाए। इसने यह भी सुझाव दिया हैं कि राज्य सभा तथा लोक सभा के तीन तीन सदस्य भी इस बोर्ड में होने चाहिएं।

इस मामले में भी इन बोर्डों में सरकारी प्रतिनिधान का सिद्धान्त अपनाया गया हैं। प्रवर समिति ने सुझाव दिया हैं कि सरकारी अधिकारी बोर्ड की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकते हैं, परन्तु अपना मत नहीं दे सकते।

प्रवर समिति ने बोर्ड के उपसभापति के पद को निर्वाचित पद बना दिया हैं और अन्त में यह उपबन्ध किया गया हैं कि इस बोर्ड की सदस्यता संसद का सदस्य बनने के लिए अनर्हता नहीं होगी।

खण्ड ६ में एक महत्वपूर्ण उपबन्ध किया गया हैं। समिति ने अनुभव किया हैं कि रबड़ उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के लिए काम की अच्छी शर्तें प्राप्त करवाना तथा उन्हें सुविधाएं और रियायतें दिलवाने का उपबन्ध करना बोर्ड के सामर्थ्य के अन्तर्गत होना चाहिए।

बोर्ड को रबड़ का आयात करने का अधिकार देने का दूसरा उपबंध किया गया हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जब कि हमारा रबड़ का वर्तमान उत्पादन २२,००० टन हैं---हो सकता हैं यह कुछ बढ़ जाए---किन्तु इसकी

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

खपत द्रुतगति से बढ़ रही हैं। अनुमान लगाया गया हैं कि इस वर्ष इसकी खपत २७,००० टन के लगभग होगी। इस देश में पब्लिक यातायात तथा मोटर गाड़ी यातायात में थोड़ा सा सुधार हो जाने का यह परिणाम होगा कि कच्ची रबड़ की मांग बढ़ जाएगी और यह आशा की जाती हैं कि सम्भवतः आगामी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत हमें लगभग ४०,००० टन रबड़ की आवश्यकता होगी। इतनी रबड़ पैदा करने में बहुत समय लगेगा। इस कारण आयात का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम रबड़ पैदा कर रहे हैं और बोने वाले के लिए एक विशिष्ट भाव निश्चित कर रहे हैं, तो हम रबड़ उत्पादक को अपने रबड़ का मूल्य प्राप्त करने के लिए संसार के अन्य भाग में फैले हुए बाजार भाव के सहारे नहीं छोड़ सकते।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसलिए प्रवर समिति ने निर्णय किया हैं कि हमारी रबड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रबड़ आयात करने का अधिकार बोर्ड को दिया जाना चाहिए।

दो निधियों का उपबन्ध किया गया हैं। वर्तमान उपकर को बढ़ाने से जो निधि पैदा होगी वह बोर्ड के सुपुर्द कर दी जाएगी तथा रबड़ के आयात से यदि कुछ लाभ होगा तो वह भी निधि में मिला दिया जाएगा। और इस निधि के उपयोग की प्रणाली भी निश्चित कर दी गई हैं।

खण्ड १६ और १७ में लेखा सम्बन्धी सरकारी नियंत्रण की पद्धति बताई गई हैं। इस संबंध में मैं यह भी बता दूं कि कल अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया था, वह मुझे याद हैं और मैं महालेखा परीक्षक को लेखा की जांच पड़ताल करने की शक्ति देने से सम्बन्धित नया खण्ड जोड़ने वाला संशोधन प्रस्तुत नहीं करूंगा, परंतु मैं शीघ्र ही एक विशद विधेयक प्रस्तुत करूंगा, जिस में महालेखा परीक्षक को समस्त लेखाओं की जांच करने और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की व्यवस्था के अधीन काम करने वाले सब बोर्डों के बारे में अपने अधिकारियों को भेजने की शक्ति प्रदान की जाएगी।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सभा काफी बोर्ड के बारे में प्रतिनिधान की रूपरेखा से सहमत हैं, और मैं ने मद्रास तथा त्रावनकोर-कोचीन राज्यों के लिए प्रतिनिधियों के निर्वाचन की उपबन्ध करने तथा निर्वाचन का उपबन्ध करने वाले नियम के लिए संशोधन प्रस्तुत कर दिए हैं। विरोधी पक्ष के श्री पुन्नूस ने भी अपने विमति टिप्पण में स्वीकार किया हैं कि कुछ समय के लिए छोटे उत्पादकों के प्रतिनिधान के लिए नाम-निर्देशन आवश्यक होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उन लोगों के मामले में, जो निर्वाचित यंत्र को नहीं चला सकते, हमें नाम-निर्देशन का ही आश्रय लेना चाहिए। अन्यथा नियमों के अधीन त्रावनकोर-कोचीन तथा मद्रास राज्यों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन तो होगा।

प्रवर समिति ने नियम विधायिनी शक्तियों में सम्बद्ध सरकारों के लिए प्रतिनिधि संस्थाओं का परामर्श लेना और बोर्ड के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए उनसे व्यक्तियों की तालिका प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया हैं। इस परिवर्तन की दृष्टि से, उस उपबन्ध में भी परिवर्तन करना होगा; वह उपबन्ध केवल मजदूर प्रतिनिधियों के बारे में ही रखा गया हैं, और उत्पादकों के प्रतिनिधियों के बारे में नहीं। मैं इस विधेयक में, तत्परिणामस्वरूप एक या दो छोटे परिवर्तनों के अतिरिक्त, केवल यही बड़ा परिवर्तन करना चाहता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं ने जिन परिवर्तनों का प्रस्ताव किया हैं, यदि वे सभा द्वारा स्वीकृत हो गए तो बोर्ड के कार्य-संचालन की रूपरेखा, यदि काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक को भी द्वितीय सभा ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति ने उसकी अनुमति दे दी, चाय बोर्ड की रूपरेखा के अनुसार बनाई जाएगी।

इस मामला विशेष में यद्यपि नाम-निर्देशित सभापति के बारे में कुछ आपत्ति हैं, तो भी प्रवर समिति के सदस्य नाम-निर्देशित सभापति की आवश्यकता से सहमति अवश्य रखते हैं, और दो विमति टिप्पण इस बात के द्योतक हैं कि वहां यह प्रश्न नहीं उठाया गया। वास्तव में श्री वेलायुधन ने अपने विमति टिप्पण में बहुत सी उपयोगी बातें कही हैं, और मैं समझता हूं कि बोर्ड के कार्यारम्भ करने के पश्चात, उनमें से बहुत सी बातों की ओर सरकार ध्यान दे सकेगी। श्री पुन्नूस तथा श्री नानादास द्वारा व्यक्त किए गए सन्देहों के बारे में भी मैं समझता हूं कि भविष्य में बोर्ड की कार्यवाहियों के साथ और बोर्ड के ऊपर सरकारी नियंत्रण तथा बोर्ड को सरकार द्वारा दिए जाने वाले परामर्श के साथ, हम इन में से कतिपय बातों को पूरा कर सकेंगे।

मैं समझता हूं कि सभा इस बात को स्वीकार करेगी कि प्रवर समिति से वापस आने पर इस विधेयक में कोई विवादास्पद बात नहीं रही है. रबड़ के मूल प्रश्न के बारे में मैं आशा करता हूं कि सभा को श्री थामस के विचारों का लाभ प्राप्त होगा, जो रबड़ बोर्ड के सभापति रह चुके हैं. जिस पद को उन्हें अस्वस्थ रहने के कारण छोड़ना पड़ा था। मैं समझता हूं कि वह सभा को बता सकेंगे कि रबड़ सम्बन्धी क्या सम्भावनाएं हैं। कतिपय अवश्यम्भावी शक्तियों के कारण हमारा विकास रुक जाता है। यह सम्भव है कि श्री वी० पी० नायर उस सम्भवता की व्याख्या करें। परन्तु जलवायु सम्बन्धी स्थितियां, उपलब्ध भूमि की रूपरेखा आदि द्रुत विकास में रुकावट डालती हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि हम अपनी मांग के बराबर उत्पादन करने का विचार कर लें, तो यह प्राप्य अभिलाषा है और इसे प्राप्त किया जा सकता है। अभी तक हमने इस विषय में अधिक काम नहीं किया है और इसीलिए मुझे आशा है कि श्री थामस का परामर्श हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। मैं समझता हूं कि हमारे लिए यह उपबन्ध करना अनुचित नहीं होगा कि आगामी सात या आठ वर्षों के अन्तर्गत हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रबड़ तैयार कर सकेंगे। हम ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर रहे हैं कि हम रबड़ के निर्यात के द्वारा धन अर्जित करेंगे। हम तो केवल यही चाहते हैं कि न्यूनाधिक मात्रा में हमारा देश रबड़ की दृष्टि से स्वावलम्बी बन सके।

यह बहुत कठिन समस्या है, और जितना ही मैं इसे समझने का प्रयत्न करता हूं, उतना ही मैं अपने आपको इस विषय में अनभिज्ञ अनुभव करता हूं। वास्तव में, सरकार इस दोषारोपण का तर्क दे सकती है कि हम गवेषणा संस्था स्थापित करने में समर्थ नहीं हुए हैं। दुर्भाग्यवश, सरकारी विचारधारा की रूपरेखा इसके विरुद्ध है। मैंने रबड़ उत्पादन आयुक्त को बताया है कि भवन की मांग में कोई सार नहीं है, अपितु इसके स्थान पर कुछ सुन्दर मकान अधिक उत्तम होंगे, जहां गवेषणा कार्य किया जा सके।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्): क्या अभी एक भी मकान मंजूर नहीं किया गया है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इसकी मंजूरी दी जा रही है। दूसरी कठिनाई यह है कि इस समय हमारे पास शिल्पिक व्यक्ति नहीं हैं। मैं एक गवेषणा विद्वान की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं जो गवेषणा का प्रभारी होगा। हमने मलाया से एक व्यक्ति का नाम प्राप्त किया था, परन्तु हमने अनुभव किया कि हम उसे पर्याप्त वेतन नहीं दे सकते परन्तु अभी पत्र-व्यवहार जारी है। ऐसे मामलों में मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि गवेषणा का इतना अधिक महत्व है कि इस काम को करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त करने के निमित्त चाहे कितना भी वेतन दिया जाए, अधिक नहीं है।

बड़ी बात यह है जिसे स्वीकार करना पड़ता है कि विभिन्न बागानों की उपज में बहुत अन्तर है। यही मुख्य कारण है। हमें रबड़ बागान के स्वामी को यह समझाना पड़ता है कि किसी पौधे से कम रबड़ प्राप्त करने की बजाये उसे काट देना अच्छा होता है। ये सभी कठि-

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

नाइयां हमारे सामने हैं और बोर्ड को छोटे उत्पादकों को यह समझाने के लिए बहुत शिक्षा देनी पड़ेगी कि वह अपनी स्थिति को किस प्रकार उत्तम रीति से सुधार सकता है।

दूसरी बात यह है कि हमारे वर्तमान रबड़ बोर्ड के पास, छोटे उत्पादकों से सम्पर्क बनाए रखने के लिए, कोई अभिकरण नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें अवश्य ऐसा कुछ कार्य करना होगा, क्योंकि कई बार जब हम देखते हैं कि हम प्रति पौण्ड रबड़ का भाव १ रुपए ६ आने निश्चित करते हैं, तो छोटे व्यक्ति इस का कोई लाभ नहीं उठाते हैं। सदा वही व्यक्ति लाभ उठाता है, जिसका पत्तन में स्टाक होता है, और जो छोटे व्यक्तियों से १ रुपया या १ रुपया १ आना प्रति पौण्ड के हिसाब से खरीदता है और जो इसे सम्भाल कर रख सकता है। इसलिए इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और सब कुछ केवल इसी कारण स्थगित कर दिया गया है क्योंकि अधिनियम में संशोधन करना है और जब तक अधिनियम में संशोधन नहीं होता और नया बोर्ड स्थापित नहीं हो जाता, हम इस काम को आरंभ नहीं कर सकते। यही तो बड़ी कठिनाई है। यदि मैं इसे स्थगित करता जाऊं, तो इसका अर्थ होगा कि रबड़ उद्योग में प्रगति रुक जाएगी, और यह एक ऐसा मामला है जिस के बारे में रबड़ में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी वर्ग में कोई मतभेद नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक का अनुमोदन करेगी और जानकार लोगों की सहायता से हम एक ऐसे संघ का निर्माण कर सकेंगे जो प्रभावी होगा और जो उन रबड़ का उत्पादन करने वालों की वास्तविक सेवा करेगा, जो यथार्थ रूप से अधिक सहायता के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी के नाम से एक संशोधन है। क्या वे उसे प्रस्तुत करेंगे?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): हां, श्रीमान।

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे पास सामान्य चर्चा के लिए ढ़ाई घंटे और अन्य दोनों क्रमों के लिए आध घंटा है। तृतीय पठन नहीं किया जाएगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रीतिवेदित रूप में उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह प्रस्ताव विलम्बकारी नहीं?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: वर्तमान विधेयक में रबड़ बोर्ड में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जिस ढंग से यह सब किया गया है इस से लोगों में खलबली मच गई है। यदि ऐसे जनमत के लिए प्रसारित किया जाए तो इससे कोई हानि न होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या मैसूर में रबड़ पैदा होता है? (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मुझे इस रुख पर घोर आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने यह तो नहीं कहा कि उन्हें बोलने का अधिकार नहीं। मुझे उन लोगों को अवश्य प्राथमिकता देनी पड़ी है जो उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं जहां रबड़ पैदा होता है। यदि मैं प्राथमिकता के बारे में न सोचूं तो फिर मेरी यहां आवश्यकता ही क्या है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: हमारे क्षेत्र में रबड़ कुछ मात्रा में पैदा किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव पर बोलें। इसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के बारे में सभा निर्णय करेगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: भिन्न भिन्न वस्तुओं के बारे में बोर्ड स्थापित करने की नीति का अनुसरण करने के बारे में बड़ी आलोचना हो रही है। मैं अनुभव करता हूं कि इन बोर्डों का कोई प्रभाव नहीं होता। माननीय मंत्री

की इस बात पर हम सहमत हैं कि छोटे बागान मालिकों को सरकारी सहायता की आवश्यकता है। बहुत समय से उनकी यही दशा हो रही है परन्तु सरकार ने उनकी कोई सहायता नहीं की।

रबड़ उद्योग का इतिहास देखने से पता चलेगा कि हम ने कच्चे रबड़ और इसकी वस्तुओं के उत्पादन में प्रगति की है। पहले हम रबड़ बाहर भेज दिया करते थे परन्तु हाल ही में इसकी वस्तुएं बनाने के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। चाहे अभी हम अपनी मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं हुए। कच्चे रबड़ के उत्पादन में जो उन्नति हुई है वह उद्योग द्वारा अपेक्षित मात्रा से बहुत कम है। उत्पादन न बढ़ने का मूल कारण यह है कि छोटे बागान मालिकों का संगठन करने का कोई यत्न नहीं किया गया है जो कि कुल रबड़ का ४० प्रतिशत उत्पादन करते हैं। भारतीय रबड़ की औसत २८० अथवा २९४ पाऊंड है और छोटे बागान की औसत २५० पाऊंड।

छोटे बागान मालिकों की अज्ञानता के कारण भी उत्पादन नहीं बढ़ सका है। वे नहीं जानते कि रबड़ का अधिक उत्पादन करने वाले बागान लगाने से उन्हें क्या लाभ होगा। इसके परिणाम-स्वरूप वे अपने बागान के उत्पादन को पुराने स्तर पर नहीं ला सके हैं। जैसे कि माननीय मंत्री ने कहा इसका कारण जलवायु, भूमि की स्थिति, देख-रेख की बुरी अवस्था और उपयुक्त काश्तकारी न होना भी हो सकते हैं। अमरीका और रूस के रबड़ जमा करने के कारण इसकी मांग बहुत बढ़ चुकी है। अतः इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें कोई योजना तैयार करनी चाहिए।

कई ओर से इस प्रयोजन के लिए गवेषणा बोर्ड अथवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला की मांग की गई है। थोड़ा उत्पादन करने वालों की सहकारी समितियां बनानी चाहिए। छोटे छोटे बागान को इकट्ठा करके बड़े बागान बनाए जाएं। व्यक्तिगत बागान का अधिकतम क्षेत्र भी निश्चित करना चाहिए।

संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह राज्य सरकार का विषय नहीं है?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: केन्द्रीय सरकार इस विषय में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। वर्ष १९४७ से इस उद्योग की देख रेख संघ सरकार ही करती है और इस विषय में कार्यवाही करने के लिए संघ सरकार के पर्याप्त अधिकार हैं।

रबड़ की मांग २५००० टन वार्षिक है और उत्पादन २२००० टन के लगभग है। इसकी खपत डनलप, फायरस्टोन और बाटा ही कर लेते हैं जिन में अधिकतर विदेशी पूंजी लगी हुई है। भारत सरकार का इन उपक्रमों पर नाम मात्र ही नियंत्रण है। आंकड़ों से पता चलता है कि इन उपक्रमों को काफी लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तुओं के मूल्य गिर जाने पर भी रबड़ के टायरों के मूल्यों में कमी नहीं हुई। इसका कारण यह है कि यह विदेशी उपक्रम सस्ते दामों में रबड़ की वस्तुएं नहीं देना चाहते। इन उद्योगों पर कब्जा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। रबड़ जैसी आवश्यक वस्तु विदेशी लोगों के हाथ में रहने से हानि पहुंचने का डर है। सम्भव है कि आपत्ति के समय यह विदेशी हमें सहयोग न दें।

सरकार को अधिकार है कि वह रबड़ तथा इस से बनी वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करे। हमारे परिवहन के लिए अधिक टायरों इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी। परन्तु वर्तमान उपक्रम उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि उत्पादन बढ़ने से मूल्य कम हो जाएंगे। भारत के लोगों को सस्ते टायरों तथा ट्यूबों की आवश्यकता है परन्तु इन उपक्रमों ने अधिक उत्पादन करने से इन्कार कर दिया है। इसे दृष्टि में रखते हुए मैं मांग करता हूं कि रबड़ की वस्तुएं बनाने वाले उपक्रमों पर सरकार कब्जा कर ले, विदेशियों का इन से कोई सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए।

रबड़ के लिए बनाए गए बोर्ड ने ठीक प्रकार कार्य नहीं किया और मुझे शंका है कि जो नया बोर्ड बनाया जा रहा है वह भी उसी प्रकार

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

कार्य करेगा। वस्तुओं सम्बन्धी यह बोर्ड ठीक प्रकार कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे अनुभव से पता चलता है कि यह बिल्कुल व्यर्थ हैं। इनके निर्माण की नीति और असफलता के कारण जानने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। इन बोर्डों ने भिन्न भिन्न उद्योगों को जो सहायता दी है वह नाममात्र ही है। आशा है कि जांच समिति बनाने के मेरे सुझाव से माननीय मंत्री सहमत होंगे।

श्री वेलायुधन : उनका कार्य देखने के लिए बागान जांच समिति है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: बागान जांच समिति केवल बागान उद्योग और उसके बोर्ड की समस्याओं पर विचार करेगी। मेरा अभिप्राय तो इस प्रकार के सब बोर्डों की जांच करने से है। मैं सुझाव देता हूं कि इसके लिए संसद की एक समिति बनाई जाए। यदि इसके लिए कोई और साधन हो तो मैं यह सब बात माननीय मंत्री पर छोड़ देता हूं। कहने का अभिप्राय यह है कि हम इन बोर्डों से पूरा लाभ उठा सकें। बोर्डों के सामूहिक प्रश्न पर विचार करके इनकी नीति निश्चित की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री ए० वी० थामस (श्री बैंकुण्ठम्): जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा इस विधेयक पर कोई मतभेद नहीं है। विधेयक के खंडों पर चर्चा हो चुकी है और जो मतभेद था वह दूर हो चुका है। बोर्ड में नामजदगी के सिद्धान्त का हमने विरोध किया परन्तु माननीय मंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया और वे कुछ संशोधन कर रहे हैं जिस से उत्पादकों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो जाया करेगा।

१९४७ में यह बोर्ड मुख्यतः उत्पादकों के हितों का बचाव करने के लिए स्थापित किया गया था। उस समय उत्पादकों को सामग्री के उचित दाम नहीं मिलते थे। जब इस पर सरकार का ध्यान दिलाया गया तो उसने १९४८ में प्रशुल्क बोर्ड को इसकी जांच करने के लिए कहा। उन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया और मूल्य निश्चित कर दिए, जिन्हें उत्पादकों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वे मूल्य उचित थे और हम ने भी उन्हें मान लिया। इस प्रकार यह बोर्ड प्रारम्भ हुआ।

इसके उपरान्त इस बोर्ड ने मूल्यों के प्रश्न में अधिक व्यस्त होते हुए भी छोटे उत्पादकों के लिए पर्याप्त काम किया। इसने सर्वोत्तम प्रकार के कलोंबल बीजों का संभरण शुरू कर दिया। १९४९ में यह सम्भरण प्रारम्भ हुआ, अगले वर्ष ८,००० बीजों का सम्भरण किया गया। १९५० में १,६०,०००, १९५१ में ५,५०,००० और १९५२ में ८ लाख बीजों का सम्भरण किया गया। और १९५३ में इसकी मांग १९ लाख तक पहुंच गई। परन्तु इतने बीज थे नहीं, अतः केवल ६ लाख बीजों का ही सम्भरण किया जा सका था। मलाया से भी ४०,००० बीज लाने के विषय में बोर्ड सोच विचार कर रहा है।

इसके अतिरिक्त बोर्ड ने उत्तम पौधों के सम्भरण के लिए दो 'पौधाघर' स्थापित किए हैं। १९५२ और १९५३ में इन में से १,२०,००० पौधों का सम्भरण किया गया।

इसके अतिरिक्त छोटे उत्पादकों के लिए मूल्य में भी रियायत कर दी गई है। कई बार तो क्रय मूल्य से भी कम कीमतों पर ये बीज दिए गए हैं।

छोटे उत्पादकों को स्थानीय सेवा और परामर्श भी दिया गया है। इस कार्य के लिए बोर्ड ने बड़े अनुभवी लोगों को नियुक्त किया था जिन्होंने रबड़ के उत्पादन में उन्हें बड़े उचित परामर्श दिए। वृक्षों पर छिड़काव करने के लिए फवारे इत्यादि भी दिए गए।

इस प्रकार से छोटे उत्पादकों के लिए बहुत कुछ किया गया है। और उन छोटे उत्पादकों ने स्वयं इन कार्यों की बड़ी सराहना की है।

बोर्ड पिछले दो तीन वर्षों तक प्रयत्न करता रहा है कि छोटे उत्पादक अपने रबड़ के रस को भेजें ताकि सस्ते मूल्य पर वह रबड़ बनाया जा

सके, परन्तु उन में पारस्परिक कोई सहयोग न था. वे एक दूसरे में विश्वास नहीं रखते थे। अतः अन्त में हमें यह प्रयत्न छोड़ देना पड़ा ।

जहां तक पुनर्रोपण का सम्बन्ध है ऐसा निर्णय किया गया कि रबड़ के १,७४,००० एकड़ों में से लगभग एक लाख एकड़ भूमि में पुनर्रोपण होना चाहिए। ये क्षेत्र बहुत पुराने हैं और उत्पादन बहुत कम होता है। अतः मांग को पूरा करने के लिए हमें गवेषणा कार्य करना ही होगा। और इसके लिए नई भूमि में उत्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम पुरानी भूमि को ही सुधारना चाहते हैं।

यह विधेयक बोर्ड को प्रर्याप्त शक्ति प्रदान करता है कि वह आवश्यकता के समय उत्पादकों को पुराने वृक्षों को काटकर नव रोपण के लिए बाध्य कर सके। यही तो इसका लाभ है।

इसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ गया है। १९४८ में १५,००० टन था और १९५४ में २२,००० टन हो गया। इसका मूल कारण नवरोपण था। उत्तमोत्तम बीजों से २५,००० एकड़ रबड़ के पौधे रोपित किए गए हैं। इस प्रकार से प्रति वर्ष गवेषणा अधिक उत्तम ढंग से होती जाएगी जिससे इसका उत्पादन अपेक्षा के अनुसार बढ़ता ही जाएगा।

ऐसा अनुमान है कि कुछ ही वर्षों में इसका उपयोग भी बढ़ जाएगा। १९४८ में यह १९,००० टन था, गत वर्ष २२,२०० टन और १९५४ के लिए २७,००० टन का अनुमान लगाया जाता है। अतः यदि एक लाख एकड़ भूमि को उत्तमोत्तम साधनों से पुनर्रोपित किया जाए तब कहीं जाकर मांग पूरी हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वी० पी० नायर।

श्री वी० पी० नायर: इस विधेयक का समर्थन यह कह कर किया गया है कि आज की स्थिति में रबड़ उत्पादन के छोटे मालिकों के हित का उचित प्रकार से संरक्षण नहीं किया जा रहा है, और यह विधेयक यह कार्य करता है।

आज छोटे उत्पादकों के हितों की हानि क्यों हो रही है? इस प्रश्न को देखने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि रबड़ उद्योग की वास्तविक स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि रबड़ के लगभग ४० प्रतिशत उत्पादन पर ५० या ६० बड़े बड़े बागान स्वामियों ने नियंत्रण कर रखा है। इस प्रकार से रबड़ उद्योग में उन बड़े लोगों का एकाधिपत्य है और छोटे उत्पादकों की स्थिति शोचनीय है।

ट्रावनकोर-कोचीन और दक्षिणी भारत के अन्य सभी स्थानों में रबड़ के वृक्ष एक ही प्रकार के हैं। हमने अन्य प्रकार के वृक्षों के लिए कोई प्रयोग किए ही नहीं। एक और अद्भुत बात यह है कि रबड़ की भूमि में अन्य प्रकार का अन्न भी उत्पादित किया जा सकता है। परन्तु हमने वैसा प्रयत्न नहीं किया।

परन्तु छोटे उत्पादकों के सामने यह कठिनाई होती है कि वे अपनी सारी पूंजी पहले उत्पादन के लिए ही लगा देते हैं और उन्हें काट कर नए प्रकार से लगाने के लिए उनके पास पूंजी नहीं होती।

रबड़ के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अभी क्या किया है? यह वस्तु भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है, इसका सारा उत्पादन भारत के उद्योगों में ही खप जाता है।

लगभग ८५,००० लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं। श्रमिकों को अधिकतम एक रुपया आठ आने प्रति दिन के हिसाब मजदूरी मिलती है। सरकार ने इस उद्योग के सुधार के लिए बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, परन्तु कुछ न हुआ। और अभी तक उचित मूल्य भी निर्धारित नहीं किया गया है। रबड़ के मूल्य को कुछ बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि उत्पादकों को लाभ हो सके। भारत का लगभग ७५ प्रतिशत रबड़ भारत की तीन बड़ी बड़ी विदेशी कम्पनियों के द्वारा खपा लिया जाता है। इसका अर्थ है कि वे सस्ते मूल्य पर रबड़ प्राप्त कर के भारत का शोषण कर रहे हैं और हमारी सरकार इसी बात में प्रसन्न है ।

डनलप कम्पनी, इंडिया लिमिटेड, का ही संतुलन-पत्र देख लीजिए। प्रारम्भ में केवल २-३ करोड़ रुपया लगाया गया था जिसमें से केवल १ करोड़ रुपया नकद लगाया गया था। कम्पनी प्रति

[श्री वी० पी० नायर]

वर्ष लगभग १ करोड़ का लाभ उठाती जा रही हैं और १९४९ से ५.७७ करोड़ का लाभ उठा चुकी हैं। मैं सरकार के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं क्या उन्होंने इन कम्पनियों के महान लाभों पर कोई नियंत्रण करने का प्रयत्न किया हैं?

प्रशुल्क-आयोग के प्रतिवेदन से प्रतीत होता हैं कि रबड़ ऐसी भूमि पर उत्पन्न होता हैं जहां अन्य फसलें भी पैदा हो सकती हैं। अन्य वस्तुओं के भी भाव चढ़ जाते हैं। यदि १९३९ का चावल सम्बन्धी दर्शनांक १०० मान लिया जाए तो यह ४५५ तक जा चुका हैं। काफी ६९६ तक जा चुकी हैं, जिंजर १,११५ तक और काली मिर्च ३,९९५ तक बढ़ चुकी हैं। तो क्यों न रबड़ का मूल्य भी बढ़ा दिया जाए? सरकार तो केवल पूंजीपतियों के हित को दृष्टि में रख कर ही इस भाव को बढ़ाती नहीं। रबड़ उद्योग में से लगभग ८० प्रतिशत तो इन्हीं महान विदेशी कम्पनियों के हाथ में हैं।

इस मूल्य के न बढ़ाने का सर्व-महान कारण यह भी हैं कि सरकार को स्वयं अपनी सैनिक शक्तियों के लिए रबड़ की आवश्यकता होती हैं और वे इन बेचारों से सस्ते मूल्य पर ले कर अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं।

इसका भयानक परिणाम यह हुआ हैं कि सरकार ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के साथ ही साथ इस देश के ८० प्रतिशत उत्पादन को खपा जाने वाली उन तीन विदेशी कम्पनियों को भी यहां से सस्ते मूल्य पर रबड़ लेकर अधिक से अधिक लाभ उठाने, और अपनी वस्तुओं को अधिक मूल्यों पर न ही केवल भारत में अपितु विदेशों में भी बेचने की इजाजत दे रखी हैं।

अतः यदि वास्तव में सरकार छोटे उत्पादकों के हितों का संरक्षण सच्चे जी से करना चाहती थी तो उन्हें और कोई प्रबन्ध करने चाहिएं थे।

रबड़ केवल **हेविया ब्राजीलियनसिस** से ही पैदा नहीं होता। और भी बहुत से पौधे हैं, जिन में से रबड़ का दूध निकलता हैं और रबड़ पैदा हो सकता हैं।

छोटे उत्पादक को जो कठिनाई पेश आती हैं, वह दुर्भाग्यवश उत्पन्न नहीं होती बल्कि रबड़ के सम्बन्ध में सरकार की मूल्य नीति के कारण उत्पन्न होती हैं। एक और बात जिस की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह हैं कि यदि सरकार रबड़ के उत्पादकों के हितों की रक्षा करना चाहती तो वह संविहित सीमाओं के अन्दर कुछ अधिकारों का प्रयोग कर सकती थी। मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की हैं, जिससे वे छोटे छोटे उत्पादक, जिन्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हैं, ऋण ले सकें? इसके उत्तर में यह कहना आसान हैं कि छोटे उत्पादक क्लोनल बीज और कलियां लगाने से इन्कार करते हैं। बड़े बड़े बागानों वाले तो ऐसा कर सकते हैं, किन्तु ऐसा करने के लिए छोटे उत्पादकों को पुराने वृक्ष काटने पड़ते हैं। क्या आप ने उन्हें पर्याप्त प्रतिकर दे कर पुराने वृक्ष काटने और उन के स्थान पर क्लोनल पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया हैं। सरकार उन्हें क्लोनल पौधे शुल्क भी दे सकती थी, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। केवल थोड़े से मामलों में इन्हें कम मूल्यों पर यह पौधे दिए गए हैं। मैं कहता हूं कि सरकार ने छोटे उत्पादकों के हितों की बिल्कुल रक्षा नहीं की।

फिर एक और विषय में भी माननीय मंत्री कुछ कार्यवाही कर सकते थे। रबड़ के विक्रय को वर्तमान विधियों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जा सकता था। क्या मांग के समय वास्तविक उत्पादक को वही मूल्य मिलता हैं जो सरकार ने किसी विशिष्ट स्तर पर निश्चित किया हैं? बिल्कुल नहीं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यही बात मैं पहले कह चुका हूं। मैंने कहा हैं कि जो मूल्य हम ने निश्चित किया हैं, वह छोटे उत्पादक को नहीं मिलता।

श्री वी० पी० नायर: मैं आप को बतलाता हूं कि यह कैसे होता हैं। मान लीजिए मैं एक छोटा उत्पादक हूं और मेरे पास २५ पौण्ड रबड़ हैं। मैं इसे व्यापारी के पास ले जाता हूं तो

यह कहता है कि उसे इस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह उस किस्म का नहीं, जो वह चाहता है। इस तरह वह इसे तब तक नहीं खरीदेगा जब तक कि उसे विश्वास न हो जाए कि इसे बेच कर उसे बहुत अच्छे दाम मिल सकते हैं। १९५२ में इस तरह बहुत समय तक माल जमा होता रहा, छोटे उत्पादक इतनी देर तक रुक नहीं सके, और उन्हें सरकार द्वारा निश्चित मूल्य से बहुत कम मूल्य पर बेचना पड़ा। इसके बाद सरकार के दबाव पर कम्पनियों ने रबड़ खरीदना शुरू कर दिया और अत्यधिक लाभ कमाया। माननीय वाणिज्य मंत्री के लिए ऐसे नियम बनाना सम्भव था जिन के अन्तर्गत यह चीज रोकी जा सकती। वह सदा कहते रहते हैं कि हम आलोचना तो करते हैं किन्तु कोई सुझाव नहीं देते। मैं उन्हें एक सुझाव देता हूं। यदि वह मूल उत्पादकों की सहायता करना चाहते हैं तो यह व्यवस्था कर सकते हैं। रबड़ बोर्ड स्वयं कुछ रबड़ खरीद सकता है। जब छोटे उत्पादक को अपना माल बेचने में कठिनाई हो और व्यापारी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हों, जब वे अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, उस समय रबड़ बोर्ड माल ले कर अपने पास जमा कर सकता है और छोटे उत्पादकों को ५० प्रतिशत या ६० प्रतिशत पेशगी मूल्य दे सकता है, ताकि उन्हें अपना माल कम मूल्यों पर न बेचना पड़े। बोर्ड के लिए ५० लाख या १ करोड़ रुपए का रबड़ खरीदना कठिन न होगा।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा करना नहीं है। यदि सरकार का यह इरादा होता, तो वह एक और विधान प्रस्तुत करती, जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की जाती कि छोटे उत्पादकों को वित्तीय सहायता कैसे दी जाए, उन के उत्पाद को कैसे बेचा जाए, उन्हें कैसे पर्याप्त ऋण दिए जाएं और उन से उपज की किस्म में कैसे सुधार किया जाए। यह कहना गलत है कि छोटे उत्पादकों के बागान लाभप्रद नहीं होते। उत्पादक अच्छी तरह जानते हैं कि फसल कैसे उगाई जाती है। उन्हें केवल मूल्य उचित मिलना चाहिए। बिना उचित मूल्य प्राप्त किए, उनके लिए पैदावार बढ़ाना सम्भव नहीं है। रबड़ के मूल्य बहुत कम निर्धारित कर के सरकार डनलप और अन्य बड़ी बड़ी कम्पनियों को हमारे लोगों का खून चूसने का अवसर दे रही है।

श्री ए० एम० थामस : इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री ने इस उद्योग के विकास के सम्बन्ध में सुझाव मांगे थे। एक समय था जबकि सुदूर दक्षिण के लोग इस स्थिति के बारे में बड़े चिन्तित थे। श्री वी० पी० नायर ने सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि किस प्रकार डनलप रबड़ समवाय जैसे समवाय उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। किन्तु मैं श्री० वी० पी० नायर को बताता हूं कि वर्तमान वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इस उद्योग की समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं हैं, और उन्होंने इस उद्योग के पक्ष में शुरू से ही जो कुछ किया है, उसको इस उद्योग ने भुला नहीं दिया है।

मई १९५१ में प्रशुल्क बोर्ड के सुझाव पर १०० पौण्ड रबड़ की कीमत १२८ रु० ८ आ० कर दी गई जिसमें पुनर्स्थापन हेतु ६ रु० ४ आ० का अंश भी सम्मिलित था। अक्टूबर १९५२ में यह मूल्य १३८ रु० प्रति १०० पौण्ड कर दिया गया।

उद्योग की समस्या केवल मूल्य के साथ ही तय नहीं हो जाती। मैं सभा को बता दूं कि १,७३,६४३ एकड़ भूमि में रबड़ की पैदावार होती है, त्रावनकोर-कोचीन में १.३७,३५३ एकड़ भूमि में तथा मलाबार में छोटे छोटे बागान को सम्मिलित करते हुए ७१,४०० एकड़ भूमि में।

यह कहा जाता है कि ४० प्रतिशत एकड़ भूमि में २८ प्रतिशत से भी कम रबड़ पैदा होता है, जब कि बड़े बड़े बागान की ६० प्रतिशत एकड़ भूमि में ७२ प्रतिशत तक रबड़ पैदा होता है। मैं रबड़ उद्योग की महत्ता पर अधिक नहीं कहना चाहता। सब जानते हैं कि वर्तमान समय में इसका कितना महत्व है। मेरे माननीय मित्र श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने इस सम्बन्ध में काफी कहा है।

आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम पर्याप्त मात्रा में रबड़ की पैदावार करने के उपाय

[श्री ए० एम० थामस]

सोचें ताकि औद्योगीकरण की प्रगति के साथ साथ आन्तरिक मांगों की पूर्ति के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में रबड़ उपलब्ध हो सके। अतः यह सबसे आवश्यक है कि हम रबड़ के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हों। हम अच्छे उत्पादन के संबंध में बहुत से अन्य देशों से पीछे हैं। हमने वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रयोगों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

मेरे माननीय मित्र श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने, जो यह कहा कि बोर्ड एक मूक बोर्ड के समान काम कर रहा है और यह कोई लेखा जोखा नहीं रखता, उससे मैं सहमत नहीं हूं। रबड़ बोर्ड के सभापति ने इस बोर्ड की समस्याओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और बताया कि इस बोर्ड ने उन समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया है।

१९४७ में जब बोर्ड बना था तो सबसे बड़ी समस्या कीमत की थी, तथा निर्माताओं और उत्पादकों के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। इन समस्याओं का सामना करने के साथ साथ बोर्ड ने कुछ पुनर्स्थापन कार्य भी किया। कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, नए भवन बने और नस्ल का सुधार किया गया तथा बेकार पेड़ काट दिए गए।

उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों के देखने पर भी यह पता चलता है कि हर साल उसमें प्रगति होती गई। अतः यह कहना गलत है कि यह बोर्ड एक मूक बोर्ड के समान काम करता आ रहा है और इसने कुछ भी नहीं किया है, यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बोर्ड पूरी तरह से अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाया है। सुधार के लिए अभी काफी क्षेत्र हैं। सबसे बड़ी समस्या वित्त की है। इसी दृष्टिकोण से सरकार ने इस विधेयक में कर वृद्धि का उपबन्ध किया है। इससे रबड़ बोर्ड को अच्छी खासी प्राप्ति हो सकेगी और वह अपने कार्यों की पूर्ति करने में समर्थ हो सकेगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने उत्पादकों के लिए सहकारी संगठन बनाने की आवश्यकता का निर्देशन किया है। रबड़ बोर्ड ने विक्रय संगठन के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन तैयार किया है, जो प्रकाशित भी हो गया है।

यह एक बहुत कीमती प्रलेख है और हमें इस रिपोर्ट से बहुत उपयोगी जानकारी मिल सकती है। कहा गया है कि उत्पादकों की सहकारी संस्थाएं स्थापित करने में वास्तविक कठिनाई वित्त की है। इस रिपोर्ट में बतलाया गया है कि ये संस्थाएं कैसे बनानी चाहिएं। सहकारी संस्थाओं को ऋण देने के लिए स्वयं विधेयक में आवश्यक उपबन्ध होना चाहिए।

छोटे उत्पादक की समस्याओं को हल करने के लिए इस विधेयक में काफी प्रयत्न किया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि छोटे उत्पादक का इस उद्योग में एक विशेष स्थान है। इस सम्बन्ध में सन्देह किया गया है कि क्या छोटे बागानों को इस उद्योग में कोई स्थान है अथवा नहीं। जिस प्रतिवेदन की ओर मैंने निर्देश किया है उससे हम कई महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं। उसमें लिखा है कि प्रत्येक रबड़ उत्पादन करने वाले देश में छोटे बागान पर्याप्त मात्रा में हैं और नीदरलैण्ड इंडीज जैसे मुख्य रबड़ उत्पादक देशों में यह ६७.१ प्रतिशत हैं। इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कीमतों के घटने-बढ़ने के समय छोटे बागानों पर ही उनकी प्रतिक्रिया शीघ्र होती है और संकट की स्थिति में उत्पादन बढ़ाने में भी वे सफल होते हैं। अतः छोटे उत्पादक का इस उद्योग में अपना ही स्थान होता है और इसीलिए उसे आवश्यक प्रविधिक सहायता दी जानी चाहिए। मलाया का छोटा उत्पादक अधिक रबड़ का उत्पादन करता है। भारतीय उत्पादक को संरक्षण तथा सहायता की आवश्यकता है ताकि लाभप्रद उत्पादन हो सके।

सरकार ने इस उत्पादक की समस्याओं को समझ कर प्रवर समिति के सामने कई संशोधन रखे थे और प्रवर समिति ने इसी विधेयक में उनको सम्मिलित किया है। आप देखेंगे कि एक पुंज निधि बनाने का उपबन्ध किया गया

संशोधन विधेयक

हैं जिससे रबड़ के बागानों को सहायता दी जा सके।

दूसरी समस्या मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में हैं। मूल्य नियंत्रण की नीति बहुत अच्छी हैं, परन्तु फिर भी जैसा कि माननीय वाणिज्य मंत्री ने कहा हैं कि बाज़ार के भाव संभरण तथा मांग के नियम पर निर्भर करते हैं, जो कि कुछ विभिन्न व्यापार हितों पर आश्रित होते हैं।

एक और कठिनाई की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गत वर्ष रबड़ उत्पादक, अपने स्टाक का विक्रय करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे थे, यद्यपि हमारे देश में ही रबड़ की पर्याप्त आवश्यकता थी। वाणिज्य मंत्री चाहते थे कि छोटे उत्पादकों की रक्षा की जाए, परन्तु अधिनियम में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं था जिससे कि उनकी रक्षा की जा सकती, अतः इस प्रकार की किसी भी आकस्मिकता का सामना करने के लिए इस विधेयक में एक विशिष्ट उपबन्ध किया जा रहा हैं जिसके द्वारा बोर्ड ऐसी परिस्थिति में रबड़ का क्रय कर सकेगा। अब बोर्ड के द्वारा क्रय वैध बना दिया गया हैं।

श्री वी० पी० नायर: अन्यथा, क्या यह अवैध था?

श्री ए० एम० थामस: नहीं तो। पहले रबड़ खरीदने का कोई आवश्यक उपबन्ध नहीं था। इसके पश्चात् रबड़ उत्पादकों ने आयात अनुज्ञप्तियां देने की कड़ी आलोचना की। कई लोग निश्चित अवधि के भीतर रबड़ का आयात ही नहीं करते थे, अतः उन शिकायतों को दूर करने के लिए एक और उपबन्ध बनाया गया हैं जिसके द्वारा बोर्ड को आयात करने के अधिकार दिए जाएंगे।

श्री गुरुपादस्वामी तथा श्री वी० पी० नायर ने कई शिकायतें की थीं और उन्हीं शिकायतों को इस विधेयक द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा हैं। यह विधेयक कोई अन्तिम बात नहीं हैं। इसके पश्चात बोर्ड में ७ बागान स्वामियों के प्रतिनिधियों में ३ छोटे बागान स्वामियों के प्रतिनिधि लिए जाएंगे जिससे कि छोटे उत्पादकों का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व हो सके। फिर इस विधेयक के अनुसार पुंज विधि बनाई जाएगी और संकट के समय मूल्य के गिरने की समस्या को भी हल करने का प्रयत्न किया गया हैं।

मेरा विचार हैं कि यदि इस विधेयक को ठीक ढंग से कार्यान्वित किया गया तो इस उद्योग की अधिकतर समस्याएं हल हो जाएंगी। केन्द्रीय सरकार भी इस उद्योग की ओर पूरा पूरा ध्यान दे रही हैं। इससे हमें अत्यन्त प्रसन्नता हैं। यदि इस विधेयक के उपबन्धों को पूर्णतया कार्यान्वित किया गया तो इतना ही पर्याप्त होगा।

यह भी कहा गया हैं कि एक गवेषणा केन्द्र नहीं खोला गया। माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा हैं कि यह दोष बोर्ड को नहीं दिया जा सकता। मेरे विचार में विधेयक पारित हो जाने पर और एक नया रबड़ बोर्ड बन जाने पर इस उद्योग के इतिहास का एक नया पृष्ठ आरम्भ होगा और सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी।

श्री वी० पी० नायर ने कहा हैं कि रबड़ निर्माता, रबड़ उगाने वालों को कुछ समय से वास्तव में नष्ट करते आए हैं। इसका वास्तविक उपचार तो यह हैं कि जहां कच्चा माल उपलब्ध हो वहां पर एक निर्माण समवाय भी होना आवश्यक हैं।

अधिकतर कच्चा माल त्रावनकोर-कोचीन तथा मलाबार में मिलता हैं, किन्तु निर्माण के कारखाने या तो कलकत्ता में हैं या बम्बई में। इसीलिए इन रबड़ उत्पादकों का शोषण होता हैं।

श्री वी० पी० नायर ने डनलप कम्पनी के बारे में कुछ कहा हैं। मैं इस बात में उनका समर्थन करता हूं। डनलप कम्पनी की वर्तमान नीति से हमें कोई लाभ नहीं पहुंच सकता। वे केवल दो व्यक्तियों को प्रतिवर्ष ब्रिटेन प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। उनके कर्मचारियों में कोई भी ऐसा भारतीय नहीं हैं जो टायर बनाना जानता हो। आज डनलप वालों को यहां आए हुए २० वर्ष हो चुके हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि कोई कारखाना उन्हीं स्थानों के निकट बनाया जाए, जहां पर रबड़ उपलब्ध होता हैं।

[श्री ए० एम० थामस]

यद्यपि रबड़ पर लगाया हुआ शुल्क कम है फिर भी रबड़ बोर्ड इसे एकत्र करने में कठिनाई अनुभव करता है। मेरे विचार में हमें इसका कोई न कोई उपाय करना चाहिए और ऐसे साधन बनाने चाहिएं जिनसे कि यह शुल्क इकट्ठा किया जा सके अन्यथा एक आना प्रति पौण्ड शुल्क लगाने से कोई लाभ नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्री गुरुपादस्वामी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री वेलायुधन : मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं और मेरे विमति टिप्पण पर माननीय मंत्री के विचार भी। इस विधेयक का विरोध उत्पादकों ने किया है और माननीय मंत्री के इस संशोधन से, मेरे विचार में, उस विरोध को पर्याप्त हद तक दूर कर दिया गया है। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं जहां अधिक रबड़ बागान हैं और मैं प्रवर समिति के प्रधान श्री थामस तथा वाणिज्य मंत्री महोदय का आभारी हूं कि वे हमें त्रावनकोर-कोचीन में बागानों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए ले गए थे। रबड़ उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। पहले रबड़ बोर्ड की भी बड़ी आलोचना हुई है। अब हमें यह देखना है कि सभापति तथा सदस्यों के नाम-निर्देशन का विरोध कब से आरम्भ हुआ। यह विरोध श्रमिकों की ओर से नहीं किया गया था, क्योंकि साम्यवादी सदस्यों ने बोर्ड के नाम-निर्देशित सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था। अतः यह विरोध उन बागान स्वामियों की ओर से हुआ है जो अब तक बोर्ड का नियंत्रण सम्भाले हुए थे। मेरे माननीय मित्र श्री ए० वी० थामस कई वर्ष इस बोर्ड के सभापति रह चुके हैं, परन्तु जब भी कभी इस बोर्ड की बैठकें हुईं तो कभी तो सदस्य ही कम संख्या में उपस्थित रहे और कभी कभी बुलाने पर भी बैठकें नहीं हुईं।

बोर्ड के अन्य कर्तव्य अनुज्ञप्तियां देना, शुल्क इकट्ठा करना और बीज संभरण करना था। ये कर्तव्य सीमित थे अतः इनके लिए एक बोर्ड रखने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। अनुज्ञप्ति आदि देने का कार्य तो वाणिज्य मंत्रालय भी कर सकता है। यह बोर्ड इस उद्योग की महान सेवाएं एक गवेषणा केन्द्र खोल कर कर सकता है, किन्तु बोर्ड ने बताया कि उपयुक्त भवन आदि न होने के कारण केन्द्र स्थापित नहीं किया जा सका। आप देख सकते हैं कि यह तर्क कितना व्यर्थ सा है। इस केन्द्र के लिए एक विशाल भवन की आवश्यकता थोड़े ही थी।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर---उत्तर): श्रीमान, औचित्य प्रश्न के हेतु कहना चाहती हूं कि सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या जानती हैं कि मध्यान्ह भोजन के समय यहां गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जाता। कार्यवाही यथावत चलती रहती है।

श्री वेलायुधन : त्रावनकोर-कोचीन राज्य में गवेषणा केन्द्र की स्थापना के लिए भवनों की कमी नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वाणिज्य मंत्री ने इस ओर यथार्थ की दृष्टि से विचार किया है और शीघ्र ही हमारे राज्य में एक गवेषणा केन्द्र आरम्भ हो जाएगा।

श्री वी० पी० नायर ने छोटे बागान स्वामियों के सम्बन्ध में पर्याप्त बातें कही हैं। परन्तु हमने उनके बागान देखे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को भी हम जानते हैं। वे लोग कोई निर्धन श्रमिक नहीं हैं। उनके पास २५ से १५० एकड़ तक भूमि है।

श्री पुन्नूस के एक सम्बन्धी के पास लगभग ५० एकड़ का एक बाग है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या इतनी भूमि वाले स्वामी शोषण नहीं करते।

जब हम इन छोटे बागान स्वामियों को सहायता दें तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन लोगों में स्वामित्व बढ़ाने की भावना उत्पन्न न होने पावे। हमारा ध्येय तो राष्ट्रीयकरण है। यद्यपि रबड़ उद्योग से लाखों पौण्ड की आय होती है फिर भी पूंजीपति संतुष्ट

नहीं हैं। इतना होने पर भी यह लोग सरकार से संरक्षण तथा वितीय सहायता की मांग करते रहते हैं। परन्तु इन छोटे अथवा बड़े बागानों में श्रमिकों की जो अवस्था हैं मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। इन लाखों रुपये कमाने वाले धनियों ने एक भी रहने योग्य आवास स्थान का प्रबन्ध श्रमिकों के लिए नहीं किया हैं।

मैं कई अच्छे अच्छे बागानों में गया हूं जो त्रावनकोर-कोचीन में हैं, किन्तु सब स्थानों में अवस्था एक सी हैं। इस पर प्रबन्धकों का जो श्रमिकों से बर्ताव हैं वह असभ्यतापूर्ण हैं। मैं तो यह समझता हूं कि आज भारत में इन श्रमिकों से अधिक कोई शोषित वर्ग नहीं हैं। इन लोगों के बच्चे जंगलों में मलेरिया आदि रोगों के कारण मर जाते हैं। न तो उनके लिए कोई अस्पताल हैं और न ही कहीं पर पाठशालाओं के प्रबन्ध हैं। उन्हें पेट भरने के लिए पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती। इससे अधिक बुरी अवस्था सम्भवतः अन्य किसी वर्ग की नहीं हैं। सरकार को इनकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मुझे प्रसन्नता हैं कि प्रवर समिति ने खंड ६ में एक उपबन्ध किया हैं जो इन मजदूरों के कल्याण के लिए हैं।

अब मैं पुंज निधि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह पुंज निधि छोटे बागान स्वामियों को सहायता देने के निमित बनाई जा रही हैं। बड़े बागान स्वामी तो अपने ही लाभ के धन से अपने बागान में विकास कर लेते हैं, किन्तु यह विधि केवल छोटे लोगों के लिए हैं।

अब हमारे राज्य में एक भूमि सुधार विधेयक बनने जा रहा हैं। मुझ से कई रबड़ उत्पादकों ने यह कहा हैं कि यदि अधिकतम भूमि की मात्रा २५ एकड़ रखी गई तो रबड़ बागानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। त्रावनकोर-कोचीन राज्य की सरकार का भूमि सुधार कार्य एक महान कार्य हैं और इस प्रकार का विधान आज तक एशिया में नहीं बनाया गया हैं।

श्री कॉट्टुकप्पल्ली: क्या हम भूमि सुधार विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं या रबड़ विधेयक पर?

श्री वेलायुधन: माननीय सदस्य ने यह प्रश्न स्वयं ही उठाया था कि २५ एकड़ की सीमा निश्चित करने से रबड़ बागान उद्योग को हानि होगी। इसीलिए अब यह बात मैं ने कही हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात जो पहली बात माननीय मंत्री को करनी चाहिए, वह यह हैं कि श्रमिकों का कल्याण किया जाए और उनकी अवस्था सुधारी जाए। सरकार का यह कर्तव्य हैं कि लोगों को शोषण से बचाये। मैं स्वयं श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित हूं और मुझे उन लोगों की अवस्था का ज्ञान हैं, अतः सरकार को उनकी अवस्था सुधारने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री कितना समय लेंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: लगभग १० मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री १० मिनट लेंगे। अब श्री कॉट्टुकप्पल्ली तथा श्री बोगावत १५ मिनट ले सकते हैं।

श्री कॉट्टुकप्पल्ली: श्रीमान, मैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र से आया हूं जो कि रबड़ का मुख्य उत्पादक हैं और मैं स्वयं भी एक रबड़ उत्पादक हूं अतः यह मेरा कर्तव्य हैं कि मैं रबड़ उद्योग से संबंधित सभी लोगों की भावनाओं को व्यक्त करूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से उन सब लोगों में थोड़ा असंतोष हैं।

१९४७ के अधिनियम के अनुसार, रबड़ के उत्पादकों, निर्माताओं तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव होता था और उनका सभापति भी निर्वाचित होता था, किन्तु विधेयक के इस परिवर्तन से तो केन्द्र या राज्य इन लोगों का नाम निर्देशन करेंगे।

प्रवर समिति के सामने साक्ष्य देते हुए सभी वर्गों के लोगों ने यह कहा था, कि उनके प्रतिनिधि चुने जाएं। उनका यह कहना हैं कि रबड़ बोर्ड एक नगर निगम अथवा नगर परिषद के ढंग से गठित किया जाए। त्रावनकोर-कोचीन राज्य में सरकारें बदलती रहती हैं अतः वहां रबड़ बोर्ड के प्रतिनिधियों का चुनाव ही होना चाहिए।

[श्री कॉट्टुकप्पल्ली]

पश्चिमी तट पर बड़े बड़े रबड़ उगाने वालों और छोटे छोटे बागान स्वामियों में कोई मतभेद नहीं हैं। वहां पर छोटे बड़े बागान स्वामियों के हित एक दूसरे से टकराते नहीं हैं।

अभी माननीय मंत्री ने पूछा कि रबड़ उद्योग बढ़ता क्यों नहीं हैं। इसका साधारण सा उत्तर यह हैं कि रबड़ लाभप्रद कीमत पर नहीं बिकता। यदि बागान स्वामियों को उतना मूल्य मिल जाए, जितना कि इस वर्तमान मूल्य वृद्धि के अनुकूल हैं तो निश्चय ही रबड़ उद्योग विकसित हो और बढ़े भी और जितनी यहां के निर्माताओं की आवश्यकताएं हैं, वे पूरी हो जाएं।

१९३४ से जब से भारतीय रबड़ नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ हैं तभी से रबड़ उत्पादक महान कष्टों का सामना करते आ रहे हैं। इस देश में १४,००० से अधिक निर्धन या मध्यम श्रेणी के लोग रबड़ उगाते हैं। इन लोगों के पास बहुत थोड़ी भूमि हैं। शेष भूमि भारतीय और यूरोपियन कम्पनियों के पास हैं। छोटे बड़े रबड़ उगाने वालों की शिकायत यह थी कि यह नियंत्रण युद्ध के समय में सरकार को लाभ देने के लिए था। इससे बड़ी बड़ी यूरोपियन संस्थाओं को भी लाभ होता था। इसी नियंत्रण के कारण मलाबार तथा त्रावनकोर-कोचीन के सहस्त्रों लोग युद्ध के समय में भूखों मरे। यदि हम कच्चे रबड़ के मूल्य की अन्य व्यापारिक वस्तुओं के मूल्यों से तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि केवल कच्चे रबड़ को छोड़ कर अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य ५/७ गुना बढ़ गए हैं। केवल रबड़ का मूल्य ही वहीं पर स्थिर हैं। युद्ध के दौरान में रबड़ उत्पादक को १ रुपया प्रति पौण्ड के हिसाब से विक्रय करना पड़ता था। उसी समय कलकत्ता में चोर बाजार की कीमत १२ रुपए प्रति पौण्ड थी। दो वर्ष पूर्व विश्व के बाजार में रबड़ का मूल्य ३ रुपया प्रति पौण्ड हो गया था, किन्तु भारतीय उत्पादक से यह १२ से १४ आने प्रति पौण्ड के भाव पर ले लिया जाता था। रबड़ उत्पादकों को अपने परिश्रम के फल से वंचित करने के लिए बहुत कपटपूर्ण और बाल की खाल उतारने वाले तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। परन्तु यह निश्चित तथ्य हैं कि युद्ध और युद्ध के पश्चात की तेजी से केवल रबड़ उत्पादकों को ही लाभ नहीं हुआ। १९५२ से ही रबड़ पैदा करने के उद्योग की यह बुरी हालत हुई हैं।

माननीय वाणिज्य मंत्री की इस उद्योग के हित में जो रुचि हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। जब कभी भी उन्होंने किसी रबड़ उत्पादक की फसल को उचित भाव पर बेचने की कठिनाई को देखा उन्होंने हस्तक्षेप करके स्थिति को सुधारा।

रबड़ उत्पादकों को आज भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा हैं। बड़े बड़े रबड़ बागान तीस से पचास वर्ष तक पुराने हैं और उन में पुनः वृक्ष लगाने की आवश्यकता हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कई बार कहा हैं कि रबड़ एक सामरिक महत्व की वस्तु हैं। भारत का यह सौभाग्य हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहां रबड़ पैदा किया जा सकता हैं। रबड़ उत्पादन को बढ़ाने का केवल एक ही उचित साधन हैं और वह यह कि उसका अधिक अच्छा मूल्य दिया जाए। जिन वर्षों में इसका मूल्य अधिक रहा हैं उन में इसका उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ा हैं। उदाहरणतः १९४३ और १९४४ में लगभग १२,००० एकड़ नई भूमि में रबड़ का उत्पादन हुआ जब कि १९४६ में यह उत्पादन क्षेत्र केवल ६,००० एकड़ रह गया। अक्तूबर १९५२ से प्रति १०० पाउंड के लिए १३८ रुपए निर्धारित कर देने से रबड़ उत्पादक को इतना लाभ नहीं होता कि वह रबड़ उत्पादन के पुनःसंस्थापन और श्रमिकों की स्थिति को सुधारने पर काम कर सके। रबड़ बागानों में ७०,००० स्त्री-पुरुष श्रमिक हैं। उत्पादन के विस्तार और पुनःसंस्थापन के लिए उत्पादकों और छोटे उत्पादकों को अर्थ-सहायता देने की आवश्यकता हैं। छोटे उत्पादक अच्छी प्रकार संगठित नहीं हैं अतः अभी तक उनकी आवाज गणराज्य की सभाओं में नहीं सुनी गई।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने प्रवर समिति में कहा था कि हमें प्रति वर्ष २५,००० टन रबड़ की

आवश्यकता हैं और हमारी आवश्यकताओं में अधिकाधिक वृद्धि होगी। हमें इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए जिस से हम लगभग दस वर्ष में आत्मनिर्भर हो जाएं।

इसके अतिरिक्त रबड़ के प्रयोग में एक और विकास हुआ हैं, वह हैं गद्दों का रबड़ जिस से गद्दे और चटाइयां बनती हैं। इस से अगले दस बीस वर्ष में कच्चे रबड़ की तीन चार गुना आवश्यकता बढ़ जाएगी। मेरा यह सुझाव हैं कि केन्द्रीय सरकार एक रबड़ बागान विकास निगम स्थापित करे और मद्रास तथा त्रावनकोर-कोचीन सरकारें उन क्षेत्रों में पुनः वृक्ष लगाने के लिए रबड़ उत्पादकों को ऋण दें जहां रबड़ उत्पादन घट गया हैं। एक गवेषणा केन्द्र भी तुरन्त स्थापित करना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से उस बात की भी सिफारिश करता हूं जो हमने उनके समक्ष रखी थी कि दक्षिण में त्रावनकोर-कोचीन में जहां वस्तुतः कच्चा रबड़ पैदा होता हैं एक रबड़ निर्माण का कारखाना खोला जाए।

मैं आशा करता हूं कि देश की आर्थिक व्यवस्था और सामरिक स्थिति में रबड़ बागान उद्योग का जो महत्व हैं उसका ध्यान रखते हुए मंत्रालय इसकी प्रगति और विकास में भरसक प्रयत्न करेगा।

माननीय मंत्री के भाषण को ध्यान में रखते हुए मैं अपने संशोधन को नहीं प्रस्तुत करना चाहता।

श्री बांगावत : देश के हित के लिए रबड़ उद्योग का विकास आवश्यक हैं और यदि योजना को उचित ढंग से बनाया जाए तो इस उद्योग का उत्पादन थोड़े ही काल में दुगना हो सकता हैं।

मैं अपने माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी के सुझाव का विरोध करता हूं। श्री गुरुपादस्वामी ने यदि सारे सदन और उद्योग का हित चाहने वाले लोगों के परिपरीक्षण का अध्ययन किया होता तो वे कभी ऐसा सुझाव न देते कि किसी प्रकार की समिति नियुक्त की जाए। प्रवर समिति सब क्षेत्रों में गई थी और उसने इस उद्योग की सब कठिनाइयों और समस्याओं का अध्ययन किया था। उसके सदस्य श्रमिकों, थोड़ी भूमि के स्वामियों और निहित स्वार्थ वाले बड़े बागान स्वामियों से मिले थे। निस्सन्देह, श्रमिकों का शोषण हो रहा हैं। कुछ बागानों में श्रमिकों को उपयुक्त सुविधाएं नहीं दी जातीं। बच्चों की पढ़ाई का पर्याप्त प्रबन्ध नहीं हैं, आवास का पर्याप्त प्रबन्ध नहीं हैं। माननीय मंत्री को समिति द्वारा सुझाई गई इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और निहित स्वार्थों को बाध्य करना चाहिए ताकि वे श्रमिकों को सब सुविधाएं दें।

जब तक और गवेषणा कार्य नहीं होता और योजना आयोग इस उद्योग का विकास नहीं करता तब तक छोटे बागानों का उचित सुधार नहीं हो सकता। उनकी विभिन्न प्रकार से सहायता की आवश्यकता हैं। हम ने देखा हैं कि पौध द्वारा लगाए गए वृक्षों का उत्पादन बीज द्वारा लगाए गए वृक्षों से अधिक होता हैं। छोटे उत्पादक को और सुविधा देने के लिए समिति ने एक नया खण्ड प्रस्तुत किया हैं जिससे उन्हें रबड़ बेचने में कोई कठिनाई न हो।

समिति ने बहुत से सुझाव दिए हैं और श्रमिकों तथा अन्य हितों जैसे छोटे बागान स्वामियों को और प्रतिनिधित्व भी दिया हैं और उनकी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सूचियों में से लोगों के नामनिर्देशन का भी सुझाव दिया हैं।

क्योंकि एक निर्वाचित प्रधान पूर्ण समय कार्य नहीं कर सकता अतः समिति ने यह विचार किया कि एक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति प्रधान होना चाहिए। उसमें एक निर्वाचित उपप्रधान होगा और हम ने सदस्यों की संख्या २० से २५ कर दी हैं।

उत्पादन को अत्यधिक मात्रा में बढ़ाया जा सकता हैं। कहीं तो १,००० से १,५०० पाउंड तक प्रति एकड़ उत्पादन होता हैं और कहीं केवल २०० पाउंड। इस अन्तर को दूर करना चाहिए। यदि यह उद्योग विकसित हो जाए तो थोड़े ही समय में उत्पादन दुगना हो जाएगा और उपभोक्ताओं को रबड़ सस्ते भाव मिल सकेगा। कई सदस्यों ने इस वस्तु के महत्व का उल्लेख किया हैं। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। समिति ने

[श्री बांगावत]

उद्योग की सभी समस्याओं का गहन अध्ययन किया हैं और मैं हृदय से विधेयक का समर्थन करते हुए सभा से निवेदन करता हूं कि वह इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जिन सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया हैं लगभग उन सब ने मेरे कार्य को सुगम बना दिया हैं। मैं विशेषतः अन्तिम वक्ता का आभारी हूं जो इस क्षेत्र के नहीं हैं और जिनका इस मामले में निजी हित नहीं हैं और जिन्हें केवल राष्ट्रीय हितों का ध्यान हैं। उनका समर्थन बहुत महत्व-पूर्ण हैं। मैं उन सब सदस्यों का भी आभारी हूं जो रबड़ उत्पादन करने वाले क्षेत्र के हैं और जिन्होंने इसका समर्थन किया हैं। मैं अपने माननीय मित्र श्री वी० पी० नायर का उल्लेख अवश्य करना चाहता हूं जो सामान्यतः कटु आलोचक हैं और जिन्होंने इस बार पर्याप्त कम आलोचना की हैं और बजाय आलोचना करने के कई रचनात्मक सुझाव दिए हैं, मैं ने उन सभी को लिख लिया हैं। श्री ए० वी० थामस ने जिन्हें रबड़ का बहुत अनुभव हैं बहुत महत्वपूर्ण अंश-दान किया हैं और मैं समझता हूं कि न केवल सरकार प्रत्युत जो बोर्ड स्थापित किया जा रहा हैं उसे भी उनके सुझावों की परीक्षा और उनका अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार सभा श्री ए० वी० थामस की आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रवर समिति के कौशलपूर्ण कार्य संचालन द्वारा बहुत से रचनात्मक सुझाव रखे हैं।

बात यह हैं कि मुख्य उद्देश्यों के सम्बन्ध में हमारी रायों में सर्वथा कोई अन्तर नहीं हैं। वास्तविक कठिनाई उस ढंग का पता लगाने में हैं जिस से हम उन उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। छोटे उत्पादक को ही लीजिए। उसकी स्थिति स्पर्धाहीन हैं। जैसा श्री ए० वी० थामस ने बताया हैं औसत उत्पादन २७२ पाउंड प्रति एकड़ होता हैं जबकि कुछ बागानों में १००० पाउंड प्रति एकड़ से अधिक उत्पादन होता हैं। इतना अधिक अन्तर हैं। होता यह हैं कि मूल्य में किसी भी वृद्धि से बड़े बागानों को लाभ होता हैं। उन लोगों में से जिन्होंने प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य दिया था एक ने यह स्वीकार किया था कि उनके सार्थ का कुल रबड़ उत्पादन क्षेत्र के १२ प्रतिशत पर नियंत्रण हैं। मैं ने हिसाब लगाया था कि हम ने मूल्य में जो वृद्धि की थी उससे इन बड़े बागानों में से कुछ को ६५ लाख रुपए तक लाभ हुआ था।

श्री वी० पी० नायर: आप इसे वापस ले सकते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: प्रश्न यह हैं कि अपने संविधान के अनुकूल उसे वापस लेने का कौन सा ढंग निकाला जाए। दूसरी बात यह भी हैं कि हम सारे उत्पादित रबड़ को खरीद लें जैसा कि हम काफी के मामले में करते हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश रबड़ एक ऐसी वस्तु हैं जो कि बहुत शीघ्र खराब हो जाती हैं और यदि बोर्ड इसे खरीद कर एकत्र कर ले तो क्रमशः इसकी श्रेणी गिरती जाएगी। और यह ऐसी श्रेणी तक पहुंच जाएगा जिसे कोई भी नहीं खरीदेगा। अतः इसे खरीद कर एकत्र करने में कठिनाई हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हैं कि मेरे माननीय मित्र श्री ए० एम० थामस ने मेरे उस प्रयत्न की ओर निर्देश किया था जो मैं ने स्थिति सुधारने में सहायता के लिए गत वर्ष के आरम्भ में किया था। और मैं ने अपने सहकारी वित्त मंत्री से कहा था कि वे इस प्रयोजन के लिए १५ लाख रुपए दें, परन्तु इस पर भी अन्त में यह पता लगा कि इससे किसी बड़े व्यक्ति को लाभ होगा जिसके पास रबड़ के भंडार हैं। हम ने बड़े सार्थ के हाथों लगभग १००० टन रबड़ खरीदने का विचार छोड़ दिया। परन्तु इस प्रकार की बात अवश्य होती हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा ढंग निकालना चाहिए जिससे कोई छोटा व्यक्ति भी अपने भंडार एकत्र कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय: सहकारी समिति के संबंध में क्या हैं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह भी एक कठिनाई हैं। रबड़ ऐसी वस्तु हैं जिसे तैयार करना पड़ता हैं। इससे नहीं बचा जा सकता और इसे काफी

और चाय की तरह नहीं रखा जा सकता। इसे धुआं दिलाने का कार्य भी कठिन है और सहकारी समितियों को आवश्यक सहायता देकर सुविधाएं देने का कार्य भी कठिन है। मैं नहीं कहता कि यह नहीं हो सकता, परन्तु फिर भी इसमें ऐसी कठिनाइयां हैं जिनको सभा में सुझाव देने या मेरे वचन देने से नहीं सुलझाया जा सकता। मैं समझता हूं कि उस थोड़ी सी सदिच्छा से जो इस सभा के सदस्यों और सरकार में छोटे व्यक्तियों के प्रति है, हमें एक प्रयत्न, ऐसा वास्तविक गम्भीर और हार्दिक प्रयत्न करना है जिससे छोटे व्यक्ति को कुछ अधिक मिल सके। वस्तुतः जैसा श्री ए० एम० थामस ने बताया है मुझे इस तथ्य का पता है कि हमारे रबड़ उत्पादकों और विशेषतः छोटे व्यक्तियों को हानि रही है और टायर समवायों को बहुत लाभ हुआ है। इसीलिए मैं ने यह सारा विषय प्रशुल्क आयोग को सौंप दिया था और हमें अभी तक प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन नहीं मिला। इसके आने में भी अभी कुछ देर लगेगी। सम्भवतः यह वर्ष के अन्त में आए।

यदि जैसा श्री ए० एम० थामस ने सुझाव दिया है रबड़ उत्पादन को उस स्थान के कारखानों से ही सम्बद्ध कर दिया जाए---जैसा हम ने चीनी में किया है---गन्ने को वह कारखाना खरीद लेता है जो उस क्षेत्र में हो। तो हम एस० आई० एस० एम० ए० के जैसे सिद्धान्त का प्रयोग कर सकते हैं जो उस क्षेत्र में हो। तो हम एस० आई० एस० उत्पादक को दे दें, परन्तु दुर्भाग्यवश वह भी सम्भव नहीं। हम उत्पादक को चीनी की ही तरह निर्माता के साथ सम्बद्ध कर दें, परन्तु अन्ततः कठिन स्थिति को सुधारने के लिए मानव सुलभ प्रतिभा का ह्रास नहीं हुआ है। और इस मामले में सरकार का पथ प्रदर्शन इसी उद्देश्य से होगा और मैं आशा करता हूं कि जो बोर्ड शीघ्र ही भविष्य में बनेगा वह इसे उद्देश्य का पूर्णतः ध्यान रखेगा जो इस विधेयक को पारित करने में सभा और सरकार का है।

श्री नायर ने कहा था कि छोटे छोटे बागान अलाभप्रद नहीं हैं। सम्भवतः ऐसा नहीं है। यदि छोटे बागान अच्छे हैं तथा उनमें अधिक पैदावार होती है, तो वह अलाभप्रद नहीं होंगे, यद्यपि जितने लोगों ने बयान दिए उनमें से एक ने कहा कि छोटे बागान बेकार होते हैं। यह बड़े बागान वाले लोगों का दृष्टिकोण है, किन्तु मैं नहीं समझता कि मैंने कभी यह कहा कि छोटे बागान अलाभप्रद होते हैं, किन्तु होता यह है कि अधिकांश छोटे बागानों को इस प्रकार चलाया जाता है कि उन से कोई लाभ नहीं होता है।

श्री वी० पी० नायर: यही मेरा भी मत है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह सत्य है। मूल्य की भी कुछ सीमाएं होती हैं। यदि मैं समिति को निर्देश किए बिना अधिक मूल्य दे सकता हूं, तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं किन्तु मुझे इसका परिणाम भी देखना पड़ेगा कि तैयार वस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर क्या स्थिति होगी। इसीलिए मैं टायर के मूल्यों पर प्रशुल्क आयोग की जांच की प्रतीक्षा कर रहा हूं। रबड़ का सामान बनाने वाले कुछ उत्पादकों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि यदि मूल उद्योग को हानि पहुंचाए बिना मेरे लिए इस विषय में स्वेच्छाचारी बनना सम्भव हो तो मैं अधिक मूल्य देने को तैयार हूं। दूसरी बात यह है कि जब तक छोटे से छोटे उत्पादक को भी कुछ अधिक मूल्य नहीं मिलता तब तक मैं एक आना या दो आना मूल्य और बढ़ा देने के पक्ष में नहीं हूं। होगा यह कि ६५ लाख रुपयों की बजाय वे ८५ लाख रुपया लाभ कमाएंगे।

श्री वी पी० नायर: आप खण्ड प्रणाली रख सकते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यही तो कठिनाई है। मुझे इस पर विचार करना है।

एक बात यह कही गई थी कि रबड़ उत्पादन क्षेत्र में एक उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए। यदि कोई इसके लिए तैयार हो तो सरकार हर प्रकार की सहायता देने को तैयार है और यह उनके कहने की बात नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार हैं तो सरकार सभी सहायता देगी। मुझे

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

श्री कौंट्टुकप्पल्ली से ज्ञात हुआ है कि इस दिशा में भी कुछ प्रयत्न किया जा रहा है और शीघ्र ही इसका परिणाम निकलेगा।

श्रमिकों की स्थिति के विषय में श्री वेलायुधन तथा श्री बोगावत ने उल्लेख किया था। प्रवर समिति ने एक यह विशेष व्यवस्था की है कि हमें बहुत कुछ बागान मजदूर अधिनियम का पालन करना चाहिए तथा किस प्रकार हम इन बागानों की समस्याओं को निबटाएं, इस संबंध में बागान जांच समिति हमें कुछ सुझाव दे सकेगी। मैं रिपोर्ट की प्रतीक्षा के लिए काम को यहीं पर रोकना नहीं चाहता।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं इनको नए स्थापित होने वाले बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री गुरुपादस्वामी का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) अधिनियम, १९४७ में अग्रंतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ५

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्री कृष्णमाचारी का संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। परिणामतः उस संशोधन से संबंधित अन्य संशोधन भी नहीं प्रस्तुत किए जाएंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं अपने संशोधन को नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री वी० पी० नायर: क्या वर्तमान उपबन्ध के अन्तर्गत महालेखा परीक्षक को लेखों की जांच करने का अधिकार नहीं है जब ये लेखे भारत की संचित निधि के हों?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: महालेखा परीक्षक के कार्यालय से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि इस प्रकार का उपबन्ध प्रत्येक अधिनियम में होनी चाहिए; इस पर मैं कुछ कार्यवाही करना चाहता हूं जिससे एक ही विधेयक में व्यावहारिक रूप से सारे अधिनियम आ जाएं। किन्तु इस संबंध में मुझे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा परामर्श मिलना चाहिए। मैं अपना निर्णय इस विषय में लागू करना नहीं चाहता।

श्री वी० पी० नायर: संविधान के द्वारा महालेखा परीक्षक को भारत की संचित निधि के अन्तर्गत जितने भी लेखे आते हैं उनकी जांच करने का अधिकार प्राप्त है। हां, इतना अवश्य है कि भारत सरकार की ओर से जमा किया गया धन भी उसी निधि में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। अतः मैं नहीं समझता कि इसके लिए किसी विशेष प्रकार का उपबन्ध करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि कार्यपालिका के अथवा अन्य किसी प्रकार के आदेशों के द्वारा महा-लेखा परीक्षक को इसका अधिकार नहीं है। इस कारण संशोधन करने की आवश्यकता है। परन्तु माननीय सदस्य तथा महा-लेखा परीक्षक इसका निश्चय कर सकते हैं।

श्री वी० पी० नायर: हम समझते हैं कि संशोधन करना आवश्यक नहीं है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खण्ड २ से ५ तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ से ५ तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड ६---(१९४७ के अधिनियम २४ की धारा ४ का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय: पहले सरकारी संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे तत्पश्चात् माननीय सदस्यों के।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

(१) पृष्ठ २ की पंक्ति १८ तथा १९ में "to be nominated by the Government of Madras" ["मद्रास सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले"] इन शब्दों के स्थान पर "to represent the State of Madras"

["मद्रास राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए"] ये शब्द रखे जाएं ।

(२) पृष्ठ २ की पंक्ति २२ तथा २३ में "to be nominated by the government of Travancore-Cochin" "त्रावनकोर-कोचीन सरकार द्वारा नाम निर्दिशत किए जाने वाले"] इन शब्दों के स्थान पर "to represent the State of Travancore-Cochin" ["त्रावनकोर-कोचीन राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए"] ये शब्द रखे जाएं।

(३) पृष्ठ २ में पंक्ति ३२ के पश्चात ये शब्द रखे जाएं :----

(3A) the persons to represent the States of Madras and Travancore-Cochin shall be elected or nominated as may be prescribed".

"(३ क). मद्रास तथा त्रावनकोर-कोचीन राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति जैसा विहित किया गया हो उसके अनुसार निर्वाचित अथवा नाम निर्दिशत किए जाएंगे ।"]

उपाध्यक्ष महोदय: यह वैसा ही है जैसे काफी बाजार विस्तार अधिनियम में....

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हां, श्रीमान।

उपाध्यक्ष महोदय: जहां इस इच्छा के अनुरूप कि वहां पूर्ण रूप से नाम निर्देशन नहीं होना चाहिए और कुछ निर्वाचन भी होना चाहिए, उपबन्ध किया गया है। प्रश्न यह है:

"पृष्ठ २ की पंक्ति १८ तथा १९ में, "to be nominated by the government of Madras" ["मद्रास सरकार द्वारा नाम निर्दिशत किए जाने वाले"] इन शब्दों के स्थान पर 'to represent the State of Madras" ["मद्रास राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए" ये शब्द रखे जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"पृष्ठ २ की पंक्ति २२ और २३ में "to be nominated by the government of Travancore-Cochin" "त्रावनकोर-कोचीन सरकार नाम निर्दिशत किए जाने वाले"] इन शब्दों के स्थान पर "to represent the State of Travancore-Cochin" ["त्रावनकोर-कोचीन राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए"] ये शब्द रखे जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"पृष्ठ २ में पंक्ति ३२ के पश्चात, ये शब्द रखे जाएं:

"(3A) the persons to represent the States of Madras and Travancore-Cochin shall be elected or nominated as may be prescribed"

["(३ क). मद्रास तथा त्रावनकोर-कोचान राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, जैसा विहित किया गया हो उसके अनुसार, निर्वाचित अथवा नाम निर्दिशत किए जाएंगे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात श्री तुषार चटर्जी ने अपने संशोधन सभा के समक्ष रखे।

श्री तुषार चटर्जी: मेरा सुझाव यह है कि नाम-निर्देशन की इस पद्धति के स्थान पर संगठनों द्वारा निर्वाचन पद्धति, जैसी कि इस समय है, रखी जानी चाहिए और केवल छोटे उत्पादकों के मामले में जिनका अपना कोई संगठन नहीं है, नाम निर्देशन की पद्धति अपनाई जाए। छोटे उत्पादकों और श्रम के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए भी मैंने सुझाव दिया है। मैंने अपने संशोधन में भी नाम-निर्दिशत अध्यक्ष के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया है।

अब मैं अपने संशोधन के समर्थन में कुछ शब्द कहूंगा। साधारणतया नामनिर्देशन के प्रश्न पर और नाम-निर्दिशत अध्यक्ष के विषय में, कल

[श्री तुषार चटर्जी]

काफी बोर्ड के सम्बन्ध में और आज रबड़ बोर्ड के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। सरकार की ओर से अथवा साधारणतया विधेयक के समर्थकों की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान बोर्ड को बड़े हितों के पंजे से छुटकारा दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के हाथ में अधिकाधिक शक्तियां हों, और मुख्यतया छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार का पुनस्संगठन आवश्यक है। कहा जाता है कि सरकार अपने लिए अपने हाथों में शक्तियां नहीं ले रही है वरन छोटे उत्पादकों के लिए ले रही है जिससे कि बोर्ड अधिक अच्छे प्रकार से, छोटे उत्पादकों और श्रम के हितों में कार्य कर सके। यह तर्क सुनने में बहुत अच्छा है, किन्तु यदि हम पुनस्संगठित बोर्ड और वर्तमान बोर्ड की रचना का विश्लेषण करें, तो सरकारी तर्क में कोई तथ्य नहीं दिखाई पड़ेगा।

वर्तमान बोर्ड में बड़े हितों के कुल १३ प्रतिनिधि सदस्य, श्रम हितों के तीन और आठ नाम-निर्देशित सदस्य हैं। अब इस विधेयक के अनुसार बनाए जाने वाले बोर्ड में, बड़े हितों के छः प्रतिनिधि सदस्य, छोटे उत्पादकों और श्रम के सात प्रतिनिधि सदस्य और सरकार के सात प्रतिनिधि सदस्य होंगे और तीन संसद सदस्य भी होंगे। अब यदि यह प्रश्न हो कि बोर्ड वास्तव छोटे उत्पादकों के हित में कार्य करे और बोर्ड बड़े हितों के नियंत्रण से मुक्त हो, तो नवीन रचना वास्तव में समक्ष है। शक्ति संतुलन छोटे उत्पादकों और श्रम के प्रतिनिधियों के हाथ में ही होगा। तो अब बोर्ड के निर्माण करने में अनावश्यक ही यह नौकरशाही तरीका क्यों अपनाया जाए? जब छोटे उत्पादकों और श्रम का बहुमत होगा और बड़े हित अल्पमत में होंगे, तो अनावश्यक ही नाम-निर्देशन का प्रश्न क्यों लाया जाए और प्रतिनिधित्व के पहले के उपबंध क्यों समाप्त कर दिए जाएं? आप अनावश्यक ही बोर्ड पर नाम-निर्देशित अध्यक्ष क्यों लादते हैं? अतः इस प्रकार का नौकरशाही तरीका अपनाने के बजाय मेरा यह सुझाव है कि आप छोटे उत्पादकों और श्रम के प्रतिनिधियों की सुझाव दिया था कि त्रावनकोर-कोचीन के छोटे उत्पादकों का एक और प्रतिनिधि रखा जाए जिससे कि उनका प्रतिनिधित्व बड़े हितों के प्रतिनिधित्व के समान स्तर पर हो। श्रम के लिए भी, मैंने उनके दो और प्रतिनिधियों के लिए सुझाव दिया है जिससे कि श्रम के हितों की उचित रक्षा हो। जैसा कि हमने श्री वेलायुधन तथा अन्य सदस्यों से सुना है, हमारे बागानों में श्रमिकों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। उन्हें केवल १ रुपया ६ आना दैनिक मजूरी मिलती है और उनके लिए न रहने की कोई सुविधा है, न उनके कल्याण के लिए कुछ किया जाता है और न उन्हें संगठन करने का कोई अधिकार है। इस विधेयक में यह उपबन्ध है कि बोर्ड का यह एक कर्तव्य होगा कि वह श्रमिकों की स्थिति की ओर ध्यान दे और उनका उचित संरक्षण करे। यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक बोर्ड में श्रम के अधिक प्रतिनिधि न हों। श्रम के प्रतिनिधि प्राप्त करने के बारे में मैंने सुझाव दिया था कि सभी केन्द्रीय व्यापार संघों से कहा जाय कि वे अपने अपने प्रतिनिधि भेजें। इस सुझाव में मेरा यह उद्देश्य था कि कुछ केन्द्रीय व्यापार संघ ऐसे हैं जो सरकार द्वारा स्वीकृत हैं और श्रम मंत्रालय नीति सम्बन्धी सभी विषयों में उनसे साधारणतया परामर्श लेता रहता है। अतः ये संगठन कुछ उत्तरदायित्व और प्राधिकार के साथ कार्य करते हैं। अतः यह उचित है कि सरकार रबड़ बोर्ड बनाते समय इन केन्द्रीय श्रम संगठनों से प्रतिनिधि बुलाए। मैं विशेषकर सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों का उल्लेख इसलिए करता हूं कि ऐसे उदाहरण हैं जहां सरकार ने कुछ केन्द्रीय श्रम संगठनों को छोड़ दिया है और केवल एक या दो से ही प्रतिनिधि लिए हैं। उदाहरण के लिए सीमेंट उद्योग की त्रिदलीय समिति में कोयला परिवहन विषयों की त्रिदलीय समिति में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से प्रतिनिधि नहीं लिए गए हैं। अतः इस संशोधन में मैंने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस संशोधन के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना

उपाध्यक्ष महोदय: संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री ए० एम० थामस: छोटे उत्पादकों के संबंध में श्री तुषार चटर्जी ने एक दो बातें कही हैं। अब जो परिभाषा हम स्वीकार कर रहे हैं उसके अनुसार ५० एकड़ या उससे कम जमीन रखने वाले व्यक्तियों को छोटे उत्पादक कहा जाता है। प्रस्तुत खण्ड के अनुसार उत्पादकों के सात प्रतिनिधियों में तीन छोटे उत्पादकों के प्रतिनिधि हैं और १,७२,६४२ एकड़ में से ५७,६०६ एकड़ को सात में से तीन का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अतः मैं नहीं समझता कि इस विषय में कोई परिवर्तन आवश्यक है।

श्रम के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में, मेरा यह निवेदन है कि श्रम के हितों के लिए उपबन्ध करना इस विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है, फिर भी बागान उद्योग में श्रम की स्थिति को देखते हुए हमने उनके प्रतिनिधियों की संख्या तीन से चार कर दी है। मेरे विचार से, श्रम के अधिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाले मित्रों का इससे समाधान होगा।

अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में, मेरा विचार यह है कि यदि पूर्ण समय के लिए अध्यक्ष नियुक्त करना आवश्यक समझा गया तो वह कोई केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होना चाहिए। निर्वाचित अध्यक्ष रखे जाने के विचार का प्रतिपादन करने वाले एक व्यक्ति से साक्ष्य के समय मैंने खासकर इस विषय में प्रश्न पूछा था और वह इस तथ्य से सहमत हुआ था।

विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में किसी लोकतंत्रात्मक सिद्धान्त की अपेक्षा एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जो अधिक विचारणीय है। मेरे उस विषय में बहुत दृढ़ विचार हैं और माननीय मंत्री ने यह कह कर कि प्रतिनिधित्व का एक निश्चित कोटा निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, एक प्रकार से सिद्धान्त मान लिया गया है।

इन शब्दों में मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री वी० पी० नायर: श्री ए० एम० थामस कह रहे थे कि हमारी प्रस्थापना यह थी कि छोटे उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या जितनी एकड़ जमीन वे रखते हैं। उसके अनुपात के अनुसार नहीं होगी। हमारी यह कल्पना नहीं थी कि जमीन के एकड़ों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए वरन वह निहित हितों की संख्या के अनुसार दिया जाना चाहिए। प्रशुल्क आयोग के आंकड़ों के अनुसार १०० एकड़ से नीचे वाले छोटे भूमिधरों की संख्या ७३,५०० थी जबकि १०० एकड़ से अधिक वाले भूमिधरों की संख्या कुछ सौ, और किसी भी हालत में एक हजार से कम ही होगी। अतः उनके कोटे की संख्या बढ़ाने में कोई हानि नहीं है। हम इसलिए अधिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहते हैं कि रबड़ की खेती के अधीन जमीन का ३० प्रतिशत उनके पास है बल्कि इसलिए कि उसमें हजारों हित निहित हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: प्रवर समिति ने प्रतिनिधित्व की सारी योजना बड़ी सावधानी से बनायी है और मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र श्री ए० एम० थामस ने सभी बातों का उत्तर दे दिया है। अतः हम यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन मतदान के लिए सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और वह अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७ से ९ तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड १०---(धारा ८ के पश्चात नई धाराओं का रखा जाना) श्री तुषार चटर्जी ने अपना संशोधन सभा के समक्ष रखा।

श्री तुषार चटर्जी: मेरा संशोधन बोर्ड के साथ परामर्श करने सम्बन्धी परन्तुक में कुछ परिवर्तन का सुझाव देता है। मूल खण्ड में यह उपबन्ध

[श्री तुषार चटर्जी]

हैं कि केन्द्रीय सरकार बोर्ड से परामर्श करेगी किन्तु परन्तुक में यह सुझाव हैं कि यद्यपि सरकार बोर्ड से परामर्श नहीं लेती, फिर भी सरकार की कोई कार्यवाही अमान्य नहीं कही जाएगी। एक भाग में बोर्ड से परामर्श करने का उपबन्ध किया गया हैं तो दूसरे भाग में बोर्ड से परामर्श किए जाने का अधिकार छीन लिया गया हैं। सरकार की ओर से यह एक बहुत अजीब दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया हैं। यदि बोर्ड से परामर्श नहीं करना हैं, तो सरकार ने उसे स्थापित ही क्यों किया? ऐसी हालत में यह बोर्ड कार्य ही क्यों करे?

अतः मेरे संशोधन में यह सुझाव दिया गया हैं कि केवल आपात की स्थिति में सरकार बोर्ड के परामर्श बिना उचित कार्यवाही कर सकेगी और ऐसे विषय को यथा सम्भव शीघ्र बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए। मेरे विचार से मेरा संशोधन बहुत उपयुक्त हैं और सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि ऐसे अवसर आएं जिन में सरकार को उस प्रकार कार्य करना पड़े तो न्याय्यता की रक्षा के लिए विधान संबंधी अधिनियमों में प्रायः इसी के अनुरूप प्रणाली का अनुसरण किया जाता हैं। आपात के प्रश्न का यह अर्थ होगा कि आपात सिद्ध करना होगा। चूंकि सरकार सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, यदि हम ऐसी कोई कार्यवाही करें जो बहुत गम्भीर हो, तो हमें सभा के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि हम ने बोर्ड से क्यों परामर्श नहीं किया। मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार यह दायित्व ले सकती हैं। "साधारणतया" का अर्थ हैं कि इसे परन्तुक में सम्मिलित करना होगा।

मैं नहीं समझता कि हम इस संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन मतदान के लिए सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और वह अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब तीन बज रहे हैं। मैं अब अन्य खण्डों को सभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह हैं कि:

"खण्ड १० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया।

३ म० प०

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: खण्ड १८ के संबंध में मेरा एक संशोधन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मुखबन्ध सरकारी संशोधन पर लागू नहीं होगा। अब मैं खण्ड ११ से १७ तक सभा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह हैं कि:

"खण्ड ११ से १७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ११ से १७ विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड १८---(१९४७ के अधिनियम १४ की धारा २५ का संशोधन)

संशोधन किया गया:

पृष्ठ ५ और ६ में पंक्ति ४४ और ४५ तथा पंक्तियां १ से ८ के स्थान पर क्रमशः यह रखा जाए:

"(i) Principles regulating the nomination of members of the Board by the Central Government under clause (d) of sub-section (3) of section (4), and the election or nomination of the members referred to in clauses (b) and (c) thereof;

Provided that before making any nomination

in the exercise of its powers the Central Government shall call for panels of names from the respective associations recognised by it of the interests referred to in clause (d)"

["(१) धारा (४) की उपधारा (३) के खंड (घ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्यों के नामनिर्देशन का विनियमित करने वाले सिद्धान्त और उसके खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों का नामनिर्देशन अथवा निर्वाचन;

परन्तु अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कोई नामनिर्देशन करने के पूर्व सरकार खंड (घ) में निर्दिष्ट हितों के उसके द्वारा स्वीकृत तत्सम्बन्धी संस्थाओं से नामों की तालिकाएं मंगाएगी।"]

— [श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खंड १८ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १९ से २२ विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी

खण्ड २ से १५

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४ के २ से १५ तक खण्डों पर विचार करेगी। इसके लिए तीन घंटे का समय निश्चित किया गया है।

संशोधन रखने की प्रक्रिया यह होगी कि जब खण्डों पर चर्चा आरम्भ की जाए तो माननीय सदस्य सभा में उपस्थित संसद के अधिकारियों को पन्द्रह मिनट के भीतर पर्चियों द्वारा सूचित कर दें कि वे कितने संशोधन किस खण्ड के संबंध में रखना चाहते हैं। प्रत्येक खण्ड के लिए अलग पर्ची दी जाए। उसके बाद अध्यक्ष द्वारा यह घोषित किया जाएगा कि किस खण्ड के सम्बन्ध में कितने संशोधन रखे जाएंगे। इसके बाद यह संशोधन प्रस्तुत किए गए समझे जाएंगे। सब संशोधनों सहित इस समूह के सारे खण्डों पर विचार किया जाएगा। वे एक एक कर के मतदान के लिए रखे जाएंगे।

तीन घंटे का समय २ से लेकर १५ तक के खण्डों के लिए रखा गया है। इस तीन घण्टे के समय को हमने अलग अलग खण्डों पर बांटा नहीं है कि इस खण्ड को इतना समय दिया जाएगा तथा इस खण्ड को इतना। ऐसा किया जाए तो हो सकता है कि कुछ खण्डों के सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर ही न मिले। मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य २ से लेकर १५ तक सभी खण्डों के तथा सभी संशोधनों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करें और जिनको आवश्यक समझें उनपर अधिक जोर दें। परन्तु सब मिलाकर तीन घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

श्री डाभी (कैरा उत्तर): मेरा निर्देश संशोधन संख्या १५ की ओर है जिसमें कहा गया है कि पृष्ठ २, पंक्ति १० में "one year"

[श्री डाभी]

["एक वर्ष"] शब्दों के स्थान पर six months ["छ: मास"] शब्द रखे जाएं ।

खण्ड २ के संशोधन का प्रभाव यह होगा कि वे अपराध जिन के लिए एक वर्ष से अधिक का कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता हैं उनकी सुनवाई समन केस के समान होगी। मेरा संशोधन यह हैं कि वारंट केस की जो परिभाषा थी वही रखी जाए।

आप देखेंगे कि संयुक्त प्रवर समिति से वापस होने पर, जहां तक गैर-सरकारी शिकायतों का सम्बन्ध हैं, अभियुक्त का जिरह करने का अधिकार अक्षुण रखा गया हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई नई बात कहनी हो तो कहें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुडगांव): समन केसों तथा वारन्ट केसों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में और बहुत सी धाराएं हैं। जब तक हम प्रक्रिया के संबंध में कोई निर्णय न कर लें समन तथा वारंट केसों की परिभाषा करने से क्या लाभ होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया। या तो यह हो सकता हैं कि मैं अभी वाद विवाद होने दूं और खण्ड २ को मतदान के लिए प्रस्तुत न करूं या खण्ड २ पर हम अन्तिम रूप से कोई निश्चय कर लें या जब हम बाद वाले खण्डों पर पहुंचें तो हमें परिभाषाओं का भी हवाला देने की स्वतंत्रता हो और परिभाषाओं तथा तत्सम्बन्धी धाराओं पर मतदान लिया जाए ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): दंड-प्रक्रिया संहिता की धारा ४ वारन्ट केसों तथा समन केसों के सम्बन्ध में हैं। मेरा सुझाव यह हैं कि परिभाषा सम्बन्धी भाषा को छोड़ कर खंड २ के शेष भाग पर चर्चा की जाए और जब हम वारन्ट केसों तथा समन केसों पर पहुंचें तो हम फिर विचार करें और यदि चाहें तो उस समय पर परिभाषाओं को बदल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन विषयों पर अभी मत नहीं लूंगा जिन का सम्बन्ध वारंट या समन केसों से हैं । इससे सम्बन्ध रखने वाली अन्य धाराओं पर विचार कर लिए जाने के बाद सभा इसके सम्बन्ध में निश्चय करेगी।

श्री डाभी : यदि अभी वारन्ट केसों की परिभाषा बदल दी जाएगी तो इसका परिणाम यह होगा कि जनता की ओर से चलाए जाने वाले अभियोगों में भी अभियुक्त को दो बार जिरह करने का अधिकार प्राप्त नहीं रहेगा और बजाय वारन्ट केस के उनकी सुनवाई समन केस की तरह की जाएगी। धारा ३२३ तथा धारा ४१९ ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में हैं कि इनमें ऐसी बातें कही जा सकती हैं जिन से इनके अन्तर्गत चलाए गए अभियोग अभियुक्त के लिए बहुत गम्भीर हो सकते हैं। यह इस प्रकार की बातें होती हैं जिनका कह देना आसान होता हैं परन्तु उनको झूठा प्रमाणित करना बहुत कठिन होता हैं। इसके लिए अभियोग पक्ष के सब गवाहों के बयान हो जाने के बाद अभियुक्त को दुबारा जिरह करने का अधिकार देना बहुत आवश्यक हैं ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

धारा ३४२----दोषपूर्ण परिरोध----तथा धारा ४४८ अतिचार के अपराध बहुत ही गम्भीर हैं और यदि इनकी सुनवाई समन केसों की तरह की गई तो अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १७३ के अनुसार दिए जाने वाले कागजात का भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक हैं कि वारन्ट केस की परिभाषा को बदला न जाए।

श्री टंक चन्द (अम्बाला-शिमला): दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ९ में जो परिवर्तन किया जा रहा हैं उसके अनुसार सत्र न्यायालय पक्षों तथा गवाहों की सुविधा के विचार से मामले की सुनवाई अपने प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता हैं। यह तो ठीक हैं परन्तु मुझे जिन शब्दों पर आपत्ति हैं वह हैं, "अभिभाक्ता तथा अभियुक्त की सम्मति से"। ऐसी अवस्था में हो सकता हैं कि सत्र-न्यायाधीश (सेशन जज) मुकदमे की सुन-

चाई किसी अन्य स्थान पर करना आवश्यक समझता हो परन्तु जब तक दोनों पक्ष इस बात पर राजी न हों वह ऐसा नहीं कर सकेगा। जब आपने उसको इतने भारी अधिकार दिए हैं तो इस सम्बन्ध में आप उस पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? इसलिए मैं चाहता हूं कि ये शब्द निकाल दिए जाएं।

मेरा दूसरा संशोधन अवैतनिक दण्डाधिकारियों के सम्बन्ध में हैं। मेरा तो कहना यह हैं कि जब कोई दस बजे से चार बजे तक मुकदमों की सुनवाई करने तथा न्याय करने का भार अपने ऊपर ले और बिना किसी वेतन के ऐसा करने को तय्यार हो तो मुझे उसकी ईमानदारी में शक होने लगता हैं। इसका कारण क्या हैं? क्या वह जनता की सेवा करना चाहता हैं या आनरेरी मजिस्ट्रेट बन कर एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हैं। इसके अतिरिक्त एक और आपत्ति का विषय यह हैं कि आनरेरी मजिस्ट्रेट उसी स्थान विशेष के होते हैं, उन का स्थानान्तरण (तबादला) नहीं किया जा सकता हैं और इसलिए कि वह सरकार का काम बिना पैसे के करता हैं यह कह सकता हैं कि मैं किसी अन्य स्थान को जाने के लिए तय्यार नहीं हूं। इसलिए यह नितान्त आवश्यक हैं कि स्थानीय प्रभाव उस पर अधिक पड़ सकते हैं। हो सकता हैं कि वह किसी का प्रभाव न माने परन्तु जनता के दिमाग में यही विचार रहेगा कि बहुत सम्भव हैं कि इस व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता हो। इसलिए आनरेरी मजिस्ट्रेटों की प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए।

यदि यह सुझाव मान्य न हो तो मेरा दूसरा सुझाव यह हैं कि इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद ही की जाए जिससे कि उच्च न्यायालय कम से कम यह विचार तो कर सके कि जिस व्यक्ति को यह कार्य सौंपा जा रहा हैं वह कम से कम कानून का इतना ज्ञान रखता हैं कि इस काम को पूरा कर सके। यद्यपि यह कहा गया हैं कि वे लोग जो न्यायिक पदों पर रह चुके हैं 'आनरेरी मजिस्ट्रेट' बनाए जा सकते हैं फिर भी एक बहुत बड़ा अभाव रह गया हैं और वह यह हैं कि इस सूची में उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित करना चाहिए था जो किसी उच्च न्यायालय के एडवोकेट के रूप में कम से कम पांच वर्ष तक वकालत कर चुके हों। यह कहा जा सकता हैं कि यही बात इन शब्दों में आ जाती हैं "अथवा कोई और व्यक्ति"। मेरा तो कहना यह हैं कि जितने भी मजिस्ट्रेट भर्ती किए जाएं उनमें ऐसे व्यक्तियों को ही स्थान मिलना चाहिए जिनको विधि का अच्छा ज्ञान हो और जो सम्मानित वकील की हैसियत से पांच साल की वकालत का अनुभव प्राप्त कर चुके हों।

श्री पाटस्कर (जलगांव): मैंने अपने तीनों संशोधनों की सूचना दे दी हैं। तीसरा संशोधन श्री डाभी के संशोधन से मिलता जुलता हैं।

सभापति महोदय: उनकी क्रम संख्या क्या हैं?

श्री पाटस्कर: उनकी क्रम संख्या १६, १७ और १८ हैं। उनका सम्बन्ध क्रमशः खण्ड ३, ४ और ६ से हैं।

श्री डाभी ने अपने संशोधन के कारणों को स्पष्ट कर दिया हैं। जिन मामलों में दंड की अवधि छः महीने से अधिक हैं उन्हें वारन्ट के मामले समझना उचित हैं किन्तु इस अवधि को व्यर्थ ही बढ़ा कर एक वर्ष करने का क्यों प्रयत्न किया जा रहा हैं? मैं उससे सहमत नहीं हूं।

कदाचित इसका अभिप्राय यह हैं कि आगे से अधिकांश मामलों की समन वाले मामलों की भांति सुनवाई हो। अब क्योंकि हम प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं तो कोई कारण नहीं हैं कि दंड सम्बन्धी उपबन्ध को बदला जाए और वारन्ट वाले मामलों को समन वाला मामला बनाया जाए।

खण्ड विषयक संशोधन के बारे में मुझे यह कहना हैं कि यह खण्ड जैसा हैं वैसा ही रहे तो अच्छा हैं। मैं श्री टंकचन्द के संशोधन का विरोध करता हूं। इस खण्ड में यह उपबन्ध हैं कि

[श्री पाटस्कर]

सत्र न्यायाधीश यदि चाहे तो अभियुक्त और अभियोक्ता की सम्मति से मुकदमे की पेशी को मुख्य कार्यालय में न करके अन्यत्र कहीं सुनवाई कर सकती है। किन्तु ऐसा करने से निर्धन और बेपढ़ लोगों को निस्सन्देह हानि होगी तथा कष्ट उठाना पड़ेगा। कुछ मामलों में जहां स्थानीय जांच अपेक्षित हो यह ठीक भी हो सकता है। परंतु सारी बातों को देखते हुए यह उचित है कि स्थान का यह परिवर्तन अभियुक्त तथा अभियोक्ता की सम्मति से किया जाना चाहिए। अतः मेरे विचार से मूल खंड ठीक है और श्री टंकचन्द का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मैं उसका विरोध करता हूं। श्री टंकचन्द यह भी कहते हैं कि यह स्थानान्तरण अदालत के सम्मान को ध्यान में रखते हुए होगा। मेरे विचार से स्थानान्तरण से न्यायालय की गरिमा को कोई ठेस नहीं लगेगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। फिर भी हमारा आपराधिक न्याय शास्त्र यह कहता है कि यदि ऐसी कोई बात की जाए तो अभियुक्त की सम्मति प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। अच्छा तो यह है कि यह खण्ड अपरिवर्तित रहे।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: मैं जानना चाहता हूं कि यदि स्थानान्तरण को अभियुक्त और अभियोक्ता की इच्छा पर छोड़ दिया गया तो क्या वे इसी वाद विषय पर झगड़ा नहीं करेंगे?

श्री पाटस्कर: यह ठीक है, किन्तु मेरा अभिप्राय यह है कि बेपढ़ अभियुक्त की इस उपबंध द्वारा बड़ी दुर्दशा होगी। चाहे न्यायाधीश और अभियोक्ता को भले ही सुविधा मिले। हमें सर्वप्रथम अभियुक्त की सुविधा का ध्यान रखना है। वैसे तो आपराधिक मामलों में निरीक्षण अथवा अन्य किसी दृष्टि से जो स्थान ठीक होगा वह तो अभियुक्त के लिए स्वतः ही उचित होगा।

आपराधिक मामलों की सुनवाई में जबकि अभियुक्त पर सत्र न्यायालय में गम्भीर आरोप लगाए गए हों सुनवाई का स्थान बिना अभियुक्त की सम्मति के बदला न जाए।

सभापति महोदय: जहां तक निरीक्षण का प्रश्न है उसके लिए दूसरे उपबन्ध हैं।

डा० लाटजू: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी जाकर निरीक्षण कर सकता है।

श्री पाटस्कर: यह सब होते हुए भी न्याय शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि चाहे नौ अपराधी बच जाएं किन्तु किसी एक निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। अतः मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन से सहमत नहीं हूं।

अब मैं खण्ड ४ के विषय में कहूंगा। इसमें जो अवैतनिक दण्डाधिकारियों का उपबन्ध किया जा रहा है उसका मैं घोर विरोध करता हूं और मेरे माननीय मित्र श्री टंकचन्द द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं। कुछ लोग यह कहते हैं कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों तथा अन्य अनुभवी व्यक्तियों के न्याय विषयक ज्ञान का क्यों लाभ न उठाया जाए? किन्तु प्रथम तो सेवानिवृत्ति के पश्चात समाज सेवा के इच्छुक ऐसे व्यक्ति प्राप्य ही नहीं होते हैं और फिर इनसे कार्य उतनी गम्भीरता से नहीं हो सकता है।

जब पहले ही यह अनुभव किया जा चुका है कि यह प्रणाली सन्तोषजनक नहीं है तब इसे थोपने का क्यों प्रयत्न किया जा रहा है?

उदाहरण के लिए बम्बई में यह प्रणाली चलाई गई थी जिसके प्रति वहां की विधान सभा में असंतोष प्रकट किया गया था।

अब भी वहां अवैतनिक दण्डाधिकारियों को केवल शपथ-पत्रादि ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार नहीं है। अतः अनुभवी व्यक्तियों विशेषतः वकीलों को यह लालच क्यों दिया जाए कि वे दण्डाधीश बनाए जा सकते हैं। उनका काम रुपया कमाना है और यह अवसर मिलने पर वे कभी नहीं चूकेंगे।

मैंने तो अपने अनुभव से यह भी देखा है कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश स्वयं भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में न्याय ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो पूर्णरूपेण स्वतंत्र हों।

दूसरी बात यह है कि यदि ये अवैतनिक दण्डाधिकारी अपने काम में लापरवाही भी करें तो सरकार इनका क्या बिगाड़ेगी। वैतनिक दण्डाधिकारियों की तो पदोन्नति रोकी भी जा सकती है परन्तु इन पर क्या नियंत्रण रहेगा।

डा० काटजू: मुझे तो आश्चर्य होता है। मैंने तो बहुत सुन रखा है कि न्याय निःशुल्क तथा उचित होना चाहिए और मेरे मित्र दूसरी ही बात कह रहे हैं।

श्री पाटस्कर: मैं आपकी बात मानता हूं किंतु न्याय अभियुक्त के लिए निशुल्क होना चाहिए इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार बिना कुछ खर्च किए इस प्रकार के उलटे सीधे फैसलों से अपना काम चलाती रहे। मैं तो यह कह रहा हूं कि ये अवैतनिक दण्डाधिकारी उतने उत्तरदायी सिद्ध नहीं हो सकते हैं जितने कि वेतन पाने वाले होते हैं। सरकार को निर्धनों के मुकदमे मुफ्त में अवश्य तय करने चाहिए किन्तु न्याय के प्रबन्ध के लिए उन्हें निश्चय ही व्यय करना होगा। अतः अवैतनिक दण्डाधिकारियों के विषय में मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि उनकी नियुक्ति का उपबंध नहीं किया जाना चाहिए। बम्बई के उदाहरण से हमें शिक्षा लेनी चाहिए।

अब मैं खण्ड ६ के विषय में कहता हूं। इस खण्ड के अनुसार पहले केवल थोड़े से राज्यों को यह अधिकार था कि वे आवश्यकता पड़ने पर किसी स्थान विशेष पर विशेष दंडाधिकारी नियुक्त कर सकते थे। अब समस्त राज्यों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि उच्च न्यायालय के परामर्श से वे ऐसा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यह कार्य उच्च न्यायालय के केवल परामर्श से ही नहीं बल्कि अनुमोदन से किया जाए क्योंकि न्याय सम्बन्धी कार्यों में उच्च न्यायालय की प्रधानता रहनी आवश्यक है। उसके अधिकारों में कार्यपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उदाहरण के लिए, बम्बई राज्य को लीजिए। वहां न्यायपालिका प्रबन्ध कार्यपालिका प्रबन्ध से सर्वथा पृथक है। इस उपबंध से वहां कितना असन्तोष फैल जाएगा तनिक इसका अनुमान कीजिए। अतः उच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक है।

अन्त में मैं एक बार फिर यह निवेदन करता हूं कि अवैतनिक दंडाधिकारियों का जो उपबन्ध है उसकी कदापि आवश्यकता नहीं है।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण): मैं बोलना चाहता हूं। मेरा एक संशोधन है।

सभापति महोदय: संशोधन तो बहुतेरे हैं जिन्हें अब प्रस्तुत किया जाएगा। संशोधनों की सूची इस प्रकार है:

खंड २—संशोधन संख्या ३३९, ३४, १६७, ३५, १५, ३६, १६८, ३४१
खंड २ क—१६९, १७०
खंड ३—१७१, १७२, १७४, ९७, १६, ३८, १७३, ३४५, ३४६
खंड ३ क—१७४, १७५, १७६, १७७
खंड ४—१७, १७८, ३४८, ३४९
खंड ४ क—४०
खंड ६—१८२, १८, १८४, १८०, १८५,
खंड ७—४३, १८६, ४५
खंड ८—४६, १८७, १८८, १८९, ९८, १९०, १९१
खंड ९—४८, १९२,
खंड ११—१८३, ४१६
खंड १३—१९३
खंड १३ क—१८४

खण्ड २

श्री आर० डी० मिश्र (बुलन्दशहर जिला), पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री एस० एस० मोरे, श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व), श्री डामी, श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट), श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) और श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए।

नवीन खण्ड २ क

श्री एस० एस० मोरे ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया।

खण्ड ३

श्री एस० एस० मोरे, श्री आर० डी० मिश्र, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री पाटस्कर, श्री एम० एल० अग्रवाल, श्री टंक चन्द, श्री साधन गुप्त और श्री यू० एस० दुबे (बस्ती जिला---उत्तर) ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए।

नवीन खण्ड ३ क

श्री एस० एस० मोरे ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए।

खण्ड ४

श्री पाटस्कर, श्री टंक चन्द, श्री अमजद अली, श्री साधन गुप्त, श्री आर० डी० मिश्र ने संशोधन प्रस्तुत किए।

खण्ड ४ क

श्री आर० डी० मिश्र ने अपना संशोधन रखा।

खण्ड ६

श्री ए० के० गोपालन और श्री पाटस्कर ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में,

(१) पंक्तियों ३९ से ४१, में से यह निकाल दिए जाएं :

"Who has, for not less than ten years exercised as a Magistrate powers not inferior to those of a Magistrate of the first class", and,

["जिसने दंडाधीश की भांति कम से कम दस वर्ष तक, एक प्रथम श्रेणी से न कम स्तर के दण्डाधीश की शक्तियों का प्रयोग किया हो"]

(२) पंक्ति ४४ के पश्चात यह जोड़ा जाए :---

"Provided that no District Magistrate, Presidency Magistrate or Magistrate of the first class shall be invested with such powers unless he has, for not less than ten years, exercised as a Magistrate powers not inferior to those of a Magistrate of the First Class."

["परन्तु किसी जिलाधीश, प्रेसीडेंसी दंडाधीश अथवा प्रथम श्रेणी के दण्डाधीश को यह शक्तियां तब तक नहीं दी जाएंगी जब तक कि उसने कम से कम दस वर्ष तक, एक प्रथम श्रेणी से न कम स्तर के दंडाधीश की शक्तियों का उपयोग न किया हो।"]

श्री अमजद अली: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ २ में,

(१) पंक्तियों ३९ से ४१, में से यह निकाल दिया जाए:

"Who has, for not less than ten years exercised as a Magistrate powers not inferior to those of a Magistrate of the first class", and

["जिसने दंडाधीश की भांति कम से कम दस वर्ष तक, एक प्रथम श्रेणी से न कम स्तर के दण्डाधीश की शक्तियों का प्रयोग किया हो "]

(२) पंक्ति ४४ के पश्चात यह जोड़ा जाए:---

"Provided that no District Magistrate, Presidency Magistrate or Magistrate of the first class shall be invested with such powers unless he has, for not less than ten years, exercised as a Magistrate powers not inferior to those of a Magistrate of the First Class."

"परन्तु किसी जिलाधीश, प्रेसिडेंसी दण्डाधीश अथवा प्रथम श्रेणी के दण्डाधीश को यह शक्तियां तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने, कम से कम दस वर्ष तक, एक प्रथम श्रेणी

से न कम स्तर के दण्डाधीश की शक्तियों का उपयोग न किया हो ।"]

खण्ड ७

श्री एम० एल० अग्रवाल और श्री ए० के० गोपालन ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए।

खण्ड ८

श्री आर० डी० मिश्र, श्री एम० एल० अग्रवाल, श्री ए० के० गोपालन और पंडित ठाकुर दास भार्गव, ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए।

खण्ड ९

श्री एम० एल० अग्रवाल और श्री ए० के० गोपालन ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए।

खण्ड ११

श्री आर० डी० मिश्र ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ ३, पंक्ति १८ में प्रथम बार आए शब्द panchayat" ["पंचायत"] के पश्चात् शब्द "other than a judicial panchayat" ["किसी न्यायिक पंचायन के अतिरिक्त"] जोड़ जाएं ।

खण्ड १३

श्री ए० के० गोपालन ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया।

नवीन खण्ड १३ क

श्री आर० डी० मिश्र ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया।

सभापति महोदय: ये सब संशोधन सभा के समक्ष हैं। नवीन खण्डों के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि उनको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मैंने सभी नवीन खंडों को पढ़ा है और मेरा विचार है कि उनको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः मैं माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि वे अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करेंगे।

श्री आर० डी० मिश्र: मेरा अमेंडमेंट प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट को रिफर करता है।

सभापति महोदय: इसका यहां क्या अभिप्राय है?

श्री आर० डी० मिश्र: धारा ४०६ के अधीन प्रेसीडेंसी कोर्ट की अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं। उस धारा के प्रथम परन्तुक में भी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटों के सम्बन्ध में कहा गया है। अब संशोधन के द्वारा इस परन्तुक को हटाया जा रहा है। इसलिए हमें यह निश्चित करना है कि क्या ऐसे न्यायालय होने चाहिएं अथवा नहीं। ये धाराएं एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित हैं।

सभापति महोदय: मेरे विचार से माननीय सदस्य का आशय यह है कि धारा ४०६ का प्रथम परन्तुक समाप्त किया जा रहा है तो इन प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों का समाप्त किया जाना न्यायपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा में बताया था कि यदि कोई संशोधन विधेयक में प्रस्तावित संशोधन से बहुत संबंधित होगा केवल उसी की अनुमति दी जाएगी। केवल एक न्यायालय की अपील किसी दूसरे न्यायालय में करने के अधिकार को समाप्त करने का यह अर्थ नहीं है कि उस न्यायालय को ही समाप्त कर दिया जाए।

श्री आर० डी० मिश्र: यदि आपका ऐसा ही निर्णय है तो मैं मान लेता हूं। अधिनियम की धारा ५५ के अधीन एक पुलिस का सब-इन्सपेक्टर बिना अपराध किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ सकता है जिसके जीवन यापन का कोई साधन न हो चाहे उसने कोई अपराध न भी किया हो। धारा १०९ में पकड़े गए व्यक्तियों पर मामला धारा ११७ जो कि विधेयक का खंड १७ है के अनुसार चलाया जाता है। यह तीनों धाराएं परस्पर सम्बन्धित हैं। इसलिए जब कि हम धारा १०९ के अन्तर्गत पकड़े गए व्यक्ति पर मुकदमा चलाए जाने की प्रक्रिया में सुधार करना चाहते हैं तो व्यक्ति के पकड़े जाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: धारा ५५ सब-इंसपेक्टर के गिरफ्तार करने की शक्ति से सम्बन्ध रखती हैं और क्योंकि सरकार ने इस धारा ५५ में कोई संशोधन करने की प्रस्थापना नहीं की हैं इसलिए मुझे संशय हैं कि इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती हैं।

श्री आर० डी० मिश्र: मेरा निवेदन यह हैं कि धारा ५५ के अंतर्गत किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ती हैं तो उस पर धारा १०९ के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाएगा और इस प्रक्रिया को खण्ड १७ के द्वारा संशोधित किया जा रहा हैं। इससे व्यक्ति के अधिकारों में कमी होती हैं।

सभापति महोदय: मेरा विचार हैं कि दोनों का सम्बन्ध बहुत दूर का हैं। अतः मुझे खेद हैं कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती हैं।

श्री राघवाचारी: खण्ड २ के सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि समन वाले मामलों को तय करने के लिए गैर सरकारी शिकायतों के मामलों में पुरानी वारन्ट व्यवस्था के जारी रखे जाने के प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए।

खण्ड २ के प्रश्न पर मैं कहूंगा कि सत्र न्यायालयों को स्थानीय स्थानों पर जांच तथा मुकदमे की सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि यह अनुभव किया गया हैं कि यदि साक्षी को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका साक्ष्य लिया जाए तो सम्भव हैं कि वह सत्य न बोले। परन्तु वास्तविकता यह हैं कि वह अपने स्वयं के वातावरण में झूठ बोलते झिझकेगा। इसीलिए जहां अपराध हुआ हैं वहीं न्यायालय जाकर जांच तथा मुकदमे की सुनवाई करें तो अधिक उपयुक्त होगा। परन्तु जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया इसके लिए हमें अभियुक्त तथा अभियोजन की सम्मति भी लेनी आवश्यक हैं और होगा यह कि ये व्यक्ति अपनी सहमति देंगे नहीं और यह संशोधन बेकार सा ही सिद्ध होगा। इससे न्यायालय का आदर भी कम हो जाएगा। अतः मेरा मत हैं कि दोनों की सम्मति लेने की कोई आवश्यकता न समझी जाए। अतः न्यायालय को उसी स्थान पर ले जाकर न्याय किए जाने के सिद्धान्त का मैं समर्थन करता हूं। इस तरीके से वास्तव में कितनी असुविधा होगी अथवा क्या लाभ होगा यह तो अनुभव के बाद ही ज्ञात हो सकेगा। इस खंड में यह उपबन्ध हैं कि न्यायालय को ऐसा निर्णय करने का अधिकार हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं।

अवैतनिक दंडाधिकारियों के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। परन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि केवल वेतन पाने वाले ही ईमानदार होते हैं। केवल दंड का भय ही हमको बेईमानी करने से रोकता हैं। कभी कभी बेईमान आदमी अपनी चतुराई से पकड़े जाने से बच सकता हैं परन्तु इससे वह ईमानदार नहीं हो सकता हैं। इसलिए न्याय शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अवैतनिक दण्डाधिकारी अवश्य ही नियुक्त करने चाहिए।

इन दंडाधिकारियों की नियुक्ति आजकल उनकी अर्हता को देख कर नहीं प्रत्युत अन्य कारणों के आधार पर की जाती हैं। अब यह उपबन्ध किया जा रहा हैं कि कोई न्यायिक अर्हता होनी चाहिए। मैं उन सदस्यों से सहमत हूं जिनका विचार हैं कि उच्चन्यायालय की सम्मति से इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। केवल उच्चन्यायालय का अनुमोदन अपेक्षित हैं नियुक्ति तो राज्य सरकारें करेंगी परन्तु यदि ऐसी व्यवस्था की जाए कि नियुक्ति भी उच्चन्यायालय करें तो भी मैं इसका समर्थन करूंगा। परन्तु यदि यह अधिकार उच्चन्यायालय को दिए गए तो एक कठिनाई उपस्थित हो सकती हैं कि इन व्यक्तियों के चरित्र के सम्बन्ध में जांच करने की क्या व्यवस्था होगी।

पुरानी प्रणाली में वह इसे अनिवार्यतः राज्य को देते थे परन्तु अब हम चाहते हैं कि विभिन्न संस्थाएं प्रशासन की सहायता करें, इसलिए अवैतनिक मजिस्ट्रेटों जैसे अभिकरणों को नियुक्त किया जाए। हमें यह याद रखना चाहिए कि दंड प्रक्रिया में हम जो संशोधन कर रहे हैं वह किसी सरकार या दल विशेष के लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि नामों

की तालिका में से चुनाव करते समय विधि मंत्री समुचित परामर्श लेंगे। मेरा यह विचार है कि अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की प्रणाली को जारी रखा जाए और अधिक अनुभवी तथा अधिक योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया जाए। केवल तभी यह प्रणाली समुचित रीति से कार्य कर सकती है। अपने गत कटु अनुभव के अनंतर भी हमें इस प्रयोग को फिर करना चाहिए। अर्हताएं उच्चन्यायालय के परामर्श से निश्चित की जा सकती हैं और चुनाव करने में भी राज्य सरकार सतर्कता से काम ले।

सभी मजिस्ट्रेटों को और अधिक शक्तियां देने के विषय में मेरा विचार है कि दस वर्ष के अनुभव वाली बात अनावश्यक है। परन्तु यह बन्धन केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के संबंध में है, प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटों तथा जिलाधीशों के सम्बन्ध में नहीं है। राज्य सरकारें किसी भी मजिस्ट्रेट को जिलाधीश अथवा प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट बना कर खण्ड ६ में दी गई भाषा का अतिक्रमण कर सकती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस खंड की भाषा का बदला जाना आवश्यक है।

खण्ड ७ कुछ न्यायाधीशों को कुछ अधिक शक्तियां देने के लिए है।

खण्ड ८ भी कुछ शक्तियों को बढ़ाने के लिए है। प्रत्येक खंड का उद्देश्य मजिस्ट्रेटों की जुर्माना करने की शक्ति को बढ़ाना प्रतीत होता है। तर्क यह दिया गया है कि इस समय धन का मूल्य गिर गया है। मेरा निवेदन यह है कि वस्तुओं के मूल्यों के गिर जाने के परिणामस्वरूप दंड में कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। कल को मूल्य फिर बढ़ सकते हैं, तो क्या आप दुबारा दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करेंगे? वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर जुर्माने की रकम को आधारित करना कोई उचित सिद्धान्त नहीं है। यदि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पूर्णरूपेण पृथक्करण न हुआ तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

दूसरी बात जो मैं देखता हूं यह है कि पंचायत के सदस्यों को भी उन व्यक्तियों की तरह जिन्हें खंड ११ के अन्तर्गत सूचना देनी है, सूचना देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। पुरानी विधि में ऐसा उपबन्ध था परन्तु कार्यवाही केवल तभी की जाती थी जब कि पुलिस द्वेषवश उसके विरुद्ध रिपोर्ट करती थी। आज देश में हजारों पंचायतें काम कर रही हैं और ऐसा उपबंध करने से सैकड़ों व्यक्तियों को इस संकट का सामना करना पड़ेगा।

खण्ड १५ में जो विलोपन करने का प्रयत्न किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। अतः यह संशोधन इस सीमा तक ठीक है।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि जहां तक अधिपत्र (वारन्ट) वाले मामलों का सम्बन्ध है, प्रस्तावित संशोधन उन सभी को आवाहन (समन्स) वाले मामले बनाता है। मेरे विचार से अब इन दोनों प्रकार के मामलों में कोई अन्तर नहीं है, सभी विभेद समाप्त हो गए हैं। प्रस्थापना के अनुसार अधिपत्र तथा आवाहन वाले मामलों में परस्पर विभेद करने का कोई आधार नहीं है। गैर-सरकारी शिकायतों के संबंध में यह उपबन्ध किया गया है कि पुरानी प्रक्रिया ही चलती रहे।

श्री गाडगील : ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश संशोधन खण्ड २, ३, ४ और ६ के सम्बन्ध में हैं। जहां तक समन केस की परिभाषा का सवाल है, मेरे विचार में यह ठीक ही है और श्री डाभी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

खण्ड ३ के सम्बन्ध में श्री टंक चन्द ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रवर समिति ने स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में अभियुक्त की स्वीकृति का उपबन्ध करके ठीक ही किया है, क्योंकि लोगों को बड़ी आपत्ति रहती थी कि बिना स्वीकृति के स्थान परिवर्तन अभियुक्त के लिए हानिकर होता है। अभियुक्त की स्वीकृति के साथ साथ अभियोक्ता की स्वीकृति भी आवश्यक हो जाएगी। इस उपबन्ध के अलावा, सत्र न्यायालय घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए जा सकता है। देखना यह है कि सत्य कहां खुल सकता है, सत्र न्यायालय के हाल में अथवा उस

[श्री गाडगील]

गांव में जहां के व्यक्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपराध के बारे में सुन चुके अथवा जान चुके हैं। इन सब तथ्यों तथा दोनों पक्षों की सुविधा का ध्यान रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जांच एक विशिष्ट स्थान पर होनी चाहिए। अतः, मैं समझता हूं कि हमें इस निर्णय को मान ही लेना चाहिए।

मैं अवैतनिक दंडाधीशों के बारे में कह रहा था...

श्री अमजद अली: यदि मान लिया जाए कि एक गूंगा और बहरा साक्षी सत्र न्यायालय में उपस्थित होता है, जोकि परीक्षण के स्थान के निर्देश के बिना कुछ भी नहीं बता सकता, यद्यपि सारा मामला उसकी आंखों के सामने ही हुआ है, तो क्या उस मामले में भी स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में अभियुक्त और अभियोक्ता की स्वीकृति आवश्यक होगी?

श्री गाडगील : गूंगे और बहरों की संख्या देश में .०१ प्रतिशत से भी कम है। वस्तुतः हम जो विधान बना रहे हैं, वह सामान्य अवस्थाओं से सम्बन्ध रखता है, असामान्य अवस्थाओं से नहीं।

मैं अवैतनिक दंडाधीशों की बात कह रहा था। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता और सरकार मिलकर एक नीति निर्धारित करें, उसे कार्यान्वित करें और यदि सम्भव हो तो न्यायिक कार्यों की भी पूर्ति करें। अमरीका में न्यायाधीशों का चुनाव होता है। यद्यपि मैं चुनाव की प्रथा से तो सहमत नहीं हूं, परन्तु यदि स्थानीय व्यक्ति को ही न्याय करने का काम सौंपा जाए, जो स्थानीय दशाओं से पूर्णतः परिचित हैं और जो किसी मामले को अच्छी तरह समझ सकता है, तो काफी अच्छा होगा। उदाहरणतः हम बम्बई राज्य को ही लें, जो बोली की दृष्टि से गुजराती, मराठी और कन्नड़ तीन भागों में विभाजित है। यदि एक भाग का व्यक्ति दूसरे भाग में पहुंच जाए, तो उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह एक स्थानीय व्यक्ति के मुकाबले में मामले की अच्छी तरह जांच कर सकेगा। केवल इस आधार पर कि कतिपय अवैतनिक दंडाधीश अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए और उन्होंने अपना काम अच्छी तरह नहीं किया, सारी प्रथा को बुरा बता देना उचित नहीं होगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से अवैतनिक दंडाधीशों का अनुभव है, और मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूं कि उनमें से अधिकांश अच्छे होते हैं। वस्तुतः सबसे बड़ी बात तो यह है कि अवैतनिक दंडाधीशों की नियुक्ति का ढंग अच्छा नहीं है, और उसमें राजनैतिक विचारों को भी घसीट लिया जाता है। यदि इस दोष को दूर करने की बात हो, तो नियुक्ति का कोई अच्छा तरीका निकाला जा सकता है।

श्री एस० एस० मोरे: क्या आप यह स्वीकार कर लेंगे कि नियुक्ति उच्च न्यायालयों द्वारा की जाए?

श्री गाडगील : यहां पर प्रश्न यह नहीं है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाए, मेरे कहने का तात्पर्य तो यह है कि अवैतनिक दंडाधीशों की सम्पूर्ण प्रणाली को बुरा बता देना गलत है।

यदि हम चाहते हैं कि न्याय सस्ता हो, तो हमें अपने इस लोकतंत्रात्मक देश में इस प्रणाली को कायम रखना चाहिए।

दूसरी बात कुछ दंडाधीशों को विशेष अधिकार सौंपने के सम्बन्ध में थी। समय था जबकि नियमित और अनियमित प्रान्तों में भेद था, परन्तु वह भेद अब उठ गया है। अब सोचना यह है कि जो नियम पहले लाभदायक था वह इन परिस्थितियों में भी लाभदायक होगा अथवा नहीं। मेरे विचार में खण्ड ६ का यही आशय है। यह सुझाव रखा गया है कि उच्चन्यायालय के अनुमोदन के पश्चात ही ऐसा करना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं कि उच्चन्यायालय एक ऐसी संस्था है जिसमें हरएक को श्रद्धा है, परन्तु सोचना यह है कि उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों पर कितना कार्य-भार लादा जाए। विशेष अधिकार सौंपने के बारे में मेरा कहना यह है कि खण्ड ४ के अनुसार सबसे पहले उच्चन्यायालय के परामर्श से योग्यताएं तय कर लेनी चाहिएं

और जब एक सामान्य नीति निर्धारित हो जाए, तो उसकी कार्यान्वित कार्यपालिका पर छोड़ देनी चाहिए। अन्ततः कार्यपालिका ही तो इस बात का निश्चय करेगी कि विशेष रूप से किस प्रदेश में लोगों की अपराध करने की प्रवृत्ति में असाधारण विकास हो गया है और वहां के दंडाधीश को अतिरिक्त अधिकार देने की आवश्यकता है। कार्यपालिका का निर्णय सर्वोपरि होना चाहिए, परन्तु सामान्य चर्चा के दौरान में जो बातें रखी गई थीं, उनको देखते हुए प्रवर समिति ने सुरक्षा के लिए 'उच्च-न्यायालय के परामर्श से' वाली बात रख दी है। विशेष परिस्थितियों को छोड़ते हुए, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि ऐसे मामलों में कार्यपालिका उच्चन्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार कर ही लेती है। वर्तमान दशाओं को देखते हुए खण्ड ६ बिल्कुल ठीक है। श्री चटर्जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि 'जिला-दंडाधीश' को अपवर्जित किया जाए। यह संशोधन विचारणीय है।

श्री बोगावत : खण्ड ३ के सम्बन्ध में मेरा संशोधन यह है कि स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में अभियुक्त और अभियोक्ता की स्वीकृति नहीं लेनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा तर्क यह है कि यदि न्यायालय घटनास्थल पर जांच करता है, तो साक्षियों को झूठी गवाही देने का अवकाश बहुत कम रहेगा। यह अनुभव की बात है कि ऐसे मौकों पर घटनास्थल का आंखों के सामने होना काफी प्रभाव पैदा करता है। जहां तक अभियुक्त की स्वीकृति का सवाल है, मेरा ख्याल है कि अभियुक्त उस स्थान के लिए अपनी स्वीकृति कभी नहीं देगा, जोकि घटना से सम्बद्ध है क्योंकि उसकी यह कोशिश रहती है, कि वह सम्पूर्ण प्रमाण को आंखों के सामने न आने दे। ऐसी दशा में मैं चाहता हूं कि अभियुक्त को स्थान के बारे में अपनी स्वीकृति देने का अधिकार नहीं देना चाहिए। मेरी समझ में स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में स्वीकृति का अधिकार न देने से अभियुक्त के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।

श्री एस० एस० मोरे : परन्तु उसके वकील के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री बोगावत : हमें उनकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। अभियुक्त की सहायता के लिए केवल २०, ३० या ४० मील की दूरी पर जाना उनके लिए विशेष कठिन नहीं है।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा): क्या अभियुक्त के द्वारा चुना गया वकील वहां जा सकेगा?

श्री बोगावत : शायद माननीय सदस्य का कहना यह है कि ऐसी अवस्था में वकील अधिक मेहनताना लेने लगेंगे। परन्तु मेरा ख्याल ऐसा है, कि बहुत से नए वकील अभियुक्तों की सहायता के लिए आगे आएंगे और वे पुराने वकीलों की तरह अधिक मेहनताना नहीं लेंगे। सामान्यतः पुराने वकील ही अधिक रुपया लेते हैं और अपने देशवासियों की सहायता नहीं करना चाहते।

अब मैं अवैतनिक दंडाधीशों के बारे में कुछ कहूंगा। उनके बारे में मेरा कहना है कि उनको विधि सम्बन्धी थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य हो। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिन अवैतनिक दंडाधीशों को विधि सम्बन्धी ज्ञान था, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह मामलों को निपटाया और दोनों पक्षों में मेल स्थापित कर दिया। मैं चाहता हूं कि अवकाश प्राप्त व्यक्ति, जिनको विधि सम्बन्धी ज्ञान है, सामने आवें और अवैतनिक दंडाधीशों के रूप में अपनी सेवाएं अर्पित करें। उस स्थान का निवासी होने के कारण इन्हें अपराधों की अच्छी जानकारी होगी।

अब मैं खण्ड ६ के सम्बन्ध में कहूंगा। "उच्च-न्यायालय के परामर्श से" शब्दों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जिन दंडाधीशों को कई साल का अनुभव है, उनको तो विशेष अधिकार सौंपे जा सकते हैं परन्तु अनुभवहीन दण्डाधीशों के सम्बन्ध में उच्चन्यायालय से परामर्श ले लेना चाहिए। बम्बई में कार्यपालिका तथा न्याय-पालिका पृथक हैं। जब कभी जिलाधीश अथवा पुलिस कप्तान किसी मामले को लोकहित में वापिस लेना चाहते हैं, तो दण्डाधीश बहुधा इसकी स्वीकृति नहीं देते। ऐसे मामलों में, यह

[श्री बोगावत]

स्वाभाविक है कि उच्चन्यायालय का परामर्श ले लिया जाए।

श्री राघवाचारी ने कहा था कि पैसे का कोई मूल्य नहीं है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं कि कम जुर्माने की अभियुक्त कुछ भी परवाह नहीं करते और बड़े जुर्माने से डर जाते हैं। जो कुछ खंड ८ में कहा गया है, वह ठीक ही है, कि एक सीमा तक ही द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के दण्डाधीशों को अधिकार देना चाहिए, और उसके ऊपर जो अधिकार हैं, वे प्रथम श्रेणी के दण्डाधीश को देने चाहिएं। इस सम्बन्ध में जो कुछ प्रवर समिति ने सुझाव रखा है, वह बिल्कुल ठीक है।

श्री एन० सी० चटर्जी: मैंने संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन की तीव्र आलोचना की है।

श्री दातार: सरकार माननीय सदस्य का संशोधन संख्या १८४ स्वीकार कर लेगी।

श्री एन० सी० चटर्जी: मैं श्री गाडगिल की इस बात से सहमत हूं कि खण्ड २ के सम्बन्ध में प्रवर समिति ने स्पष्ट सुधार किया है। प्रथमतः, यदि मुकदमा मुख्य स्थान से २५ या ३० मील की दूरी पर होगा, तो अभियुक्त को योग्य विधि सम्बन्धी सहायता उपलब्ध करने में कठिनाई होगी।

मेरे मित्र ने बताया कि २५ या ३० मील की दूरी पर भी उतने ही पारिश्रमिक में या उससे भी कम पारिश्रमिक में वकीलों की सहायता उपलब्ध हो सकेगी। परन्तु यह बात बड़ी विचित्र है और मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। वास्तविकताओं की ओर ध्यान देने पर पता चलता है कि कोई भी अच्छा अनुभवी तथा पुराना वकील कम पैसों पर इतनी दूर अभियुक्त की सहायता के लिए नहीं जाएगा। यद्यपि यह सही है कि इससे कनिष्ठ वकीलों को कुछ काम मिल जाएगा, परन्तु हमें उस दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिए। मेरे विचार में तो स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में अभियुक्त और अभियोक्ता दोनों की स्वीकृति लेनी चाहिए। यह प्रतिवादी के पक्ष में बड़ी अन्याय की बात होगी यदि उसकी स्वीकृति के बिना मुकदमे की जांच और कहीं की जाए।

यह भी स्पष्ट है कि इसमें सत्र न्यायालय के अपमान का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता। स्वयं संयुक्त समिति का यह विचार है कि यह अच्छा होता यदि स्थान-परिवर्तन की बात सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों पर छोड़ दी जाती, जोकि दोनों पक्षों और गवाहों की सुविधा का ध्यान रखते हुए ऐसा करें। इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीश का निर्णय ही अन्तिम है। इस सुझाव में कुछ भी आपत्तिजनक बात नहीं है और इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री टंक चन्द: ऐसी हालत में जब कि न्यायाधीश को दोनों पक्षों की स्वीकृति लेनी है, तो उसका निर्णय अन्तिम कैसे कहा जा सकता है?

श्री एन० सी० चटर्जी: स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय उससे बाध्य है। स्वीकृति के बाद भी यदि न्यायाधीश यह देखता है कि न्याय के लिए जांच अन्य स्थान पर होनी चाहिए तो वे अपने निर्णय के अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र हैं।

अवैतनिक दण्डाधीशों के बारे में मेरे मित्र श्री बोगावत ने कहा कि इस सम्बन्ध में उनका अनुभव पक्ष में है परन्तु बंगाल का हमारा अनुभव संतोषजनक नहीं है। मैं यह तो चाहता हूं कि न्याय करने में गैर-सरकारी व्यक्तियों से पूरा पूरा लाभ उठाया जाए, जैसा कि इंग्लैण्ड में होता है, परन्तु साथ ही इसकी सफलता के लिए हमें कुछ सुधार करने भी जरूरी हैं। सबसे पहली बात यह है कि दण्डाधीश के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित करनी जरूरी हैं। दण्डाधीश के पद के लिए वे ही लोग चुने जाएं, जिनको विधि सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान हो, मुख्यतः जो अवकाशप्राप्त न्यायाधीश या दण्डाधीश हों। आजकल जैसा कि कार्यपालिका का पूरा अधिकार है, उस प्रभाव को हमें हटा लेना चाहिए जिससे काम सुचारु रूप से चल सके। दण्डाधीशों की

नियुक्ति के समय हमें राजनैतिक विचार नहीं घसीटने चाहिएं। न्याय शीघ्र हो और सस्ता हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि समस्त नागरिक आगे आएं और सरकार को अपना सहयोग प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि जनता इस सम्बन्ध में अवश्य सक्रिय भाग लेगी, और अनेक अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तथा ऐसे व्यक्ति जिनको विधि सम्बन्धी काफी अनुभव है, इसके लिए अपनी सेवाएं अर्पित करेंगे। परन्तु अब उन्हें अवैतनिक दण्डाधीश कह कर नहीं पुकारना चाहिए और न उनको जिला दण्डाधीशों के अधीन करना चाहिए।

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): श्रीमान, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि चाय अधिनियम, १९५३ में अग्रंतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"चाय अधिनियम, १९५३ में अग्रंतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री करमरकर: मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

इसके पश्चात लोक-सभा, गुरुवार २५ नवम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया।

GIPD—HS—502 LSD—13-5-55—240

अनुक्रमणिका

अ

अमजद अली, श्री–

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर चर्चा ५९४-९५, ६०१

क

करमरकर, श्री–

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक —
पुरःस्थापन अनुमति प्रस्ताव ६०७-०८

काटजू, डा०–

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर चर्चा ५८५

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी०–

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक —

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव ५३९-४५, ५६९-७३

परिचालित करने का संशोधन ५६९-७३

खंडों पर चर्चा ५७३-७५, ५८०, ५८१ ५८२-८३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५८३

कौट्टुकप्पली, श्री–

रबड (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ५६४—६७

ग

गाडगील, श्री–

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर चर्चा ६००—०३

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस०–

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ५४६-४९

च

चटर्जी, श्री एन० सी०–

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर चर्चा ५९३-९४, ६०५-०७

चटर्जी, श्री तुषार–

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—

खंडों पर चर्चा ५७६-७८, ५८०-८१

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
देखिये "विधेयक (ों)"

ट

टेक चन्द, श्री–

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंड़ों पर चर्चा ५८६-८८

ड

डाभी, श्री–

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर चर्चा ५८४–८५, ५८६

थ

थामस, श्री ए० एम०–

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ५५६-६१

खंडों पर चर्चा ५७९

थामस, श्री ए० वी०—

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ५४९-५१

द

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

देखिये "विधेयक (ों)"

दातार, श्री—

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर चर्चा ५९५

न

नायर, श्री वी० पी०—

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ५५१-५६

खंडों पर चर्चा ५७३, ५७४, ५८०

प

पाटस्कर, श्री—

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर चर्चा ५८८-९२

ब

बोगावत, श्री—

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंड़ों पर चर्चा ६०३-०५

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ५६७—६९

भ

भार्गव, पंडित ठाकुरदास—

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंड़ों पर चर्चा ५८५

म

मिश्र, श्री आर० डी०—

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर चर्चा ५९२, ५९६, ५९७

र

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—

देखिये "विधेयक (ों)"

राघवाचारी, श्री—

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर चर्चा ५९७-६००

व

विधेयक (ों)—

चाय (द्वितीय संशोधन) — पुरः स्थापित ६०७-०८

दंड़ प्रक्रिया संहिता (संशोधन) —

खंड़ों पर चर्चा ५८४—६०७

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव ५३९-७३

विचार प्रस्ताव स्वीकृत ५७३

परिचालित करने का संशोधन ५४६-७३

खंडों पर चर्चा ५७३—८३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५८३-८४

(संशोधित रूप में पारित) ५८४

वेलायुधन, श्री—

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप पर विचार प्रस्ताव तथा परिचालित करने का संशोधन ५६१-६४